लोक सभा में 28 फरवरी, 2002
को पुरःस्थापित रूप में

2002 का विधेयक संख्यांक 6

[दि फाइनेंस बिल, 2002 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2002

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2002 है ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 112, 1 अप्रैल, 2002 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह है कि 1 अप्रैल, 2002 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और आय-कर अधिनियम, 1961 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर में से रिबेट घटा कर आए, ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, संघ के प्रयोजनों के लिए परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा । आय-कर ।

1961 का 43

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय की बाबत केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय, कुल आय के प्रथम पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय की बाबत आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय की बाबत आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय की बाबत आय-कर होगी :

परंतु अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटा कर इस प्रकार प्राप्त आय-कर की रकम में उस पैरा में उपबंधित रीति से, प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय की बाबत आय-कर होगी ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में उपबंधित रीति से और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा :

परंतु धारा 112 और धारा 113 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, यथास्थिति, संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार या पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथाउपबंधित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय की बाबत, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115ङ और धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि किसी विदेशी कंपनी की दशा में कोई अधिभार संदेय नहीं होगा ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 115प के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उक्त धारा में विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के अधीन प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, कटौती पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 194ग, धारा 194ङ, धारा 194ङङ, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ञ, धारा 194ट, धारा 194ठ, धारा 196क, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौती उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उसमें ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन या धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, यथास्थिति, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से या पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उपधारा (9) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और उक्त अधिनियम के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर में से रिबेट घटा कर आए ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, "अग्रिम कर" की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखख, धारा 115ङ और धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय की बाबत, पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में, प्रत्येक दशा में, उसमें ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय की बाबत प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना करने में,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय की बाबत केवल, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय की बाबत आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय की बाबत आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय की बाबत, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" होगी :

परंतु उक्त अधिनियम के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर में से रिबेट घटाकर, इस प्रकारप्राप्त आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(10) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "देशी कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2002 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय की बाबत ऐसे विहित इंतजाम कर लिए हैं कि ऐसी आय में से संदेय लाभांशों की (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश हैं) घोषणा और उनका संदाय भारत में किया जाए ;

(ख) "बीमा कमीशन" से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, नवीकरण या पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या ईनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, "शुद्ध कृषि-आय" से, पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में और पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं, जो क्रमशः उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (24) के उपखंड (xi) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xii) धारा 28 के खंड (vii) में निर्दिष्ट कोई राशि ;";

(ख) खंड (31) में, उपखंड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय या कोई स्थानीय प्राधिकारी या कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति, व्यक्ति समझा जाएगा, चाहे ऐसा व्यक्ति या निकाय या प्राधिकारी या विधिक व्यक्ति, आय, लाभ या अभिलाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया या स्थापित या निगमित किया गया हो या न किया गया हो ।";

(ग) खंड (37क) के उपखंड (i) में, "या धारा 115खख या धारा 115ङ" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "या धारा 115खख या धारा 115खखख या धारा 115ङ" शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2003 से रखे जाएंगे ।

धारा 10 का संशोधन।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,—

(क) खंड (3) का 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (4) के उपखंड (i) में, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार, इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् ऐसी प्रतिभूतियों या बंधपत्रों को विनिर्दिष्ट नहीं करेगी ;";

(ग) खंड (4ख) में, "पुरोधृत ऐसे बचत-पत्रों पर" शब्दों के स्थान पर, "1 जून, 2002 से पहले पुरोधृत बचत-पत्रों पर" अंक और शब्द 1 अप्रैल, 2003 से रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (5ख) का 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ;

(ङ) खंड (6) में, उपखंड (i) का 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ;

(च) खंड (6क) में, "सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से 31 मार्च, 1976 के पश्चात्" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "किन्तु 1 जून, 2002 से पहले" शब्द और अंक, 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(छ) खंड (6ख) में, 1 अप्रैल, 2003 से,—

(i) "जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विदेशी राज्य" शब्दों के स्थान पर, "जिसे 1 जून, 2002 से पहले केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विदेशी राज्य" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) "अनुमोदित किसी अन्य संबंधित करार" शब्दों के स्थान पर, "उस तारीख से पूर्व अनुमोदित किसी अन्य संबंधित करार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ज) खंड (10ग) में, उपखंड (viiख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(viiग) संपूर्ण भारत या किसी राज्य या राज्यों में महत्व की कोई संस्था, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ;";

(झ) खंड (10ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1956 का 1

"(10गग) ऐसे किसी कर्मचारी की दशा में, जो ऐसा व्यष्टि है, जो ऐसी किसी परिलब्धि की प्रकृति की आय व्युत्पन्न कर रहा है जिसके लिए उपबंध धारा 17 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत धनीय संदाय के रूप में नहीं किया गया है, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 200 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे कर्मचारी के निमित्त, नियोजक के विकल्प पर, उसके नियोजक द्वारा वास्तविक रूप से संदत्त ऐसी आय पर कर ;";

(ञ) खंड (14क) का 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ;

(ट) खंड (15) में, 1 अप्रैल, 2003 से,—

(i) उपखंड (iiख) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु केन्द्रीय सरकार, इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् ऐसे पूंजी विनिधान बंधपत्र विनिर्दिष्ट नहीं करेगी ;";

(ii) उपखंड (iiघ) में, तीसरे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि केन्द्रीय सरकार, इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् ऐसे बंधपत्र विनिर्दिष्ट नहीं करेगी ।";

(ठ) खंड (20) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "स्थानीय प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है,—

(i) संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड (घ) में यथानिर्दिष्ट पंचायत; या

(ii) संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (ङ) में यथानिर्दिष्ट नगरपालिका, या

(iii) नगरपालिक समिति और जिला बोर्ड,

जो किसी नगरपालिक या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध के लिए विधिक रूप से हकदार है या सरकार द्वारा न्यस्त की गई है; या

(iv) छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 3 में यथापरिभाषित छावनी बोर्ड ।' ; 1924 का 2

(ड) खंड (20क) का 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ;

(ढ) खंड (21) में तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि जहां वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है और तत्पश्चात् उस सरकार का यह समाधान हो जाता है कि,—

(i) वैज्ञानिक अनुसंधान संगम ने अपनी आय का पहले परंतुक के खंड (क) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उपयोग नहीं किया है ; या

(ii) वैज्ञानिक अनुसंधान संगम ने अपनी निधियों का पहले परंतुक के खंड (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विनिधान या निक्षेप नहीं किया है ; या

(iii) वैज्ञानिक अनुसंधान संगम के क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं ; या

(iv) वैज्ञानिक अनुसंधान संगम के क्रियाकलाप उन सभी या किसी शर्त के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं जिनके अध्यधीन रहते हुए ऐसे संगम का अनुमोदन किया गया था,

वहां वह संबंधित संगम को प्रस्तावित अनुमोदन को वापस लेने के लिए हेतुक दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किसी समय आदेश द्वारा अनुमोदन वापस ले सकेगी और अनुमोदन को वापस लेने वाले आदेश की एक प्रति ऐसे संगम को और निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित कर सकेगी ;";

(ण) खंड (22ख) में दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि जहां किसी समाचार एजेन्सी को केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर दिया है और तत्पश्चात् उस सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी समाचार एजेन्सी ने आय का उपयोग या संचय या वितरण पहले परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नहीं किया है, वहां वह हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किसी भी समय अधिसूचना को विखंडित कर सकेगी और अधिसूचना के विखंडन के आदेश की एक प्रति ऐसी एजेन्सी को और निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित कर सकेगी ;";

(त) खंड (23) का 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ;

(थ) खंड (23क) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि जहां संगम या संस्था का केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है और तत्पश्चात् उस सरकार का यह समाधान हो गया है कि,—

(i) ऐसे संगम या संस्था ने अपनी आय का उपयोग या संचय पहले परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नहीं किया है ; या

(ii) संगम या संस्था के क्रियाकलाप उन सभी या किसी शर्त के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं जिनके अध्यधीन रहते हुए ऐसे संगम या संस्था का अनुमोदन किया गया था,

वहां वह संबंधित संगम या संस्था को प्रस्तावित अनुमोदन को वापस लेने के लिए हेतुक दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किसी समय आदेश द्वारा अनुमोदन वापस ले सकेगी और अनुमोदन को वापस लेने वाले आदेश की एक प्रति ऐसे संगम या संस्था को और निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित कर सकेगी ;";

(द) खंड (23ख) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि जहां संस्था का खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है और तत्पश्चात् उस आयोग का यह समाधान हो गया है कि,—

(i) संस्था ने अपनी आय का उपयोग या संचय पहले परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार नहीं किया है ; या

(ii) संस्था के क्रियाकलाप उन सभी या किसी शर्त के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं जिनके अध्यधीन रहते हुए ऐसे संगम या संस्था का अनुमोदन किया गया था,

वहां वह संबंधित संस्था को प्रस्तावित अनुमोदन को वापस लेने के लिए हेतुक दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किसी समय आदेश द्वारा अनुमोदन वापस ले सकेगा और अनुमोदन को वापस लेने वाले आदेश की एक प्रति ऐसी संस्था को और निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित करेगा ;";

(ध) खंड (23ग) में,—

(i) तीसरे परंतुक में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2003 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) अपनी आय का, उन उद्देश्यों के लिए, पूर्णतया और अनन्यतः उपयोग करती है या उपयोग करने के लिए संचय करती है, जिनके लिए उसकी स्थापना की गई है और ऐसी दशा में, जहां कोई आय 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् संचित की जानी है वहां ऐसे संचयन की अवधि किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ; और"

(ii) नौवें परंतुक में, 3 फरवरी, 2001 से,—

(क) "धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (घ) के अर्थान्तर्गत" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के पश्चात्, "जिसकी बाबत आय और व्यय के लेखे उस धारा की उपधारा (5ग) के खंड (v) के अधीन विहित प्राधिकारी को उस धारा में विनिर्दिष्ट रीति में नहीं दिए गए हैं, या" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे और अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ख) "या 31 मार्च, 2002 के पूर्व" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "या 31 मार्च, 2003 के पूर्व" शब्द और अंक रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(iii) दसवें परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(iv) दसवें परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था प्राप्ति के वर्ष के दौरान अपनी आय का उपयोग नहीं करती है और उसे संचय करती है वहां ऐसे संचयन में से धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था को या उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को किया गया कोई संदाय या जमा उन उद्देश्यों के लिए, आय का उपयोजन नहीं माना जाएगा, जिनके लिए, यथास्थिति, ऐसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था या अस्पताल या चिकित्सा संस्था की स्थापना की गई है :

परंतु यह और भी कि जहां उपखंड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कर दी जाती है या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था का विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है और तत्पश्चात् उस सरकार या विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि,—

(i) ऐसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्थान ने,—

(अ) अपनी आय का तीसरे परंतुक के खंड (क) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उपयोग नहीं किया है ; या

(आ) अपनी निधियों का तीसरे परंतुक के खंड (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार विनिधान या निक्षेप नहीं किया है ; या

(ii) ऐसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्थान के क्रियाकलाप,—

(अ) वास्तविक नहीं हैं ; या

(आ) उन सभी या किसी शर्त के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं जिनके अध्यधीन रहते हुए ऐसा संगम अधिसूचित या अनुमोदित किया गया था,

वहां वह संबंधित निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को प्रस्तावित कार्यवाही के लिए हेतुक दर्शित करने के लिए युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् किसी भी समय, यथास्थिति, अधिसूचना को विखंडित कर सकेगा या अनुमोदन को वापस ले सकेगा और अधिसूचना को विखंडन करने या अनुमोदन वापस लेने के आदेश की एक प्रति ऐसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को और निर्धारण अधिकारी को अग्रेषित कर सकेगा ;";

(न) खंड (23घ) के प्रारंभिक भाग में, "अध्याय 12ङ के उपबंधों के अधीन रहते हुए" शब्दों, अंकों और अक्षर का, 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ;

(प) खंड (23ङ) का, 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ;

(फ) खंड (23ङक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

1989 का 39

"(23ङख) 1 अप्रैल, 2002 से प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पांच पूर्ववर्षों के संबंध में लघु उद्योग प्रत्यय प्रत्याभूति निधि न्यास, जो भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा सृजित एक न्यास है, की कोई आय;";

(ब) खंड (23चक) में, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न" शब्दों, अंकों और अक्षर का, 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ;

(भ) खंड (23छ) में, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न" शब्दों, अंकों और अक्षर का, 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा;

(म) खंड (29) और खंड (33) का 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ।

धारा 10क का संशोधन।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (1) में, तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि 1 अप्रैल, 2003 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए इस उपधारा के अधीन कटौती ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से उपक्रम द्वारा व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का नब्बे प्रतिशत होगी ।"।

धारा 10ख का संशोधन।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 10ख की उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि 1 अप्रैल, 2003 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए इस उपधारा के अधीन कटौती ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का नब्बे प्रतिशत होगी ।"।

धारा 11 का संशोधन।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 11 में, 1 अप्रैल, 2003 से,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में, "और जहां ऐसी आय भारत में ऐसे प्रयोजनों के लिए संचित की जाती है या प्रयोग किए जाने के लिए पृथक् रखी या अलग रखी जाती है, वहां उस परिमाण तक, जिस तक इस प्रकार संचित की गई या अलग रखी गई आय उस संपत्ति से होने वाली आय के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं है" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (ख) में, "और जहां ऐसी आय भारत में ऐसे प्रयोजनों में प्रयोग किए जाने के लिए अंतिम रूप से अलग रखी जाती है, वहां उस परिमाण तक जिस तक इस प्रकार अलग रखी गई आय उस संपत्ति से होने वाली आय के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं है" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, यदि पूर्ववर्ष में भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों में प्रयुक्त आय, यथास्थिति, न्यास के अधीन धारित या भागतः न्यास के अधीन धारित संपत्ति से उस वर्ष के दौरान व्युत्पन्न आय से इस कारण से कम पड़ती है कि वह आय पूर्णतः या भागतः उस वर्ष के दौरान प्राप्त नहीं की गई है तो उस पूर्ववर्ष के दौरान, जिसमें आय प्राप्त होती है या ठीक पश्चात्वर्ती पूर्ववर्ष के दौरान भारत में ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त उतनी आय, जो उक्त आय से अधिक नहीं है, आय को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विकल्प पर (ऐसे विकल्प का प्रयोग धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी देने के लिए अनुज्ञात समय की समाप्ति से पूर्व लिखित में किया जाएगा) उस पूर्ववर्ष के दौरान, जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न हुई थी, ऐसे प्रयोजनों में प्रयुक्त आय समझी जाएगी और इस प्रकार प्रयुक्त समझी गई आय, यथास्थिति, उस पूर्ववर्ष के दौरान, जिसमें आय प्राप्त होती है या उस पूर्ववर्ष के ठीक पश्चात्वर्ती पूर्ववर्ष के दौरान, ऐसे प्रयोजनों में प्रयुक्त आय की रकम का परिकलन करने में हिसाब में नहीं ली जाएगी ।";

(ख) उपधारा (1ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1ख) जहां किसी आय का, जिसकी बाबत उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के अधीन विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उक्त स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट अवधि के दौरान भारत में पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है, वहां, ऐसी आय उस पूर्ववर्ष के जिसमें आय प्राप्त हुई थी, ठीक पश्चात्वर्ती पूर्ववर्ष के संबंध में, उसके प्राप्तिकर्ता व्यक्ति की आय समझी जाएगी ।";

(ग) उपधारा (2) में,—

(i) "का पचहत्तर प्रतिशत" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के साथ पठित उसके खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट आय में से धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था को या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को जमा या संदत्त की गई किसी रकम को, जो उपयोजित नहीं की गई है किंतु संचित या अलग रखी गई है, या तो संचलन की अवधि के दौरान या उसके पश्चात्, पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आय का उपयोजन नहीं माना जाएगा ।";

(घ) उपधारा (3) में,—

(i) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था को या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या न्यास या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को जमा या संदत्त की जाती है ;";

(ii) "अलग रखी न रह जाए या ऐसे विनिहित या निक्षिप्त न रह जाए" शब्दों के स्थान पर, "अलग रखी न रह जाए या इस प्रकार विनिहित या निक्षिप्त या संदत्त या जमा न रह जाए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ङ) उपधारा (3क) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु निर्धारण अधिकारी, धारा 11 की उपधारा (3) के खंड (घ) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किए गए संदाय या जमा के रूप में ऐसी आय का उपयोग अनुज्ञात नहीं करेगा ।"।

धारा 12 का संशोधन।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (3) में, 3 फरवरी, 2001 से,—

(क) "धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (घ) के अर्थान्तर्गत न्यास या संस्था द्वारा प्राप्त की गई संदान की कोई ऐसी रकम" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के पश्चात्, "जिसकी बाबत उस धारा की उपधारा (5ग) के खंड (v) के अधीन विहित अधिकारी को उस रीति में जो उस खंड में विनिर्दिष्ट है, आय और व्यय के लेखे नहीं दिए गए हैं, या" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे और किए गए समझे जाएंगे ;

(ख) "या 31 मार्च, 2002 से पूर्व" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "या 31 मार्च, 2003 से पूर्व" शब्द और अंक रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ।

धारा 12क का संशोधन ।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 12क के खंड (ग) का लोप किया जाएगा।

धारा 14क का संशोधन ।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 14क में, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, और 11 मई, 2001 से अन्तःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस धारा की कोई बात 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण अधिकारी को या तो धारा 147 के अधीन पुनःनिर्धारण करने या धारा 154 के अधीन निर्धारण में वृद्धि करने या पहले से किए गए प्रतिदाय में कमी करने या निर्धारिती के दायित्व में अन्यथा वृद्धि करने का आदेश पारित करने के लिए सशक्त नहीं करेगी।"।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) में परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 17 का संशोधन।

"परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2002 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के संबंध में इस खण्ड की कोई बात ऐसे किसी कर्मचारी को लागू नहीं होगी, जिसकी "वेतन" शीर्ष के अधीन आय (चाहे एक या अधिक नियोजकों से शोध्य या उनके द्वारा संदत्त या उनके द्वारा अनुज्ञात की गई है) ऐसी सभी परिलब्धियों को छोड़कर, जिनके लिए धनीय संदाय के रूप में उपबंध नहीं किया गया है, एक लाख रुपए से अधिक नही है।"।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 24 के खंड (ख) में, 1 अप्रैल, 2003 से,— धारा 24 का संशोधन।

(क) दूसरे परंतुक में, "1 अप्रैल, 2003 से पहले" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें पूंजी उधार ली गई थी, अंत से तीन वर्ष के भीतर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) दूसरे परंतुक और स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के अधीन कटौती तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि निर्धारिती, संपत्ति के ऐसे अर्जन या सन्निर्माण या संपूर्ण उधार ली गई पूंजी या उसके ऐसे किसी भाग के, जो नए ऋण के रूप में प्रतिसंदत्त किए जाने के लिए शेष रहता है, संपरिवर्तन के प्रयोजन के लिए निर्धारिती द्वारा संदेय ब्याज की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए, ऐसे किसी व्यक्ति से, जिसको उधार दी गई पूंजी पर कोई ब्याज संदेय है, एक प्रमाणपत्र नहीं दे देता है ।

स्पष्टीकरण—इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए, "नए ऋण" पद से ऐसी पूंजी के प्रतिसंदाय के प्रयोजन के लिए निर्धारिती द्वारा उधार ली गई पूंजी के पश्चात् लिया गया संपूर्ण ऋण या उसका कोई भाग अभिप्रेत है ।'।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 28 के खंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 28 का संशोधन।

'(vii) (क) किसी कारबार के संबंध में कोई क्रियाकलाप न करने के लिए ; या

(ख) किसी कारबार के संबंध में कोई क्रियाकलाप न करने के लिए ; या कोई व्यवहार-ज्ञान, पेटेंट, प्रतिलिप्यधिकार, व्यापार चिन्ह, अनुज्ञप्ति, फ्रैंचाइज या इसी प्रकृति का कोई अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार या ऐसी कोई जानकारी या तकनीक जो माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण या सेवाओं की व्यवस्था करने में सहायता के लिए संभावित हो, भाग न पाने के लिए,

किसी करार के अधीन, चाहे नकद या वस्तु रूप में प्राप्त या प्राप्य कोई राशि ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "करार" के अंतर्गत कोई ठहराव या समझौता या सामूहिक कोई कार्य है,—

(अ) चाहे ऐसा ठहराव, समझौता या कार्य प्रायिक अथवा लिखित में हो या न हो ; या

(आ) चाहे ऐसा ठहराव, समझौता या कार्य विधिक कार्यवाहियों द्वारा प्रवर्तन के लिए आशयित हो या न हो ;

(ii) "सेवा" से किसी वर्णन की ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो संभावी उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है और इसके अंतर्गत किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रकृति के कारबार के संबंध में, जैसे लेखाकर्म, बैंककारी, संचार, समाचारों या सूचना का संवाहन, विज्ञापन, मनोरंजन, आमोद-प्रमोद, शिक्षा, वित्त पोषण, बीमा, चिटफंड, स्थावर संपदा, सन्निर्माण, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण, विद्युत या अन्य ऊर्जा का प्रदाय, बोर्डिंग और लाजिंग की सेवाओं की व्यवस्था करना भी है ।'।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2003 से, — धारा 32 का संशोधन।

(क) खंड (ii) में,—

(i) दूसरे परंतुक में, "या खंड (ii)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं, "खंड (ii) या खंड (iiक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) पांचवें परंतुक के नीचे स्पष्टीकरण 2 में, "इस खंड के प्रयोजनों के लिए" शब्दों के स्थान पर, "इस धारा के प्रयोजनों के लिए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(iiक) किसी नई मशीनरी या संयंत्र (पोत और वायुयान से भिन्न) की दशा में, जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगे निर्धारिती द्वारा 31 मार्च, 2002 के पश्चात् अर्जित और संस्थापित किया गया है, ऐसी मशीनरी या संयंत्र के वास्तविक मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर की और राशि खंड (ii) के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगीः

परंतु ऐसे पन्द्रह प्रतिशत की और कटौती निम्नलिखित को अनुज्ञेय होगी,—

(अ) किसी नए औद्योगिक उपक्रम को, ऐसे किसी पूर्ववर्ष के दौरान जिसमें ऐसा उपक्रम, 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् ऐसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है ; या

(आ) 1 अप्रैल, 2002 से पूर्व विद्यमान किसी औद्योगिक उपक्रम को ऐसे किसी पूर्ववर्ष के दौरान, जिसमें वह संस्थापित क्षमता में पच्चीस प्रतिशत से अन्यून की वृद्धि के रूप में सारवान् विस्तार प्राप्त करता है :

परंतु यह और कि निम्नलिखित की बाबत कटौती अनुज्ञात नहीं होगी,—

(क) ऐसी कोई मशीनरी या संयंत्र, जिसे निर्धारिती द्वारा उसके संस्थापन से पूर्व किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत में या भारत से बाहर प्रयुक्त किया गया था ; या

(ख) किसी कार्यालय परिसर या किसी निवास-स्थान में, जिसके अंतर्गत अतिथिगृह के रूप में निवास-स्थान भी है, संस्थापित कोई मशीनरी या संयंत्र ; या

(ग) कोई कार्यालय साधित्र या सड़क परिवहन यान ; या

(घ) कोई मशीनरी या संयंत्र, जिसकी संपूर्ण वास्तविक लागत या उसका भाग किसी एक पूर्ववर्ष की "कारबार या वृत्ति के लाभ या अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती (चाहे अवक्षयण के रूप में या अन्यथा) के रूप में अनुज्ञात किया गया है :

परंतु यह भी कि पहले परंतुक के, यथास्थिति, खंड (अ) या खंड (आ) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक कि धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित आय की विवरणी और लेखाकार की रिपोर्ट के साथ मशीनरी या संयंत्र और उत्पादन की संस्थापित क्षमता में वृद्धि के, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ब्यौरे यह प्रमाणित करते हुए नहीं दे देता है कि कटौती का इस खंड के उपबंधों के अनुसार सही दावा किया गया है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(1) "नए औद्योगिक उपक्रम" से ऐसा उपक्रम अभिप्रेत है, जो,—

(क) पहले से विद्यमान किसी कारबार को विभाजित करके या पुनः संरचित करके नहीं बनाया गया है ; या

(ख) पूर्व में किसी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र के नए कारबार में अंतरण द्वारा बनाया गया गया है।

(2) "संस्थापित क्षमता" से 31 मार्च, 2002 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को विद्यमान उत्पादन की क्षमता अभिप्रेत है ।'।

धारा 33कग का संशोधन ।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 33कग की उपधारा (1) में, पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2003 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां ऐसे आरक्षित खाते में समय-समय पर अग्रनीत रकमों का योग, समादत्त शेयर पूंजी, साधारण आरक्षितियों की रकमों और निर्धारिती के शेयर प्रीमियम खाते में जमा की गई रकम के योग के दुगुने से अधिक हो जाता है, वहां ऐसे आधिक्य की बाबत इस उपधारा के अधीन कोई मोक नहीं दिया जाएगा ।"।

धारा 35कग का संशोधन ।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 35कग की उपधारा (5) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पहले, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, जहां—

(i) किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या किसी संगम या संस्था को अनुदत्त राष्ट्रीय समिति का अनुमोदन उपधारा (4) के अधीन वापस ले लिया जाता है या उपधारा (5) के अधीन किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या संगम या संस्था की दशा में पात्र परियोजना या स्कीम के लिए अधिसूचना वापस ले ली जाती है ; या

(ii) किसी कंपनी से पात्र परियोजना या स्कीम पर प्रत्यक्ष रूप से उपगत किसी व्यय की बाबत उपधारा (1) के परंतुक के अधीन कटौती का दावा किया है और पात्र परियोजना या स्कीम के लिए अनुमोदन राष्ट्रीय समिति द्वारा उपधारा (5) के अधीन वापस ले लिया जाता है,

वहां, यथास्थिति, पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी या संगम या संस्था द्वारा प्राप्त ऐसे संदाय की कुल रकम, जिसकी बाबत, यथास्थिति, ऐसी कंपनी या प्राधिकारी या संगम या संस्था ने उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है या किसी कंपनी द्वारा उपधारा (1) के परंतुक के अधीन कटौती का दावा किया गया है, ऐसे पूर्ववर्ष के लिए, यथास्थिति, ऐसी कंपनी या प्राधिकारी या संगम या संस्था की आय समझा जाएगा, जिसमें ऐसा अनुमोदन या अधिसूचना वापस ली जाती है और ऐसी आय पर उस वर्ष में प्रवृत्त अधिकतम मार्जिन दर पर कर प्रभारित किया जाएगा ।"।

धारा 35गगख का संशोधन ।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 35गगख की उपधारा (1) के आरंभिक भाग में, "कोई व्यय उपगत करता है" शब्दों के स्थान पर, "31 मार्च, 2002 को या उससे पूर्व कोई व्यय उपगत करता है" अंक और शब्द 1 अप्रैल, 2003 से रखे जाएंगे ।

धारा 35घघक का संशोधन ।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 35घघक में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी और 1 अप्रैल, 2001 से रखी गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—

"(2) जहां कोई निर्धारिती, जो भारतीय कंपनी है, उपधारा (1) के अधीन कटौती का हकदार है और ऐसी भारतीय कंपनी का उपक्रम, उपधारा (1) के अधीन कटौती का हकदार है, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान से पूर्व समामेलन की किसी स्कीम में अन्य भारतीय कंपनी में अंतरित किया जाता है, वहां इस धारा के उपबंध, जहां तक हो सके, समामेलित कंपनी को ऐसे लागू होंगे, जैसे वे समामेलक कंपनी को तब लागू हुए होते, यदि समामेलन न हुआ होता ।

(3) जहां किसी भारतीय कंपनी का उपक्रम, जो उपधारा (1) के अधीन कटौती का हकदार है, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान से पूर्व किसी अविलयन की स्कीम में अन्य कंपनी में अंतरित किया जाता है, वहां इस धारा के उपबंध, जहां तक हो सके, पारिणामिक कंपनी को ऐसे लागू होंगे, जैसे वे अविलयित कंपनी को तब लागू हुए होते, यदि समामेलन न हुआ होता।

(4) जहां कारबार का पुनर्गठन हुआ हो, जिसके द्वारा धारा 47 के खंड (xiii) में अधिकथित शर्तों को पूरा करते हुए किसी फर्म का उत्तराधिकारी कोई कंपनी हो जाती है या धारा 47 के खंड (xiv) में अधिकथित शर्तों को पूरा करते हुए कोई स्वत्वधारी समुत्थान का उत्तराधिकारी कोई कंपनी हो जाती है तो इस धारा के उपबंध, उत्तरवर्ती कंपनी को, जहां तक हो सके, ऐसे लागू होंगे, मानो फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान को लागू हुए होते, यदि कारबार का पुनर्गठन न हुआ होता ।

(5) कोई कटौती इस धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट समामेलक कंपनी की दशा में, उपधारा (3) में निर्दिष्ट अविलयन कंपनी की दशा में, उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी फर्म या स्वत्वधारी समुत्थान की दशा में, उपधारा (1) में उल्लिखित व्यय की बाबत और उस पूर्ववर्ष के लिए जिसमें, यथास्थिति, समामेलन, अविलयन या उत्तराधिकार हुआ है, अनुज्ञात नहीं की जाती है ।

(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उपधारा (1) में उल्लिखित व्यय के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।"।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viiक) में, 1 अप्रैल, 2003 से,— धारा 36 का संशोधन।

(i) उपखंड (क) में, —

(अ) "पांच प्रतिशत से अनधिक" शब्दों के स्थान पर, "साढ़े सात प्रतिशत से अनधिक" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) परतुंक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु यह और कि 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले और 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व समाप्त होने वाले सुसंगत निर्धारण वर्षों के लिए प्रथम परंतुक के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "पांच प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत" शब्द रखे गए हों ।';

(ii) उपखंड (ग) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह कि इस उपखंड में निर्दिष्ट कोई लोक वित्तीय संस्था या कोई राज्य वित्तीय निगम अथवा कोई राज्य औद्योगिक विनिधान निगम को उनके विकल्प पर 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले और 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व समाप्त होने वाले दो क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों में से किसी वर्ष के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शंकास्पद आस्तियों या हानि आस्तियों के रूप में इस निमित्त जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार वर्गीकृत किसी आस्ति के लिए इसके द्वारा बनाए गए किसी उपबंध की बाबत, पूर्ववर्ष के अंतिम दिन, यथास्थिति, ऐसी संस्था या निगम के खातों में दर्शित ऐसी आस्तियों की रकम के दस प्रतिशत से अनधिक रकम की कटौती अनुज्ञात होगी ।"।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 40 में,— धारा 40 का संशोधन।

(i) खंड (क) के उपखंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(v) धारा 10 के खंड (10गग) में निर्दिष्ट किसी नियोजक द्वारा वास्तव में संदत्त कोई कर ;";

(ii) खंड (ख) के उपखंड (iv) में, "अठारह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "बारह प्रतिशत" शब्द, 1 जून, 2002 से रखे जाएंगे।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 43क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2003 से रखी जाएगी, अर्थात् :— धारा 43क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

'43क. इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी निर्धारिती ने अपने कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर के किसी देश से किसी पूर्ववर्ष में कोई आस्ति अर्जित की है और ऐसी आस्ति के अर्जन के पश्चात् पूर्ववर्ष के दौरान विनिमय की दर में किसी परिवर्तन के परिणामस्वरूप— करेंसी की विनिमय की दर में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप विशेष उपबंध ।

(क) उस आस्ति की संपूर्ण लागत या उसके किसी भाग के मद्दे ; या

(ख) ऐसे संपूर्ण धनों या उसके किसी भाग का, ब्याज सहित, यदि कोई हो, प्रतिसंदाय करने के लिए, जो विनिर्दिष्टतया उस आस्ति के अर्जन के प्रयोजन के लिए किसी विदेशी करेंसी में किसी व्यक्ति से उसके द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उधार ली गई है,

संदाय करते समय भारतीय करेंसी में यथाअभिव्यक्त निर्धारिती का दायित्व बढ़ जाता है या घट जाता है (आस्ति के अर्जन के समय विद्यमान दायित्व के मुकाबले) वहां उतनी रकम जिस तक पूर्वोक्त दायित्व ऐसे पूर्ववर्ष में इस प्रकार बढ़ा या घटा है और जो निर्धारिती द्वारा अपनाई गई लेखा पद्धति को विचार में लिए बिना संदाय करते समय हिसाब में ली गई है, निम्नलिखित में, यथास्थिति, जोड़ दी जाएगी या उसमें से काट ली जाएगी,—

(i) धारा 43 के खंड (1) में यथापरिभाषित आस्ति की वास्तविक लागत ; या

(ii) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iv) में निर्दिष्ट पूंजीगत व्यय के प्रकार की रकम ; या

(iii) धारा 35क में निर्दिष्ट पूंजीगत व्यय के प्रकार की व्यय की रकम ; या

(iv) धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (ix) में निर्दिष्ट पूंजीगत व्यय के प्रकार की व्यय की रकम ; या

(v) धारा 48 के प्रयोजनों के लिए पूंजी आस्ति के अर्जन की लागत (जो धारा 50 में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति नहीं है),

और ऐसे जोड़ने या काटने के पश्चात् परिकलित रकम के बारे में यह माना जाएगा कि वह उस आस्ति की वास्तविक लागत या, यथास्थिति, पूंजीगत व्यय के प्रकार की व्यय की रकम या यथापूर्वोक्त पूंजी आस्ति के अर्जन की लागत है ।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "विनिमय दर" से भारतीय करेंसी के विदेशी करेंसी में या विदेशी करेंसी के भारतीय करेंसी में परिवर्तन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित या मान्य विनिमय की दर अभिप्रेत है ;

1999 का 42 (ख) "विदेशी करेंसी" और "भारतीय करेंसी" के वे ही अर्थ हैं जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 में उन्हें क्रमशः दिए गए हैं ।

स्पष्टीकरण 2—जहां संपूर्ण पूर्वोक्त दायित्व या उसके किसी भाग की पूर्ति निर्धारिती द्वारा नहीं किन्तु प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा की जाती है वहां इस प्रकार पूरे किए गए दायित्व को इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

1999 का 42 **स्पष्टीकरण 3**—जहां निर्धारिती ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 में यथापरिभाषित किसी प्राधिकृत व्यौहारी के साथ कोई संविदा उसे विदेशी करेंसी में एक विनिर्दिष्ट राशि का प्रदाय नियत किसी भावी तारीख को या उसके पश्चात् ऐसी विनिमय की दर पर करने के लिए की है जो संविदा में विनिर्दिष्ट हो जिससे कि वह संपूर्ण पूर्वोक्त दायित्व या उसके किसी भाग की पूर्ति करने में समर्थ हो सके वहां इस उपधारा के अधीन आस्ति की वास्तविक लागत या पूंजीगत व्यय के प्रकार की व्यय की रकम या, यथास्थिति, पूंजी आस्ति के अर्जन की लागत में जोड़ी जाने वाली या उसमें से काटी जाने वाली रकम, यदि कोई हो, संविदा में विनिर्दिष्ट राशि के इतने भाग की बाबत जितना पूर्वोक्त दायित्व के निर्वहन के लिए उपलभ्य हो, उससे विनिर्दिष्ट विनिमय की दर के प्रति निर्देश से संगणित की जाएगी ।'।

धारा 44कङ का संशोधन ।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 44कङ की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2003 से,—

(क) खंड (i) में, "दो हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "तीन हजार पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) में, "एक हजार आठ सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "तीन हजार एक सौ पचास रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 47 का संशोधन।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 47 के खंड (xv) में, "भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक" शब्द, अंक और कोष्ठक, 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किए जाएंगे। 1992 का 15 1934 का 2

नई धारा 50ग का अंतःस्थापन ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 50ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय दशाओं में प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध।

'50ग. (1) जहां निर्धारिती द्वारा, किसी पूंजीगत आस्ति, जो भूमि या भवन या दोनों हैं, अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्‌भावी प्रतिफल ऐसे अंतरण की बाबत स्टाम्प शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस धारा में "स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी" कहा गया है) अंगीकार किए गए या निर्धारित मूल्य से कम है तो इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित मूल्य धारा 48 के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्‌भावी प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाएगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां,—

(क) किसी निर्धारण अधिकारी के समक्ष निर्धारिती यह दावा करता है कि उपधारा (1) के अधीन स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित मूल्य अंतरण की तारीख को संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से अधिक है ;

(ख) उपधारा (1) के अधीन स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित मूल्य किसी अपील या पुनरीक्षण में विवादित नहीं है या किसी अन्य प्राधिकारी, न्यायालय, उच्च न्यायालय के समक्ष कोई निर्देश नहीं किया गया है,

वहां निर्धारण अधिकारी, पूंजीगत आस्ति के मूल्यांकन को किसी मूल्यांकन अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा और जहां ऐसा कोई निर्देश किया जाता है वहां धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 16क की उपधारा (2), (3), (4), (5) और (6), धारा 23क की उपधारा (1) का खंड (i) और उपधारा (6) और (7), धारा 24 की उपधारा (5), धारा 34कक, धारा 35 और धारा 37 के उपबंध, आवश्यक उपांतरणों सहित ऐसे निर्देश के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि वे उक्त अधिनियम की धारा 16क की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए किसी निर्देश के संबंध में लागू होते हैं । 1957 का 27

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "मूल्यांकन अधिकारी" का वही अर्थ है जो धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 2 के खंड (द) में है। 1957 का 27

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए जहां उपधारा (2) के अधीन अभिनिश्चित मूल्य उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित मूल्य से अधिक है वहां ऐसे प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित मूल्य अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्‌भावी प्रतिफल का पूरा मूल्य माना जाएगा ।'।

धारा 54ङग का संशोधन ।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 54ङग में, अंत में आने वाले स्पष्टीकरण के खंड (ख) में, उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा 1 अप्रैल, 2002 को या उसके पश्चात् ।"। 1987 का 53 1989 का 39

धारा 70 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 70 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2003 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

आय के एक ही शीर्ष के अधीन एक स्रोत से होने वाली हानि का दूसरे स्रोत से होने वाली आय के प्रति मुजरा किया जाना ।

'70. (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जहां "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष से भिन्न आय के किसी शीर्ष के अधीन आने वाली किसी स्रोत की बाबत किसी निर्धारण वर्ष के लिए अंतिम परिणाम हानि है, वहां निर्धारिती इसका हकदार होगा कि वह ऐसी हानि की रकम का मुजरा उसी शीर्ष के अधीन किसी अन्य स्रोत से होने वाली अपनी आय के प्रति करा ले ।

(2) जहां किसी अल्पकालिक पूंजी आस्ति की बाबत धारा 48 से धारा 55 के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए की गई संगणना का परिणाम कोई हानि है वहां निर्धारिती इसका हकदार होगा कि वह ऐसी हानि की रकम का मुजरा ऐसी आय, यदि कोई हो, के प्रति करा ले, जो किसी अन्य पूंजी आस्ति की बाबत निर्धारण वर्ष के लिए की गई उसी प्रकार की संगणना के अधीन आती है ।

(3) जहां (किसी अल्पकालिक पूंजी आस्ति से भिन्न) किसी पूंजी आस्ति की बाबत धारा 48 से धारा 55 के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए की गई संगणना का परिणाम कोई हानि है वहां निर्धारिती इसका हकदार होगा कि वह ऐसी हानि की रकम का मुजरा ऐसी आय, यदि कोई हो, के प्रति करा ले, जो किसी अन्य पूंजी आस्ति की बाबत, जो कोई अल्पकालिक पूंजी आस्ति नहीं है, निर्धारण वर्ष के लिए की गई उसी प्रकार की संगणना के अधीन आती है ।'।

धारा 72क का संशोधन ।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 72क की उपधारा (7) के खंड (कक) में, उपखंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiiक) दूर-संचार सेवाओं को उपलब्ध कराने का कारबार, चाहे वे आधारिक हों या सैलुलर, जिनके अंतर्गत रेडियो पेजिंग, घरेलू उपग्रह सेवा, ट्रंक नेटवर्क, ब्रॉडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट सेवाएं हैं ; या "।

धारा 74 का संशोधन।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 74 में, 1 अप्रैल, 2003 से,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

'(1) जहां किसी निर्धारण वर्ष की बाबत "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणना का अंतिम परिणाम निर्धारिती को हानि है, वहां संपूर्ण हानि, इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अगले निर्धारण वर्ष के लिए अग्रनीत की जाएगी, और—

(क) जहां तक ऐसी हानि का संबंध किसी अल्पकालिक पूंजी आस्ति से है, वहां इसका मुजरा ऐसी आय के प्रति, यदि कोई हो, किसी अन्य पूंजी आस्ति की बाबत उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन किया जाएगा ;

(ख) जहां तक ऐसी हानि का संबंध किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति से है, वहां इसका मुजरा ऐसी आय के प्रति, यदि कोई हो, किसी अन्य पूंजी आस्ति की बाबत, जो अल्पकालिक पूंजी आस्ति नहीं है, उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन किया जाएगा ;

(ग) यदि हानि का मुजरा पूर्णतया इस प्रकार नहीं किया जा सकता है तो हानि की ऐसी रकम जिसका मुजरा इस प्रकार नहीं किया जा सका है, अगले निर्धारण वर्ष के लिए अग्रनीत की जाएगी और इसी प्रकार आगे भी किया जाता रहेगा ।';

(ख) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा ।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 80छ की उपधारा (5ग) में 3 फरवरी, 2001 से,— धारा 80छ का संशोधन।

(क) आरंभिक भाग में, "इस उपधारा" शब्दों के स्थान पर "इस धारा" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) खंड (iii) में, "31 मार्च, 2002 को या उससे पूर्व" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 मार्च, 2003 को या उससे पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ग) खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् ;—

"(iv) 31 मार्च, 2003 को उपयोग न की गई शेष संदान की रकम, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में, 31 मार्च, 2003 को या उससे पूर्व अंतरित हो जाती है ।" ;

(घ) खंड (v) में, "30 जून, 2002 को या उससे पूर्व" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "30 जून, 2003 को या उससे पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 80छछक की उपधारा (2) में 1 अप्रैल, 2003 से,— धारा 80छछक का संशोधन ।

(i) खंड (ग) के आरंभिक भाग में, "निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष में किसी संगम या संस्था को, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण या वनरोपण पर कोई कार्यक्रम चलाना है, धारा 35गगख के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण या वनरोपण के किसी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में उपयोग करने के लिए संदत्त कोई राशि" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "निर्धारिती द्वारा 31 मार्च, 2002 को या उससे पूर्व समाप्त होने वाले किसी पूर्ववर्ष में किसी संगम या संस्था को, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण या वनरोपण पर कोई कार्यक्रम चलाना है, धारा 35गगख के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण या वनरोपण के किसी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में उपयोग करने के लिए संदत्त कोई राशि" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (गग) के आरंभिक भाग में, "निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष में वनरोपण के लिए किसी ऐसी निधि में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 35गगख की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन अधिसूचित की जाए, संदत्त कोई राशि" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर "निर्धारिती द्वारा 31 मार्च, 2002 को या उससे पूर्व समाप्त होने वाले किसी पूर्ववर्ष में वनरोपण के लिए किसी ऐसी निधि में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 35गगख की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन अधिसूचित की जाए, संदत्त कोई राशि" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 80जजघ की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2003 से,— धारा 80जजघ का संशोधन ।

(i) खंड (ग) में, "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, "पच्चीस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (घ) में, "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, "पन्द्रह प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 80झक में, 1 अप्रैल, 2003 से,— धारा 80झक का संशोधन ।

(क) उपधारा (2) में, "या औद्योगिक पार्क का विकास करता है" शब्दों के पश्चात् "या उपधारा (4) के खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी विशेष आर्थिक जोन का विकास करता है या विकास और प्रचालन करता है या अनुरक्षित और प्रचालित करता है" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (7) में, "जहां निर्धारिती, कंपनी या सहकारी सोसाइटी से भिन्न व्यक्ति है वहां किसी औद्योगिक उपक्रम से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभों से उपधारा (1) के अधीन कटौती" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "किसी औद्योगिक उपक्रम से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों से उपधारा (1) के अधीन कटौती" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 80झख में, 1 अप्रैल, 2003 से,— धारा 80झख का संशोधन ।

(क) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(7क) किसी बहुविध थिएटर की दशा में कटौती की रकम निम्नलिखित होगी,—

(क) आरंभिक निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती वर्षों की अवधि के लिए किसी स्थान में किसी बहुविध थिएटर के निर्माण, स्वामित्व और चलाने के कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का पचास प्रतिशत :

परंतु इस खंड की कोई बात कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई की नगरपालिक अधिकारिता के भीतर (चाहे नगरपालिका, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र समिति और छावनी बोर्ड या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) किसी स्थान में अवस्थित किसी बहुविध थिएटर को लागू नहीं होगी ;

(ख) खंड (क) के अधीन कटौती केवल तभी अनुज्ञेय होगी, यदि—

(i) ऐसा बहुविध थिएटर जो, 1 अप्रैल, 2002 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय निर्मित किया जाता है ;

(ii) बहुविध थिएटर का कारबार पहले से विद्यमान किसी कारबार को विभाजित करके, पुनः संरचना करके या किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त किसी भवन का या मशीनरी या संयंत्र का ऐसे कारबार में अंतरण करके नहीं बनाया गया है;

(iii) निर्धारिती, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित आय की विवरणी के साथ ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं और लेखाकार द्वारा सम्यक्‌तः हस्ताक्षरित तथा सत्यापित लेखापरीक्षा की रिपोर्ट यह प्रमाणित करते हुए देता है कि कटौती का दावा सही किया गया है ।

(7ख) किसी अभिसमय केंद्र की दशा में कटौती की रकम निम्नलिखित होगी,—

(क) निर्धारिती द्वारा आरंभिक निर्धारण वर्ष को आरंभ होने वाली पांच क्रमवर्ती वर्षों की अवधि के लिए उसकी ओर से निर्मित किसी अभिसमय केंद्र के निर्माण, स्वामित्व और प्रचालन के कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का पचास प्रतिशत ;

(ख) खंड (क) के अधीन कटौती केवल तभी अनुज्ञेय होगी, यदि—

(i) यदि ऐसा कन्वेंशन केंद्र 1 अप्रैल, 2002 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय निर्मित किया जाता है ;

(ii) कन्वेंशन केंद्र का कारबार पहले से विद्यमान किसी कारबार को विभाजित करके या उसकी पुनः संरचना करके या किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त किसी भवन या किसी मशीनरी या संयंत्र का नए कारबार में अंतरण करके नहीं बनाया गया है ;

(iii) निर्धारिती आय की विवरणी के साथ धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं और लेखाकार द्वारा सम्यक्‌तः हस्ताक्षरित तथा सत्यापित लेखापरीक्षा की रिपोर्ट यह प्रमाणित करते हुए दे देता है कि कटौती का दावा सही किया गया है ; ";

(ख) उपधारा (14) में,—

(i) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(कक) "कन्वेंशन केंद्र" से विहित क्षेत्र का ऐसा कोई भवन अभिप्रेत है, जिसमें ऐसे कन्वेंशन हाल हैं जिनका प्रयोग सम्मेलन और सेमिनार आयोजित किए जाने के लिए किया जाता है तथा जिनका आकार और संख्या ऐसी है और जिसमें ऐसी अन्य सुविधाएं तथा सुख-सुविधाएं हैं, जो विहित की जाएं ;';

(ii) खंड (ग) के उपखंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(v) बहुविध थिएटर की दशा में, निर्धारण वर्ष से उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें ऐसा सिनेमा हाल जो उक्त बहुविध थिएटर का भाग है, वाणिज्यिक आधार पर कार्य करना आरंभ करता है ;

(vi) कन्वेंशन केंद्र की दशा में निर्धारण वर्ष से उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है जिसमें कन्वेंशन केंद्र वाणिज्यिक आधार पर कार्य करना आरंभ करता है ;";

(iii) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(घक) "बहुविध थिएटर" से विहित क्षेत्र का ऐसा कोई भवन अभिप्रेत है, जिसमें दो या अधिक सिनेमा थिएटर और वाणिज्यिक दुकाने हैं, जिनका आकार और संख्या ऐसी है और जिसमें ऐसी अन्य सुविधाएं तथा सुख-सुविधाएं हैं, जो विहित की जाएं ;'।

नई धारा 80ड का अंतःस्थापन ।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 80ठ के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय अंतरनिगमित लाभांशों की बाबत कटौती ।

'80ड. (1) जहां किसी देशी कंपनी की किसी पूर्ववर्ष की सकल कुल आय में किसी अन्य देशी कंपनी से लाभांशों के रूप में प्राप्त कोई आय सम्मिलित है वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए ऐसी देशी कंपनी की कुल आय की संगणना करने में उस अन्य देशी कंपनी से लाभांशों के रूप में प्राप्त आय की रकम के बराबर उतनी रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी, जो नियत तारीख को या उससे पूर्व प्रथमवर्णित देशी कंपनी द्वारा वितरित लाभांश की रकम से अधिक नहीं है ।

(2) जहां देशी कंपनी द्वारा वितरित लाभांश की रकम की बाबत कोई कटौती किसी पूर्ववर्ष में उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञात की गई है वहां किसी अन्य पूर्ववर्ष में ऐसी रकम की बाबत कटौती अनुज्ञात नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "नियत तारीख" पद से धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख अभिप्रेत है ।'।

धारा 88 का संशोधन।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 88 में, 1 अप्रैल, 2003 से,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

'(1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई निर्धारिती, जो कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, अपनी कुल आय पर किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य आय-कर की रकम में से (जो इस अध्याय के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व संगणित की गई है)—

(i) किसी व्यष्टि या किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जिसकी सकल कुल आय, अध्याय 6क के अधीन कटौतियां करने से पूर्व, एक लाख पचास हजार रुपए या उससे कम है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट कुल राशि के बीस प्रतिशत के बराबर कटौती का हकदार होगा :

परंतु यह कि कोई व्यष्टि, उपधारा (2) में निर्दिष्ट राशि के योग के तीस प्रतिशत की राशि के बराबर कटौती का हकदार होगा यदि उसकी आय, "वेतन" शीर्ष के अधीन,—

(क) धारा 16 के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व, पूर्ववर्ष के दौरान एक लाख रुपए से अधिक नहीं है ; और

(ख) धारा 80ख की उपधारा (5) में यथापरिभाषित उसकी सकल कुल आय नब्बे प्रतिशत से कम नहीं है ;

(ii) किसी व्यष्टि या किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जिसकी सकल कुल आय, अध्याय 6क के अधीन कटौतियां करने से पूर्व, एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक है किंतु पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट कुल राशि के बीस प्रतिशत के बराबर कटौती का हकदार होगा ;

(iii) किसी व्यष्टि या किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जिसकी सकल कुल आय अध्याय 6क के अधीन कटौतियां करने से पूर्व पांच लाख रुपए से अधिक है, किसी कटौती का हकदार नहीं होगा ।';

(ख) उपधारा (2) में, "कर से प्रभार्य उसकी आय में से" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट राशियां, पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय संदत्त या निक्षिप्त की जाएंगी और निर्धारिती, जो कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, उपधारा (1) के अधीन ऐसी संदत्त या निक्षिप्त कुल राशि में से उतनी कटौती का हकदार होगा, जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान कर से प्रभार्य निर्धारिती की कुल आय से अधिक नहीं है ।";

(घ) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(5) जहां उपधारा (2) के खंड (i) से खंड (xvii) में निर्दिष्ट किसी राशि का योग अस्सी हजार रुपए की रकम से अधिक है वहां उपधारा (1) के अधीन कटौती ऐसे योग के उतने भाग के प्रतिनिर्देश से अनुज्ञात की जाएगी जो अस्सी हजार रुपए की रकम से अधिक नहीं है :

परंतु यह कि जहां उपधारा (2) के खंड (i) से खंड (xv) में निर्दिष्ट किसी राशि का योग साठ हजार रुपए की रकम से अधिक है वहां उपधारा (1) के अधीन कटौती ऐसे योग के उतने भाग के प्रतिनिर्देश से अनुज्ञात की जाएगी जो साठ हजार रुपए की रकम से अधिक नहीं है :

परंतु यह और कि जहां उपधारा (2) के खंड (xv) में निर्दिष्ट किसी राशि का योग बीस हजार रुपए की रकम से अधिक है वहां उपधारा (1) के अधीन कटौती ऐसे योग के उतने भाग के प्रतिनिर्देश से अनुज्ञात की जाएगी जो बीस हजार रुपए की रकम से अधिक नहीं है ।";

(ङ) उपधारा (5क) का लोप किया जाएगा ;

(च) उपधारा (6) का लोप किया जाएगा ।

धारा 89 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 89 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी और 1 अप्रैल, 1996 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

उस दशा में राहत, जिसमें वेतन आदि का संदाय बकाया या अग्रिम के रूप में किया जाता है ।

"89. जहां कोई निर्धारिती वेतन के रूप में कोई ऐसी राशि प्राप्त करता है, जिसका संदाय बकाया या अग्रिम के रूप में किया जाता है या किसी एक वित्तीय वर्ष में बारह मास से अधिक के लिए वेतन या ऐसा संदाय प्राप्त करता है, जो धारा 17 के खंड (3) के उपबंधों के अधीन वेतन के बदले में लाभ है या धारा 57 के खंड (iiक) के स्पष्टीकरण में परिभाषित कुटुंब पेंशन के रूप में कोई राशि प्राप्त करता है, जिसका संदाय बकाया के रूप में किया जाता है, जिसके कारण उसकी कुल आय उस दर से उच्चतर दर पर निर्धारित की जाती है, जिससे वह अन्यथा निर्धारित की जाती, वहां निर्धारण अधिकारी, उसे इस निमित्त किए गए आवेदन पर ऐसी राहत दे सकेगा, जो विहित की जाए ।"।

धारा 92 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 92 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों से आय की संगणना।

"92. (1) किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से प्रोद्भूत होने वाली किसी आय की संगणना असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार से प्रोद्भूत किसी व्यय या ब्याज के लिए मोक का अवधारण भी असन्निकट कीमत को ध्यान में रख कर किया जाएगा ।

(2) जहां किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार में दो या अधिक सहयुक्त उद्यम ऐसे किसी एक या अधिक उद्यमों को उपलब्ध कराए गए या उपलब्ध कराए जाने वाले किसी फायदे, सेवा या सुविधा के संबंध में उपगत किए गए या उपगत किए जाने वाले किसी खर्च या व्यय के, यथास्थिति, आबंटन या प्रभाजन के लिए या उसमें किसी अंशदान के लिए कोई पारस्परिक करार या ठहराव करते हैं वहां ऐसे किसी उद्यम को, यथास्थिति, आबंटित या प्रभाजित या उसके द्वारा अंशदान किए गए खर्च या व्यय का अवधारण, यथास्थिति, ऐसे फायदे, सेवा या सुविधा की असन्निकट कीमत को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा ।

(3) इस धारा के उपबंध ऐसे किसी मामले में लागू नहीं होंगे जिनमें उपधारा (1) के अधीन आय की संगणना या उस उपधारा के अधीन किसी व्यय या ब्याज के लिए मोक का अवधारण या उपधारा (2) के अधीन, यथास्थिति, आबंटित या प्रभाजित या अंशदान किए गए किसी खर्च या व्यय का अवधारण करने का प्रभाव उस पूर्ववर्ष की बाबत, जिसमें अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार का करार किया गया था, लेखा बहियों में की गई प्रविष्टियों के आधार पर संगणित, यथास्थिति, कर से प्रभार्य आय को कम करना या हानि को बढ़ाना है ।"।

धारा 92क का संशोधन।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 92क की उपधारा (2) में, "(2) दो उद्यम, सहयुक्त उद्यम समझे जाएंगे, यदि पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय,—", कोष्ठकों, अंक और शब्दों के स्थान पर "(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, दो उद्यम, सहयुक्त उद्यम समझे जाएंगे, यदि पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय,—" कोष्ठक, अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 92ग का संशोधन।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 92ग में,—

(क) उपधारा (2) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां एक से अधिक कीमत का अवधारण सर्वाधिक उपयुक्त रीति से किया जाता है, वहां असन्निकट कीमत को, या निर्धारिती के विकल्प पर ऐसी कीमत को, जो ऐसी अंकगणितीय औसत के पांच प्रतिशत से अनधिक रकम द्वारा अंकगणितीय औसत से भिन्न हो, ऐसी कीमत का अंकगणितीय औसत माना जाएगा ।";

(ख) उपधारा (4) के दूसरे परंतुक में, "अधीन कर की कटौती कर ली गई है" शब्दों के पश्चात्, "या कटौती-योग्य थी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 92च का संशोधन।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 92च में,—

(क) खंड (iii) में, "या जो किसी भी प्रकार की सेवाओं" शब्दों के पश्चात्, "या किसी संविदा के अनुसरण में किसी कार्य के करने में," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(iiiक) खंड (iii) में निर्दिष्ट "स्थायी स्थापन" के अंतर्गत कारबार का ऐसा निश्चित स्थान है जहां से उद्यम का कारबार पूर्णतः या भागतः चलाया जाता है ;';

(ग) खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(iv) "विनिर्दिष्ट तारीख" का वही अर्थ है जो धारा 139 की उपधारा (1) के नीचे स्पष्टीकरण 2 में, "निश्चित तारीख" का है ;'।

धारा 113 का संशोधन।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 113 में, निम्नलिखित परंतुक 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह कि इस धारा के अधीन प्रभार्य कर में किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा उद्‌गृहीत किया गया अधिभार, यदि कोई हो, की वृद्धि की जाएगी, जो उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष में लागू होगी जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ की जाती है या धारा 132क के अधीन उसकी अध्यपेक्षा की जाती है ।"।

धारा 115क का संशोधन ।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) में, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न" शब्दों, अंकों और अक्षर का, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ।

धारा 115कग का संशोधन ।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 115कग में,—

(क) "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न" शब्दों, अंकों और अक्षर का, जहां-जहां वे आते हैं, 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (1) के खंड (ख) में,—

(i) उपखंड (iii) में, "पुनः जारी" शब्दों के स्थान पर, "जारी या पुनः जारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (iv) का लोप किया जाएगा ।

धारा 115कगक का संशोधन ।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 115कगक में, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न" शब्दों, अंकों और अक्षर का, जहां-जहां वे आते हैं, 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ।

धारा 115कघ का संशोधन ।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों के रूप में आय से भिन्न" शब्दों, अंकों और अक्षर का, 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ।

नई धारा 115खखख का अंतःस्थापन ।

46. आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 में, धारा 115खखक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की खुली साधारण शेयरोन्मुखी निधि या पारस्परिक निधि के यूनिटों से आय पर कर।

"115खखख. (1) जहां निर्धारिती की कुल आय में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की खुली साधारण शेयरोन्मुखी निधि या पारस्परिक निधि के यूनिटों से कोई आय सम्मिलित है वहां संदेय आय-कर निम्नलिखित का योग होगा—

(क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट की खुली साधारण शेयरोन्मुखी निधि या पारस्परिक निधि के यूनिटों से आय पर दस प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर की रकम ; और

(ख) आय-कर की ऐसी रकम जिससे निर्धारिती तब प्रभार्य होता जब उसकी कुल आय को खंड (क) में निर्दिष्ट आय की रकम से घटा दिया होता ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात भारतीय यूनिट ट्रस्ट की खुली साधारण शेयरोन्मुखी निधि या पारस्परिक निधि के यूनिटों से 31 मार्च, 2003 के पश्चात् प्रोद्‌भूत किसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "पारस्परिक निधि", "खुली साधारण शेयरोन्मुखी निधि" और "भारतीय यूनिट ट्रस्ट" पदों के वे ही अर्थ हैं जो धारा 115न के स्पष्टीकरण में क्रमशः उनके हैं ।"।

धारा 115ग का संशोधन ।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 115ग के खंड (ग) में, "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न" शब्दों, अंकों और अक्षर का 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ।

धारा 115जक का संशोधन ।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 115जक की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में, खंड (iii) और उसके स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 1997 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) बहियों के अनुसार हानि की रकम जो अग्रनीत की जाती है या शेष अवक्षयण, इनमें से जो भी कम हो ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) हानि में अवक्षयण सम्मिलित नहीं होगा ;

(ख) इस खंड के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि हानि की रकम, जो अग्रनीत की जाती है या शेष अवक्षयण शून्य है ; या"।

धारा 115जख का संशोधन ।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 115जख में,—

(क) उपधारा (1) में, "वहां उस सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए संदेय कर बही लाभ का साढ़े सात प्रतिशत समझा जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "वहां ऐसा बही लाभ निर्धारिती की कुल आय समझा जाएगा और ऐसी कुल आय पर निर्धारिती द्वारा संदेय कर साढ़े सात प्रतिशत की दर से आय-कर की रकम होगी" शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2001 से रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, दूसरे परंतुक के नीचे स्पष्टीकरण में,—

(i) खंड (ख) में, "चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों," शब्दों के पश्चात्, "धारा 33कग के अधीन विनिर्दिष्ट किसी आरक्षिति से भिन्न" शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (i) और परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 2001 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:––

"(i) किसी आरक्षिती या व्यवस्था से वापस ली गई रकम (लाभ-हानि लेखे में विकलन के रूप से अन्यथा, 1 अप्रैल, 1997 से पूर्व सृजित किसी आरक्षिति को छोड़कर) यदि ऐसी कोई रकम लाभ हानि लेखे में जमा की जाती है :

परंतु जहां यह धारा किसी पूर्ववर्ष में किसी निर्धारिती को लागू होती है वहां 1 अप्रैल, 1997 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में सृजित आरक्षितियों में से या की गई व्यवस्थाओं में से वापस ली गई रकम को बही लाभ में से तभी घटाया जाएगा जब उन आरक्षितियों या व्यवस्थाओं को (जिनमें से उक्त रकम वापस ली गई थी), यथास्थिति, इस स्पष्टीकरण या धारा 115ञक के दूसरे परंतुक के नीचे स्पष्टीकरण के अधीन से वर्ष में बही लाभ से जोड़ा गया है ; या" ;

(iii) खंड (iii) और स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 2001 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :––

"(iii) हानि की रकम जो अग्रनीत की जाती है या लेखा बहियों के अनुसार शेष अवक्षयण, इनमें से जो भी कम हो ।

स्पष्टीकरण––इस खंड के प्रयोजनों के लिए,––

(क) हानि में अवक्षयण सम्मिलित नहीं होगा ;

(ख) इस खंड के उपबंध लागू नहीं होंगे यदि अग्रनीत की गई हानि की रकम या शेष अवक्षयण शून्य है ; या"।

धारा 115ण का संशोधन ।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (1) में, "1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्" अंकों और शब्दों के पश्चात् "किंतु 31 मार्च, 2002 को या उससे पूर्व" शब्द और अंक, 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 115द का संशोधन ।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 115द में, 1 अप्रैल, 2003 से,––

(क) उपधारा (1) में, "भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित की गई आय की कोई रकम" शब्दों के स्थान पर, "किसी पारस्परिक निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को 31 मार्च, 2002 को या उससे पूर्व वितरित की गई आय की कोई रकम" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "पारस्परिक निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित की गई आय की कोई रकम" शब्दों के स्थान पर, "भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा अपने यूनिट धारकों को 31 मार्च, 2002 को या उससे पूर्व वितरित की गई आय की कोई रकम" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 119 का संशोधन।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 119 की उपधारा (2) के खंड (क) में, "155" अंकों और अक्षर के पश्चात्, "158खचक" अंक और अक्षर, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 132 का संशोधन।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 132 में, 1 जून, 2002 से,––

(क) उपधारा (1) में खंड (iiक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :––

2000 का 21

"(iiख) किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके कब्जे में या नियंत्रण में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में यथापरिभाषित लेखा की कोई पुस्तकें या अन्य दस्तावेज जो इलेक्ट्रानिक लेखों के रूप में रखे जाते हैं, प्राधिकृत अधिकारी को, लेखा की ऐसी पुस्तकें या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने की आवश्यक सुविधा देने की अपेक्षा की जाएगी ;";

(ख) उपधारा (5) से उपधारा (7) का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (8) में, "अभिग्रहण की तारीख से एक सौ अस्सी दिन" शब्दों के स्थान पर, "धारा 158खग के खंड (ग) के अधीन निर्धारण आदेश की तारीख से तीस दिन" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (8क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :––

"(8क) उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश, आदेश की तारीख से साठ दिन से अधिक की कालावधि के लिए प्रवृत्त नहीं होगा।";

(ङ) उपधारा (9क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :––

"(9क) जहां प्राधिकृत अधिकारी को उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति पर कोई अधिकारिता नहीं है, वहां प्राधिकृत अधिकारी उस उपधारा के अधीन अभिगृहीत लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज या कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज (जिन्हें धारा 132क और धारा 132ख में आस्तियां कहा गया है) उस व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को ऐसी तारीख से जिसको तलाशी का अंतिम प्राधिकार निष्पादित किया गया था, साठ दिन की कालावधि के भीतर सौंप देगा और तदुपरि उपधारा (8) या उपधारा (9) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां ऐसे निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाएंगी ।";

(च) उपधारा (11), उपधारा (11क) और उपधारा (12) का लोप किया जाएगा ;

(छ) उपधारा (14) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण 1 के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :––

'**स्पष्टीकरण 1**––उपधारा (9क) के प्रयोजनों के लिए, "तलाशी के किसी प्राधिकार का निष्पादन" पद का वहीं अर्थ होगा जो धारा 158खङ के स्पष्टीकरण 2 में है ।'।

धारा 132ख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 132ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा, 1 जून, 2002 से रखी जाएगी, अर्थात् :––

अभिगृहीत या अपेक्षित आस्तियों का उपयोजन।

'132ख. (1) धारा 132 के अधीन अभिगृहीत या धारा 132क के अधीन अपेक्षित आस्तियों को निम्नलिखित रीति में व्यवहृत किया जा सकेगा, अर्थात् :––

1957 का 27
1987 का 35
1958 का 18
1974 का 45

(i) इस अधिनियम, धन-कर अधिनियम, 1957, व्यय-कर अधिनियम, 1987, दान कर अधिनियम, 1958 और ब्याज-कर अधिनियम, 1974 के अधीन विद्यमान किसी दायित्व की रकम और ब्लाक अवधि के लिए अध्याय 14ख के अधीन निर्धारण के पूरा होने पर अवधारित दायित्व की रकम (जिसमें ऐसे निर्धारण के संबंध में उद्गृहीत कोई आस्ति या संदेय ब्याज

सम्मिलित है) तथा जिनके बारे में ऐसा व्यक्ति व्यतिक्रमी है या व्यतिक्रम करने वाला समझा जाता है, ऐसी आस्तियों से वसूल की जा सकेगी:

परंतु जहां ऐसी किसी आस्ति के अर्जन की प्रकृति और स्रोत को निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में स्पष्ट कर दिया जाता है वहां इस खंड में निर्दिष्ट किसी विद्यमान दायित्व की रकम की वसूली ऐसी आस्ति में से की जा सकेगी और आस्ति का शेष भाग, यदि कोई है, मुख्य आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाएगा जिसकी अभिरक्षा से वे आस्तियां अभिगृहीत की गई थीं :

परंतु यह और कि ऐसी आस्ति या उसके किसी भाग को जो पहले परंतुक में निर्दिष्ट किया गया है उस तारीख से, जिसको, यथास्थिति, धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकार या धारा 132क के अधीन अपेक्षा निष्पादित की गई थी, एक सौ बीस दिन की अवधि के भीतर दे दिया जाएगा ;

(ii) यदि आस्तियां मात्र धन या भागतः धन और भागतः अन्य आस्तियों के रूप में है तो निर्धारण अधिकारी ऐसे धन का उपयोजन खंड (i) में निर्दिष्ट दायित्वों के निर्वहन में कर सकेगा और निर्धारिती इस प्रकार उपयोजित धन के परिमाण तक ऐसे दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा ;

(iii) धन से भिन्न आस्तियों का उपयोजन खंड (i) में निर्दिष्ट किसी ऐसे दायित्व के निर्वहन के लिए भी किया जा सकेगा जो अनिर्वहित रह जाए और इस प्रयोजन के लिए आस्तियां करस्थम् के अधीन समझी जाएंगी मानो ऐसा करस्थम्, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी द्वारा धारा 226 की उपधारा (5) के अधीन मुख्य आयुक्त या आयुक्त के प्राधिकार से प्रभावी किया गया था और, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी, ऐसे दायित्वों की रकम को ऐसी आस्तियों के विक्रय द्वारा वसूल कर सकेगा और ऐसा विक्रय तृतीय अनुसूची में अभिकथित रीति से किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात इस अधिनियम में अधिकथित किसी अन्य ढंग से पूर्वोक्त दायित्वों की रकम की वसूली को प्रवारित नहीं करेगी ।

(3) कोई आस्तियां या उनके आगम जो उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट दायित्वों के निर्वहन के पश्चात् बाकी रहते हैं, तत्काल उस व्यक्ति को दे दिए या संदत्त कर दिए जाएंगे जिसकी अभिरक्षा से वे आस्तियां अभिगृहीत की गई थीं ।

(4)(क) केंद्रीय सरकार, उतनी रकम पर, जितने से उपधारा (1) के खंड (i) के वर्तमान परंतुक के अधीन दी गई धन की रकम से, यदि कोई हो, घटा कर आए धारा 132 के अधीन अभिगृहीत या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित धन और उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट विद्यमान दायित्व के निर्वहन के लिए बेची गई आस्तियों के आगमों का, यदि कोई हों, योग, इस धारा की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट दायित्वों को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकमों के योग से अधिक है, आठ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेगी ;

(ख) ऐसा ब्याज उस तारीख से, जिसको धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकार या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा निष्पादित की गई थी, एक सौ बीस दिन की कालावधि की समाप्ति से ठीक बाद की तारीख से अध्याय 14ख के अधीन निर्धारण के पूरा होने की तारीख तक चलेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में,—

(i) "ब्लाक अवधि" का वही अर्थ है जो धारा 158ख के खंड (क) में है ;

(ii) "तलाशी या अध्यपेक्षा के लिए प्राधिकार का निष्पादन" का वही अर्थ है जो धारा 158खङ के स्पष्टीकरण 2 में है।'।

धारा 133क का संशोधन ।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 133क में, 1 जून, 2002 से ,—

(क) उपधारा (3) में, खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iक) अपने द्वारा निरीक्षित किसी लेखा पुस्तक या अन्य दस्तावेज को, ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे, परिबद्ध कर सकेगा और अपनी अभिरक्षा में रख सकेगा :

परंतु ऐसा आय-कर प्राधिकारी,—

(क) किसी लेखा पुस्तक या अन्य दस्तावेज को, ऐसा करने के अपने कारणों को अभिलिखित किए बिना, परिबद्ध नहीं करेगा, या

(ख) उसके लिए, यथास्थिति, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक या आयुक्त या निदेशक के अनुमोदन प्राप्त किए बिना पंद्रह दिन से अधिक अवधि के लिए (अवकाशों को छोड़कर) ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों को अपनी अभिरक्षा में नहीं रखेगा। ";

(ख) उपधारा (4) में, "कोई लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें या" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 139 का संशोधन।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 139 में,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'(1क) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा कोई व्यक्ति जो कोई व्यष्टि है और जो "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय प्राप्त करता है, अपने विकल्प पर ऐसी स्कीम के अनुसार, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए, और ऐसी शर्तों के अधीन जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, अपने नियोजक को किसी पूर्ववर्ष में अपनी आय की विवरणी देगा और ऐसा नियोजक नियत तारीख से या उससे पूर्व उसके द्वारा प्राप्त आय की सभी विवरणियां ऐसे प्ररूप में (जिसके अंतर्गत किसी फ्लापी, डिस्कैट, चुंबकीय कार्ट्रिज टेप, सीडी-रोम या किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय मीडिया सम्मिलित है) और ऐसी रीति में जो उस स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, देगा और ऐसी दशा में, किसी कर्मचारी के बारे में जिसने अपने नियोजक को अपनी आय की विवरणी फाइल की है, उपधारा (1) के अधीन यह समझा जाएगा कि उसने आय की विवरणी दे दी है तथा तदनुसार इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे ।';

(ख) उपधारा (4ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4ग)(क) धारा 10 के खंड (21) में निर्दिष्ट प्रत्येक वैज्ञानिक अनुसंधान संगम ;

(ख) धारा 10 के खंड (22ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक समाचार एजेंसी ;

(ग) धारा 10 के खंड (23क) में निर्दिष्ट प्रत्येक संगम या संस्था ;

(घ) धारा 10 के खंड (23ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक संस्था ;

(ङ) धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट प्रत्येक निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट प्रत्येक न्यास या संस्था या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट प्रत्येक कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट प्रत्येक कोई अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था ;

(च) धारा 10 के खंड (24) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यवसाय संघ या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक संगम,

यदि ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, समाचार एजेंसी, संगम या संस्था, निधि या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्तपताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था या व्यवसाय संघ के संबंध में कुल आय, जो धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना निर्धारणीय है, उस अधिकतम रकम से अधिक है जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, तो पूर्ववर्ष की ऐसी आय की विवरणी जो विहित रूप में और विहित रीति से सत्यापित हो और उसमें ऐसी विशिष्टियां दी गई हों जो विहित की जाएं, प्रस्तुत करेगा तथा इस अधिनियम के सभी उपबंध, जहां तक हो सके, वैसे ही लागू होंगे जैसे वह उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई विवरणी हो ।";

(ग) उपधारा (9) में स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में, निम्नलिखित परन्तुक, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां विवरणी के साथ ऐसे कर का, यदि कोई हो, जिसके स्रोत पर काटे जाने का दावा किया गया है, सबूत नहीं है, वहां ऐसी आय की विवरणी को त्रुटिपूर्ण विवरणी नहीं समझा जाएगा, यदि,—

(क) धारा 203 के अधीन कटौती किए गए कर का कोई प्रमाणपत्र अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को नहीं दिया गया था ;

(ख) ऐसा प्रमाणपत्र धारा 155 की उपधारा (14) के अधीन विनिर्दिष्ट दो वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाता है।"।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 143 में,— धारा 143 का संशोधन।

(क) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा, 1 जून, 2002 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) जहां धारा 139 के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना के उत्तर में कोई विवरणी दी गई है, वहां निर्धारण अधिकारी,—

(i) जहां उसका यह विश्वास करने का कारण है कि विवरणी में दी गई किसी हानि, छूट, कटौती, मोक या अनुतोष का कोई दावा अननुज्ञेय है, वहां वह निर्धारिती को एक सूचना तामील करेगा जिसमें हानि, छूट, कटौती, मोक या अनुतोष के ऐसे दावे की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट की जाएंगी और उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली किसी तारीख को, यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उसमें विनिर्दिष्ट किसी साक्ष्य या विशिष्टियां, जिन पर निर्धारिती अपने दावे के समर्थन में निर्भर करता है, पेश करे या करवाए ;

(ii) खंड (i) में किसी बात के होते हुए भी, यदि वह यह सुनिश्चित करना आवश्यक या समीचीन समझता है कि निर्धारिती ने कम आय का विवरण नहीं दिया है या आधिक्य हानि संगणित नहीं की है या किसी रीति में कम कर संदत्त नहीं किया गया है, निर्धारिती को एक सूचना की तामील करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को उसके कार्यालय में या तो उपस्थित हो या वहां ऐसे साक्ष्य को, जिस पर निर्धारिती उस विवरणी के समर्थन में निर्भर करता है, पेश करे या करवाए :

परंतु यह कि इस उपधारा के अधीन निर्धारिती पर किसी सूचना की तामील उस मास के अंत से जिसमें विवरणी पेश की जाती है, बारह मास के अवसान के पश्चात् नहीं की जाएगी ।";

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा, 1 जून, 2002 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) सूचना में विनिर्दिष्ट दिन को,—

(i) जो उपधारा (2) के खंड (i) के अधीन जारी की गई है या ऐसे साक्ष्य की सुनवाई के यावतशक्य पश्चात् और ऐसी विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें निर्धारिती पेश करे, निर्धारण अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट दावे या दावों को मंजूर या खारिज करेगा और तदनुसार कुल आय या हानि का अवधारण करते हुए निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय राशि का अवधारण करेगा ;

(ii) जो उपधारा (2) के खंड (ii) के अधीन जारी की गई है या उसके ऐसे साक्ष्य की सुनवाई के यावतशक्य पश्चात्, जिन्हें निर्धारिती पेश करे और ऐसा अन्य साक्ष्य जिसकी निर्धारण अधिकारी विनिर्दिष्ट बिंदु पर अपेक्षा करे, और सभी सुसंगत बातों को ध्यान में रखने के पश्चात् जो उसने एकत्रित की है, निर्धारण अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा संदेय राशि या उसको देय किसी रकम के प्रतिदाय की राशि का अवधारण करेगा ।";

(ग) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह कि —

(क) धारा 10 के खंड (21) में निर्दिष्ट वैज्ञानिक अनुसंधान संगम ;

(ख) धारा 10 के खंड (22ख) में निर्दिष्ट समाचार एजेंसी ;

(ग) धारा 10 के खंड (23क) में निर्दिष्ट संगम या संस्था ;

(घ) धारा 10 के खंड (23ख) में निर्दिष्ट संस्था ;

(ङ) धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट कोई अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था,

जिससे धारा 139 की उपधारा (4ग) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है, ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, समाचार एजेंसी, संगम या संस्था या निधि या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की कुल आय या हानि के निर्धारण करने का कोई आदेश निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि—

(i) निर्धारण अधिकारी ने, जहां उसकी राय में ऐसा उल्लंघन हुआ है, केन्द्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी को, ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, समाचार एजेंसी, संगम या संस्था या निधि या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा, यथास्थिति, धारा 10 के खंड (21) या खंड (22ख) या खंड (23क) या खंड (23ख) या खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के उपबंधों का उल्लंघन की सूचना न दी हो ; और

(ii) ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान संगम या अन्य संगम या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को प्रदत्त अनुमोदन वापस न ले लिया गया हो या ऐसे समाचार एजेंसी, या निधि, या न्यास या संस्था की बाबत जारी की गई अधिसूचना का उक्त सूचना के अनुसरण में विखंडन न कर दिया गया हो ।"।

धारा 153 का संशोधन।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण 1 में खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiक) उस तारीख से प्रारंभ होने वाली, जिसको निर्धारण अधिकारी, केन्द्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी को, धारा 143 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (i) के अधीन धारा 10 के खंड (21) या खंड (22ख) या खंड (23क) या खंड (23ख) या खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के उपबंधों के उल्लंघन की सूचना देता है और उस तारीख को समाप्त होने वाली, जिसको उन खंडों के अधीन, यथास्थिति, अनुमोदन को वापस लेने के आदेश या अधिसूचना के विखंडन की प्रति निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाती है, की अवधि ;"।

धारा 155 का संशोधन।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 155 में, उपधारा (13) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित उपधारा, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(14) जहां किसी पूर्ववर्ष के लिए निर्धारण में या किसी पूर्ववर्ष के लिए धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना या समझी गई सूचना में, धारा 199 के उपबंधों के अनुसार कटौती किए गए कर के लिए प्रत्यय इस आधार पर नहीं दिया गया है कि धारा 203 के अधीन दिया गया प्रमाणपत्र विवरणी के साथ फाइल नहीं किया गया था और तत्पश्चात् ऐसा प्रमाणपत्र उस निर्धारण वर्ष के अंत से जिसमें ऐसी आय निर्धारणीय है, दो वर्ष के भीतर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश कर दिया जाता है, वहां निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, निर्धारण आदेश या धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना या समझी गई सूचना का संशोधन करेगा और धारा 154 के उपबंध, जहां तक हो सके, उसको लागू होंगे :

परंतु यह कि इस उपधारा की कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक उस आय को जिससे कर की कटौती कर ली गई है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारिती द्वारा फाइल की गई आय-कर विवरणी में प्रकट नहीं कर दिया जाता है ।

(15) जहां किसी वर्ष के लिए निर्धारण में, किसी पूंजी आस्ति के, जो भूमि या भवन या दोनों हैं अंतरण से प्रोद्भूत पूंजी अभिलाभ की संगणना, धारा 50ग की उपधारा (1) के अनुसार स्टाम्प शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकार या निर्धारित किए जाने वाले मूल्य के रूप में अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उद्भूत होने वाले प्रतिफल के पूर्ण मूल्य को लेकर की जाती है और बाद में, उस धारा की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी अपील या पुनरीक्षण या निर्देश में ऐसा मूल्य, पुनरीक्षित कर दिया जाता है, वहां निर्धारण अधिकारी, निर्धारण के आदेश को संशोधित करेगा, जिससे कि ऐसी अपील या पुनरीक्षण या निर्देश में इस प्रकार पुनरीक्षित मूल्य के रूप में प्रतिफल के पूर्ण मूल्य को लेकर पूंजी अभिलाभ की संगणना की जा सके; और धारा 154 के उपबंध, जहां तक संभव हो सकें, उसको लागू होंगे तथा चार वर्ष की अवधि की गणना उस पूर्व वर्ष की समाप्ति से की जाएगी, जिसमें मूल्य का पुनरीक्षण करने वाला आदेश उस अपील या पुनरीक्षण या निर्देश में पारित किया गया था। " ।

धारा 158क का संशोधन ।

60. आय-कर अधिनियम की धारा 158क में, 1 जून, 2002 से ,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "धारा 257 के अधीन किसी निर्देश पर या धारा 261 के अधीन अपील में उच्चतम न्यायालय के समक्ष" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 257 के अधीन किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष या धारा 260क के अधीन अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष या धारा 261 के अधीन अपील में उच्चतम न्यायालय के समक्ष" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) "धारा 256 के अधीन उच्च न्यायालय के या धारा 257 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्देश के लिए अथवा धारा 261 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 260क के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में अथवा धारा 261 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (4) के खंड (ख) में, "धारा 256 के अधीन उच्च न्यायालय के या धारा 257 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्देश के लिए अथवा धारा 261 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 260क के अधीन उच्च न्यायालय के या धारा 261 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 158ख का संशोधन ।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 158ख के खंड (ख) में, "जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रकट नहीं की गई है, या नहीं की गई होती आय" शब्दों के पश्चात्, "या इस अधिनियम के अधीन दावाकृत कोई व्यय, कटौती या भत्ता जो मिथ्या पाया जाता है" शब्द, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 158खख का संशोधन ।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 158खख की उपधारा (1) में, 1 जून, 2002 से,—

(i) "जो लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों" शब्दों से आरंभ होने वाले तथा "अध्याय 4 के उपबंधों के अनुसार" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "जो लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों और ऐसी अन्य सामग्री या जानकारी की, जो निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध हो और ऐसे साक्ष्य से संबंधित हो, तलाशी या अपेक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त साक्ष्य के आधार पर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) में, "पूरे किए गए हैं" शब्दों के स्थान पर "तलाशी के प्रारंभ की तारीख से या अध्यपेक्षा की तारीख से पहले पूरे किए गए हैं" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (ख) में, "या धारा 147 के अधीन" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 148 के अधीन जारी किए गए किसी सूचना की प्रतिक्रिया में" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(iv) खंड (ग) के स्थान, पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(ग) जहां आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख समाप्त हो गई है किन्तु आय की कोई विवरणी फाइल नहीं की गई है,—

(अ) तलाशी या अपेक्षा की तारीख को या उसके पूर्व सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों में यथाअभिलिखित प्रविष्टियों के आधार पर, जहां ऐसी प्रविष्टियां ब्लाक अवधि के अंतर्गत आने वाले किसी पूर्व वर्ष के लिए हानि की संगणना के परिणामस्वरूप हैं ; या

(आ) तलाशी या अपेक्षा की तारीख को या उसके पूर्व सामान्य अनुक्रम में रखी गई लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों में यथाअभिलिखित प्रविष्टियों के आधार पर, जहां ऐसी आय उस अधिकतम रकम से अधिक नहीं है जो ब्लाक अवधि के अंतर्गत आने वाले किसी पूर्ववर्ष के लिए कर से प्रभार्य नहीं है ;

(गक) जहां खंड (ग) के अधीन न आने वाले मामलों में आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख समाप्त हो गई है किन्तु आय की कोई विवरणी फाइल नहीं की गई है वहां, शून्य के रूप में ।";

(v) स्पष्टीकरण में, खंड (क) में,—

(i) "अध्याय 4" शब्द और अंक के स्थान पर, "इस अधिनियम" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) इस प्रकार संशोधित स्पष्टीकरण के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह कि उक्त संकलन के प्रयोजनों के लिए अध्याय 6क के अधीन कटौतियों की संगणना करने में अध्याय 6 के अधीन अग्रनीत हानियों या धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन अनामेलित अवक्षयण को मुजरा देने के लिए प्रभावी किया जाएगा;"।

धारा 158खग का संशोधन ।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 158खग में, 1 जून, 2002 से,—

(क) खंड (ख) में, "और धारा 144" शब्दों और अंकों के स्थान पर "धारा 144 और धारा 145" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) धारा 132 के अधीन अभिगृहीत या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित आस्तियों का धारा 132ख के उपबंधों के अनुसार निपटारा किया जाएगा ।"।

धारा 158खघ का संशोधन ।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 158खघ में, "और वह निर्धारण अधिकारी" शब्दों के पश्चात्, "धारा 158खग के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 158खङ का संशोधन ।

65. आय-कर अधिनियम की धारा 158खङ में, स्पष्टीकरण 1 के स्थान पर निम्नलिखित 1 जून, 2002 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 1**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए परिसीमा की अवधि की संगणना करने में,—

(i) वह अवधि, जिसके दौरान निर्धारण कार्यवाही किसी न्यायालय के आदेश या व्यादेश द्वारा रोकी जाती है ; या

(ii) वह अवधि, जो उस दिन से प्रारंभ होती है जिसको निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती को धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन अपनी लेखाओं की संपरीक्षा कराने के लिए निदेश देता है और जो उस दिन को समाप्त होती है जिसको निर्धारिती से उस उपधारा के अधीन ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट देने की अपेक्षा की जाती है ; या

(iii) धारा 129 के परंतुक के अधीन संपूर्ण कार्यवाही या उसका कोई भाग फिर से आरंभ किए जाने या निर्धारिती को पुनःसुनवाई किए जाने का अवसर दिए जाने में व्यतीत समय ; या

(iv) उस मामले में जहां धारा 245ग के अधीन समझौता आयोग के समक्ष किया गया आवेदन उसके द्वारा निरस्त किया जाता है या उसके द्वारा कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है वहां वह अवधि, जो उस दिन से प्रारंभ होती है जिसको आवेदन किया जाता है और उस दिन को समाप्त होती है जिसको धारा 245घ की उपधारा (1) के अधीन आदेश उस धारा की उपधारा (2) के अधीन आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है,

अपवर्जित की जाएगी :

परंतु जहां पूर्वोक्त अवधि का अपवर्जन किए जाने के ठीक पश्चात् धारा 158खग के खंड (ग) के अधीन कोई आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी को उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट परिसीमा की उपलब्ध अवधि साठ दिन से कम है तो ऐसी शेष अवधि का साठ दिन तक विस्तार किया जाएगा और पूर्वोक्त परिसीमा की अवधि तद्नुसार विस्तारित की गई समझी जाएगी ।"।

नई धारा 174क का अंतःस्थापन।

66. आय-कर अधिनियम के अध्याय 15 में, धारा 174 के पश्चात् और "ट—अपनी आस्तियों को अन्यसंक्रांत करने की चेष्टा करने वाले व्यक्ति" उपशीर्ष से पहले, निम्नलिखित उपशीर्ष और धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"टक--किसी विशिष्ट घटना या प्रयोजन के लिए बनाया गया व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति

किसी विशिष्ट घटना या प्रयोजन के लिए बनाए गए व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति का निर्धारण।

174क. धारा 4 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी विशिष्ट घटना या प्रयोजन के लिए बनाए गए या स्थापित या निगमित व्यक्तियों का कोई संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय या कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति के, किसी ऐसे निर्धारण वर्ष में, जिसमें ऐसा व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय या कोई कृत्रिम विधिक व्यक्ति, बनाया गया, स्थापित या निगमित किया गया था या ऐसे निर्धारण वर्ष के पश्चात् विघटित होने की संभावना है, वहां उस निर्धारण वर्ष के लिए, पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति से उसके विघटन की तारीख तक की अवधि के लिए, ऐसे व्यक्ति या निकाय या विधिक व्यक्ति की कुल आय, उस निर्धारण वर्ष में कर के लिए प्रभार्य होगी और धारा 174 की उपधारा (2) से उपधारा (6) तक के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे व्यक्ति के मामले में किन्हीं कार्यवाहियों को वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों की दशा में लागू होते हैं ।"।

धारा 190 का संशोधन।

67. आय-कर अधिनियम की धारा 190 में, "अग्रिम संदाय द्वारा" शब्दों के पश्चात्, "या धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन संदाय द्वारा" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 192 का संशोधन।

68. आय-कर अधिनियम की धारा 192 में, 1 जून, 2002 से,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(1क) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिलब्धियों के रूप में किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जो धारा 17 के खंड (2) में निर्दिष्ट धनीय संदाय के रूप में उपबंधित नहीं है, अपने विकल्प पर ऐसी संपूर्ण आय पर या उसके भाग के संबंध में उस समय जब ऐसा कर उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन अन्यथा कटौती योग्य था, उससे कोई कटौती किए बिना कर का संदाय कर सकेगा।

(1ख) उपधारा (1क) के अधीन कर का संदाय करने के प्रयोजन के लिए या, उपधारा (1क) में निर्दिष्ट आय सहित "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय पर वित्तीय वर्ष के लिए प्रवृत्त दरों के आधार पर संगणित आय-कर के औसत पर अवधारित किया जाएगा और इस प्रकार संदेय कर का यह अर्थ लगाया जाएगा मानो यह उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार "वेतन" शीर्ष के अधीन आय से स्रोत पर कटौती योग्य कर था और वह इस अध्याय के उपबंधों के अधीन होगा ।";

(ख) उपधारा (3) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, "या उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 193 का संशोधन।

69. आय-कर अधिनियम की धारा 193 के परंतुक में, खंड (v) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित खंड, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(vi) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम को ऐसी किन्हीं प्रतिभूतियों की बाबत, जिन पर उसका स्वामित्व है या जिसमें उसका पूर्ण फायदाग्राही हित है, संदेय कोई ब्याज ; या

1956 का 31

(vii) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीमों के आधार पर बनाए गए भारतीय साधारण बीमा निगम (जिसे इस खंड में इसके पश्चात् निगम कहा गया है) को या चार नई कंपनियों में से किसी को ऐसी किन्हीं प्रतिभूतियों की बाबत, जिन पर निगम या उस कंपनी का स्वामित्व है या जिनमें ऐसे निगम या ऐसी कंपनी का पूर्ण फायदाग्राही हित है, संदेय कोई ब्याज ; या

1972 का 57

(viii) किसी अन्य बीमाकर्ता को ऐसी किन्हीं प्रतिभूतियों की बाबत, जिन पर उसका स्वामित्व है या जिसमें उसका पूर्ण फायदाग्राही हित है, संदेय कोई ब्याज ।"।

धारा 194 का संशोधन।

70. आय-कर अधिनियम की धारा 194 में पहले और दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक, 1 जून, 2002 से रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह कि इस धारा के उपबंध, निम्नलिखित में जमा या संदत्त ऐसी आय को लागू होंगे,—

(क) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित भारतीय जीवन बीमा निगम को ऐसे किन्हीं शेयरों की बाबत, जिन पर उसका स्वामित्व है या जिसमें उसका पूर्ण फायदाग्राही हित है,

1956 का 31

(ख) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गई स्कीमों के आधार पर बनाए गए भारतीय साधारण बीमा निगम (जिसे इस परंतुक में इसके पश्चात् निगम कहा गया है) को या चार नई कंपनियों में से किसी को (जिसे इस परंतुक में इसके पश्चात् ऐसी कंपनी कहा गया है) ऐसे किन्हीं शेयरों की बाबत, जिन पर निगम या उस कंपनी का स्वामित्व है या जिनमें ऐसे निगम या ऐसी कंपनी का पूर्ण फायदाग्राही हित है,; या

1972 का 57

(ग) किसी अन्य बीमाकर्ता को ऐसे किन्हीं शेयरों की बाबत, जिन पर उसका स्वामित्व है या जिसमें उसका पूर्ण फायदाग्राही हित है ।"।

धारा 194क का संशोधन।

71. आय-कर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (1) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु ऐसा कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका कुल विक्रय, उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा ।"।

72. आय-कर अधिनियम की धारा 194ग की उपधारा (2) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 194ग का संशोधन।

"परंतु ऐसा कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका कुल विक्रय, उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसी रकम उपठेकेदार के खाते में जमा या संदत्त की जाती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा ।"।

73. आय-कर अधिनियम की धारा 194ज में, 1 जून, 2002 से,— धारा 194ज का संशोधन।

(क) "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "पांच प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक के पश्चात्, किंतु स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और ऐसा कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका कुल विक्रय, उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा कमीशन या दलाली जमा या संदत्त की जाती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा ।"।

74. आय-कर अधिनियम की धारा 194झ में, परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 194झ का संशोधन।

"परंतु यह और ऐसा कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका कुल विक्रय, उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें किराए के रूप में ऐसी आय जमा या संदत्त की जाती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा ।"।

75. आय-कर अधिनियम की धारा 194ञ में, उपधारा (1) में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 194ञ का संशोधन।

"परंतु यह और कि ऐसा कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका कुल विक्रय, उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें वृत्तिक सेवाओं और तकनीकी सेवाओं से फीस के रूप में ऐसी राशि जमा या संदत्त की जाती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा ।"।

76. आय-कर अधिनियम की धारा 194ट के स्थान पर निम्नलिखित धारा 1 जून, 2002 से रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 194ट के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

'194ट. जहां धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों की बाबत किसी निवासी को कोई आय संदेय है वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पाने वाले के खाते में ऐसी रकम जमा करते समय या नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो उसका संदाय करने के समय उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा। यूनिटों की बाबत आय।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

1963 का 52 (क) "भारतीय यूनिट ट्रस्ट" से भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अधीन स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट अभिप्रेत है ;

(ख) जहां पूर्वोक्त कोई आय, ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में किसी खाते में, चाहे वह "उचंत खाते" के नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, जमा की जाती है वहां ऐसा जमा किया जाना, पाने वाले के खाते में ऐसी रकम का जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।'।

77. आय-कर अधिनियम की धारा 195 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक का 1 जून, 2002 से लोप किया जाएगा । धारा 195 का संशोधन।

78. आय-कर अधिनियम की धारा 195क में, "जहां किसी करार के अधीन" शब्दों के स्थान पर, "धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट दशा से भिन्न किसी दशा में, जहां किसी करार के अधीन" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर, 1 जून, 2002 से रखे जाएंगे । धारा 195क का संशोधन।

79. आय-कर अधिनियम की धारा 196क की उपधारा (1) के परंतुक का, 1 जून, 2002 से लोप किया जाएगा । धारा 196क का संशोधन।

80. आय-कर अधिनियम की धारा 196ग के परंतुक का 1 जून, 2002 से लोप किया जाएगा । धारा 196ग का संशोधन।

81. आय-कर अधिनियम की धारा 196घ की उपधारा (1) के परंतुक का 1 जून, 2002 से लोप किया जाएगा । धारा 196घ का संशोधन।

82. आय-कर अधिनियम की धारा 197क में उपधारा (1क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 197क का संशोधन।

"(1ख) इस धारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क) में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी आय की रकम या ऐसी आयों की कुल रकम जो, उस पूर्व वर्ष के दौरान जिसमें ऐसी आय सम्मिलित की जानी है, जमा की गई हैं या संदाय की गई हैं या जमा किए जाने या संदाय किए जाने की संभावना है उस अधिकतम रकम से अधिक है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है ।"।

83. आय-कर अधिनियम की धारा 198 में, निम्नलिखित परन्तुक, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 198 का संशोधन।

"परंतु यह कि ऐसी राशि, जो किसी निर्धारिती की आय की संगणना करने के प्रयोजन के लिए धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन संदत्त कर है, प्राप्त हुई आय नहीं समझी जाएगी ।"।

धारा 199 का संशोधन। **84.** आय-कर अधिनियम की धारा 199 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) धारा 192 की उपधारा (1क) के अधीन निर्दिष्ट और केंद्रीय सरकार को संदत्त कोई राशि उस व्यक्ति की ओर से संदत्त कर समझी जाएगी जिसकी आय की बाबत कर का ऐसा संदाय कर दिया गया है और उस निर्धारण वर्ष के लिए जिसके लिए ऐसी आय निर्धारणीय है, इस अधिनियम के अधीन निर्धारण में धारा 203 के अधीन दिए गए प्रमाणपत्र को पेश करने पर इस प्रकार संदत्त राशि के लिए उसको मुजरा की जाएगी ।"।

धारा 200 का संशोधन। **85.** आय-कर अधिनियम की धारा 200 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) ऐसा व्यक्ति, जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कोई नियोजक है, कर का संदाय, विहित समय के भीतर केंद्रीय सरकार के खाते में या जैसा बोर्ड निर्दिष्ट करे, वैसा करेगा ।"।

धारा 201 का संशोधन। **86.** आय-कर अधिनियम की धारा 201 की उपधारा (1) में, "यदि ऐसा कोई व्यक्ति" शब्दों के पश्चात्, ", जो धारा 200 में निर्दिष्ट है," शब्द और अंक, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 203 का संशोधन। **87.** आय-कर अधिनियम की धारा 203 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा, 1 जनवरी, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कोई नियोजक है, ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, ऐसे व्यक्ति को जिसकी आय की बाबत कर का ऐसा संदाय कर दिया गया है, इस आशय का एक प्रमाणपत्र देगा कि केंद्रीय सरकार को कर संदत्त कर दिया गया है और इस प्रकार संदत्त राशि, वह दर जिस पर कर संदत्त किया गया है, और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट करेगा ।"।

नई धारा 206गक का अंतःस्थापन। **88.** आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कर-संग्रहण खाता संख्यांक। "206गक. (1) धारा 206ग के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, निर्धारण अधिकारी को कर-संग्रहण खाता संख्यांक आबंटन करने के लिए आवेदन करेगा।

(2) जहां किसी व्यक्ति को कोई कर-संग्रहण खाता संख्यांक आबंटित कर दिया गया है वहां ऐसा व्यक्ति ऐसे संख्यांक का निम्नलिखित में हवाला देगा,—

(क) धारा 206ग की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार किसी राशि के संदाय के लिए सभी चालानों में ;

(ख) धारा 206ग की उपधारा (5) के अधीन दिए गए सभी प्रमाणपत्रों में ;

(ग) किसी आय-कर प्राधिकारी को धारा 206ग की उपधारा (5क) या उपधारा (5ख) के उपबंधों के अनुसरण में प्रदत्त सभी विवरणियों में ; और

(घ) ऐसे संव्यवहारों से संबंधित सभी दस्तावेजों में जो राजस्व के हित में विहित किए जाएं ।"।

धारा 210 का संशोधन। **89.** आय-कर अधिनियम की धारा 210 की उपधारा (3) में "और उसने उपधारा (1) के अधीन अग्रिम कर का संदाय नहीं किया है" शब्दों, कोष्ठकों और अंक का, 1 जून, 2002 से लोप किया जाएगा ।

धारा 244क का संशोधन। **90.** आय-कर अधिनियम की धारा 244क में, उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) में, "तीन बटा चार प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "दो बटा तीन प्रतिशत" शब्द 1 जून, 2002 से रखे जाएंगे ।

धारा 245ग का संशोधन। **91.** आय-कर अधिनियम की धारा 245ग की उपधारा (1ङ) का, 1 जून, 2002 से लोप किया जाएगा ।

धारा 245घ का संशोधन। **92.** आय-कर अधिनियम की धारा 245घ में, 1 जून, 2002 से,—

(क) उपधारा (1) में, "समझौता आयोग आदेश द्वारा आवेदन पर कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा या आवेदन को नामंजूर कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर "समझौता आयोग, जहां संभव हो, उस मास के, जिसमें धारा 245ग के अधीन ऐसा आवेदन किया गया था, अंत से एक वर्ष की अवधि के भीतर आदेश द्वारा आवेदन को नामंजूर करेगा या आवेदन पर कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात करेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4क) समझौता आयोग, जहां संभव हो, उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किए गए प्रत्येक आवेदन में उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसे आवेदन पर कार्यवाही की जानी अनुज्ञात की गई थी, अंत से चार वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करेगा ।"।

धारा 245जक का लोप। **93.** आय-कर अधिनियम की धारा 245जक का, 1 जून, 2002 से लोप किया जाएगा ।

धारा 252 का संशोधन। **94.** आय-कर अधिनियम की धारा 252 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) केंद्रीय सरकार, अपील अधिकरण के ज्येष्ठ उपाध्यक्ष या उपाध्यक्षों में से किसी एक को उसका अध्यक्ष नियुक्त करेगी ।"।

धारा 269न के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। **95.** आय-कर अधिनियम की धारा 269न के स्थान पर निम्नलिखित धारा 1 जून, 2002 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय उधारों या निक्षेपों के प्रतिसंदाय का ढंग। '269न. किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी की कोई शाखा और कोई अन्य कंपनी या सहकारी सोसाइटी और कोई फर्म या अन्य व्यक्ति, उनको दिए गए किसी उधार या किए गए निक्षेप का प्रतिसंदाय ऐसे व्यक्ति के, जिसने ऐसा उधार दिया है या निक्षेप किया है, नाम लिखे गए, पाने वाले के खाते में देय चेक द्वारा या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही करेगा अन्यथा नहीं, यदि,—

(क) उधार या निक्षेप की रकम, उस पर संदेय ब्याज सहित, यदि कोई है, या

(ख) ऐसे प्रतिसंदाय की तारीख को, ऐसे व्यक्ति द्वारा बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी की शाखा में या, यथास्थिति, अन्य कंपनी या सहकारी सोसाइटी या फर्म या अन्य व्यक्ति के पास चाहे अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्ततः धारित उधारों और निक्षेप की कुल रकम, ऐसे उधारों या निक्षेपों पर संदेय ब्याज सहित, यदि कोई हो,

बीस हजार रुपए या उससे अधिक है :

परंतु जहां प्रतिसंदाय किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी की शाखा द्वारा किया जाना है वहां ऐसा प्रतिसंदाय ऐसी शाखा में उस व्यक्ति के, जिसको ऐसे उधार या निक्षेप का प्रतिसंदाय किया जाना है, बचत बैंक खाते में या चालू खाते में (यदि कोई है) ऐसे उधारों या निक्षेपों की रकम जमा करके भी किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "बैंककारी कंपनी" का वही अर्थ है जो धारा 269धध के स्पष्टीकरण के खंड (i) में है ;

1949 का 10

(ii) "सहकारी बैंक" का वही अर्थ है जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के भाग 5 में है ;

(iii) "उधार या निक्षेप" से धन का कोई उधार या निक्षेप अभिप्रेत है जो सूचना के पश्चात् प्रतिसंदेय है या किसी अवधि के पश्चात् प्रतिसंदेय है और कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति की दशा में इसके अंतर्गत किसी भी प्रकृति का उधार और निक्षेप है ।'।

नई धारा 269पत का अंतःस्थापन।

96. आय-कर अधिनियम की धारा 269पण के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जुलाई, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अध्याय का वहां लागू न होना जहां स्थावर संपत्ति का अंतरण निश्चित तारीख के पश्चात् होता है।

"269पत. इस अध्याय के उपबंध 1 जुलाई, 2002 को या उसके पश्चात् हुए किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण को या उसके संबंध में लागू नहीं होंगे ।"।

धारा 271 का संशोधन।

97. आय-कर अधिनियम की धारा 271 की उपधारा (1) में,—

(क) आरंभिक भाग में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात् "या आयुक्त" शब्द, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (ii) में, "संदेय किसी कर के अतिरिक्त" शब्दों के स्थान पर, "संदेय कर के अतिरिक्त, यदि कोई है," शब्द 1 अप्रैल, 2003 से रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (iii) में, "संदेय किसी कर के अतिरिक्त" शब्दों के स्थान पर "संदेय कर के अतिरिक्त, यदि कोई है," शब्द 1 अप्रैल, 2003 से रखे जाएंगे ;

(घ) स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात्, "या आयुक्त" शब्द, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ङ) स्पष्टीकरण 3 में, "जो इस अधिनियम के अधीन पहले निर्धारित नहीं किया गया है," शब्दों का, 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ;

(च) स्पष्टीकरण 4 के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2003 से रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(क) किसी ऐसे मामले में, जिसमें आय की उस रकम का जिसके संबंध में विशिष्टियों को छिपाया गया है या गलत विशिष्टियां दी गई हैं, प्रभाव विवरणी में घोषित हानि को कम करना या उस हानि को आय में संपरिवर्तित करना है, वह कर अभिप्रेत है जो उस आय पर, जिसके संबंध में विशिष्टियों को छिपाया गया है या गलत विशिष्टियां दी गई हैं, प्रभार्य होता यदि ऐसी आय कुल आय होती ;";

(छ) स्पष्टीकरण 7 में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात्, "या आयुक्त" शब्द, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 271च के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

98. आय-कर अधिनियम की धारा 271च के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2002 से रखी जाएगी, अर्थात्:—

आय-कर की विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति।

"271च. यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन या उस उपधारा के परंतुकों की अपेक्षानुसार अपनी आय की विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से पूर्व ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में पांच हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा ।"।

धारा 272क का संशोधन।

99. आय-कर अधिनियम की धारा 272क में,—

(क) उपधारा (1) के खंड (घ) का 1 जून, 2002 से लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) में खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2003 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ङ) आय की ऐसी विवरणी देने में जिसे देने के लिए उससे धारा 139 की उपधारा (4क) या उपधारा (4ग) के अधीन अपेक्षा की जाती है या उसे अनुज्ञात समय के भीतर और उन उपधाराओं के अधीन अपेक्षित रीति से देने में ; या"।

नई धारा 272ख का अंतःस्थापन।

100. आय-कर अधिनियम की धारा 272कक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

धारा 139क के उपबंधों के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति।

"272ख. (1) यदि कोई व्यक्ति, धारा 139क के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह, निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में दस हजार रुपए का संदाय करेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 139क की उपधारा (5) के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज में अपना स्थायी खाता संख्यांक का हवाला देने या उस धारा की उपधारा (5क) की अपेक्षानुसार ऐसा संख्यांक संसूचित करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे किसी संख्यांक का हवाला देता है या संसूचना देता है, जो मिथ्या है, और जो उसकी जानकारी या विश्वास से मिथ्या है, या उसका यह विश्वास है कि वह सही नहीं है, तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में दस हजार रुपए का संदाय करेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति को, जिस पर शास्ति अधिरोपित किए जाने का प्रस्ताव है, मामले में सुने जाने का अवसर नहीं दे दिया जाता है ।"।

नई धारा 272खखख का अंतःस्थापन।

101. आय-कर अधिनियम की धारा 272खख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

धारा 206गक के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति।

"272खखख. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 206गक के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह, निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश पर, दस हजार रुपए की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को जिस पर शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव है, ऐसे विषय में सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है ।"।

धारा 273ख का संशोधन।

102. आय-कर अधिनियम की धारा 273ख में, 1 जून, 2002 से,—

(क) "धारा 272कक की उपधारा (1) या" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के पश्चात्, "धारा 272ख या" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) "धारा 272खख या" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 272खख या धारा 272खखख की उपधारा (1) या" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक 1 जून, 2002 से, रखे जाएंगे ।

नई धारा 275ख का अंतःस्थापन।

103. आय-कर अधिनियम की धारा 275क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (iiख) के उपबंधों के अनुपालन में असफलता।

"275ख. यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (iiख) की अपेक्षानुसार लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारी को आवश्यक सुविधा प्रदान करने की अपेक्षा की गई है, प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सुविधा प्रदान करने में असफल रहता है तो वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा ।"।

धारा 279 का संशोधन।

104. आय-कर अधिनियम की धारा 279 की उपधारा (1) में, "धारा 275क" शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात्, ", धारा 275ख" शब्द, अंक और अक्षर, 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

द्वितीय अनुसूची का संशोधन।

105. आय-कर अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के नियम 68क के उपनियम (3) में, "नौ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "आठ प्रतिशत" शब्द 1 जून, 2002 से रखे जाएंगे ।

धन-कर

धारा 18 का संशोधन।

106. धन-कर अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् धन-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 18 की उपधारा (1) में,— 1957 का 27

(क) स्पष्टीकरण 2 के खंड (क) में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात्, "या आयुक्त" शब्द 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण 3 में, "जो इस अधिनियम के अधीन पहले निर्धारित नहीं किया गया है," शब्दों का 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा ।

धारा 18ग का संशोधन।

107. धन-कर अधिनियम की धारा 18ग में, 1 जून, 2002 से,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) "धारा 27 के अधीन किसी निर्देश पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष" शब्दों और अंकों के पश्चात् "अथवा धारा 27क के अधीन अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "धारा 27 के अधीन उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्देश के लिए अथवा धारा 29 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 27क के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष अथवा धारा 29 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) के खंड (ख) में, "धारा 27 के अधीन उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्देश के लिए अथवा धारा 29 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में" शब्दों और अंकों के स्थान पर, " धारा 27क के अधीन उच्च न्यायालय के या धारा 29 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 22घ का संशोधन।

108. धन-कर अधिनियम की धारा 22घ में, 1 जून, 2002 से,—

(क) उपधारा (1) में, "समझौता आयोग, जहां संभव हो, आदेश द्वारा आवेदन पर कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा या आवेदन को नामंजूर कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर "समझौता आयोग उस मास के, जिसमें धारा 22ग के अधीन ऐसा आवेदन किया गया था, अंत से एक वर्ष की अवधि के भीतर आदेश द्वारा आवेदन को नामंजूर करेगा या आवेदन पर कार्यवाही किया जाना अनुज्ञात करेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(4क) समझौता आयोग, जहां संभव हो, उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए अनुज्ञात किए गए प्रत्येक आवेदन में उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसे आवेदन पर कार्यवाही की जानी अनुज्ञात की गई थी, अंत से चार वर्ष की अवधि के भीतर उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करेगा ।"।

धारा 22जक का लोप।

109. धन-कर अधिनियम की धारा 22जक का, 1 जून, 2002 से लोप किया जाएगा ।

धारा 34क का संशोधन।

110. धन-कर अधिनियम की धारा 34क में, 1 जून, 2002 से,—

(क) उपधारा (3) में "नौ प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "आठ प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (4ख) के खंड (क) में, "तीन बटा चार प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दो बटा तीन प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।

व्यय-कर

धारा 3 का संशोधन। **111.** व्यय-कर अधिनियम, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात् व्यय-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खंड (1) में, "दो हजार रुपए या अधिक, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति" शब्दों के स्थान पर, "तीन हजार रुपए या अधिक प्रतिदिन" शब्द 1 जून, 2002 से रखे जाएंगे। 50 1987 का 35

धारा 5 का संशोधन। **112.** व्यय-कर अधिनियम की धारा 5 के खंड (1) में उपखंड (ख) और उपखंड (घ) का 1 जून, 2002 से लोप किया जाएगा।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

1962 का 52 **113.** सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) धारा 4 में,— धारा 4 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में, "केंद्रीय सरकार", शब्दों के स्थान पर, "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) उपधारा (2) में, "केंद्रीय सरकार" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "प्राधिकृत कर सकेगी" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, "बोर्ड, उपधारा (1) और उपधारा (1क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त या सहायक सीमाशुल्क आयुक्त को, सहायक सीमाशुल्क आयुक्त की पंक्ति से निम्न पंक्ति के सीमाशुल्क अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

114. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 14 में,— धारा 14 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में, "अन्तरराष्ट्रीय व्यापार" से आरंभ होने वाले और "की कीमत ही है;" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में, जहां,—

(क) विक्रेता और क्रेता का एक दूसरे के कारबार में कोई हित नहीं है; या

(ख) उनमें से किसी एक का दूसरे के कारबार में कोई हित नहीं है,

और विक्रय या विक्रय की प्रस्थापना के लिए एक मात्र प्रतिफल कीमत ही है।" ;

(ii) उपधारा (2) में, "केंद्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर, "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा;

(iii) उपधारा (3) में,—

(क) खंड (क) में, "केंद्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "बोर्ड" शब्द रखा जाएगा;

(ख) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

1999 का 42 '(ख) "विदेशी करेंसी" और "भारतीय करेंसी" का वही अर्थ है जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ड) और खंड (थ) में क्रमशः उनका है।'।

115. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 में,— धारा 25 का संशोधन।

(क) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) केंद्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश की परिधि या उसके लागू होने को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए उपधारा (1) के अधीन ऐसी अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन आदेश जारी किए जाने के एक वर्ष के भीतर किसी भी समय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या आदेश में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित कर सकेगी और प्रत्येक ऐसे स्पष्टीकरण का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो वह सदैव, यथास्थिति, प्रथम उक्त अधिसूचना या आदेश का भाग रहा हो।" ।

(ख) उपधारा (4) में, "उपधारा (1)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, "या उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

116. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28कक की उपधारा (1) में, "अठारह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे। धारा 28कक का संशोधन।

117. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28कख की उपधारा (1) में, "अठारह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे। धारा 28कख का संशोधन।

118. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28झ की उपधारा (2) के पहले परंतुक में, "किसी निवासी आवेदक की दशा में के सिवाय," शब्दों का लोप किया जाएगा। धारा 28झ का संशोधन।

119. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (2) में,— धारा 47 का संशोधन।

(i) "दो दिन" शब्दों के स्थान पर, "पांच दिन" शब्द रखे जाएंगे; और

(ii) "अठारह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।

120. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 61 की उपधारा (1) के पहले परंतुक में, खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:— धारा 61 का संशोधन।

"(i) किसी ऐसे माल की दशा में, जिसके क्षय होने की संभावना नहीं है, खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट अवधि, पर्याप्त हेतुक दर्शाए जाने पर,—

(अ) ऐसे माल की दशा में, जो किसी शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम में उपयोग के लिए आशयित है, सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी, जो वह ठीक समझे ; और

(आ) किसी अन्य दशा में, सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा छह मास से अनधिक की अवधि के लिए और मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा ऐसी और अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी, जो वह ठीक समझे।" ।

121. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129ख में,— धारा 129ख का संशोधन।

(i) उपधारा (2) में, "चार वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "छह मास" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) अपील अधिकरण, जहां ऐसा करना संभव हो, प्रत्येक अपील का विनिश्चय, उस तारीख से, जिसको ऐसी अपील फाइल की जाती है, तीन वर्ष की अवधि के भीतर कर सकेगा:

परंतु जहां धारा 129क की उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई किसी अपील से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में कोई रोक आदेश किया जाता है वहां अपील अधिकरण ऐसे आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा:

परंतु यह और कि यदि ऐसी अपील का निपटारा पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो उस अवधि की समाप्ति पर रोक आदेश निष्प्रभाव हो जाएगा।" ।

धारा 129घ का संशोधन।

122. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129घ की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) यथास्थिति, बोर्ड या सीमाशुल्क आयुक्त, जहां ऐसा करना संभव हो, उस न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, किंतु एक वर्ष से अनधिक अवधि में उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आदेश करेगा।"।

सीमाशुल्क टैरिफ

नई धारा 8ग का अंतःस्थापन।

123. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) धारा 8ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— 1975 का 51

लोक गणराज्य चीन से आयातों पर संक्रमणकालीन उत्पाद विनिर्दिष्ट रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।

'8ग. (1) धारा 8ख में किसी बात के होते हुए भी, यदि केंद्रीय सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि किसी वस्तु का लोक गणराज्य चीन से भारत में ऐसी बढ़ी हुई मात्राओं में और ऐसी दशाओं में आयात किया जाता है, जिससे कि घरेलू उद्योग का बाजार विघटित हो सकता है या उसके विघटित होने की आशंका है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर सकेगी:

परंतु केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी वस्तु की उतनी मात्रा को, जितनी वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, तब छूट दे सकेगी जब वह उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण रक्षोपाय शुल्क या उसके भाग के संदाय पर लोक गणराज्य चीन से भारत में आयातित की जाती है ।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन अवधारण के लंबित रहने पर इस प्रारंभिक अवधारण के आधार पर कि बढ़े हुए आयातों ने घरेलू उद्योग के बाजार को विघटित किया है या उसके विघटित होने की आशंका हुई है, इस उपधारा के अधीन अनंतिम रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर सकेगी:

परंतु जहां अंतिम अवधारण पर केंद्रीय सरकार की यह राय है कि बढ़े हुए आयातों से किसी घरेलू उद्योग का बाजार विघटित नहीं हुआ है या उसके विघटित होने की आशंका नहीं है तो वह इस प्रकार संगृहीत शुल्क का प्रतिदाय करेगी :

परंतु यह और कि अनंतिम रक्षोपाय शुल्क उस तारीख से, जिसको वह अधिरोपित किया गया था, दो सौ दिन से अनधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन जारी कोई अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित कोई रक्षोपाय शुल्क, जब तक, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या ऐसे अधिरोपण में विनिर्दिष्ट रूप से लागू नहीं किया गया हो किसी शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या किसी मुक्त व्यापार जोन या विशेष आर्थिक जोन में किसी यूनिट द्वारा आयातित वस्तुओं को लागू नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम", "मुक्त व्यापार जोन" और " विशेष व्यापार जोन" पदों के वही अर्थ हैं जो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में उनके हैं। 1944 का 1

(4) इस धारा के अधीन प्रभार्य शुल्क इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिरोपित किसी अन्य शुल्क के अतिरिक्त होगा ।

(5) इस धारा के अधीन अधिरोपित शुल्क जब तक कि वह पहले ही प्रतिसंहृत न किया गया हो, ऐसे अधिरोपण की तारीख से चार वर्ष की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसी वस्तु का लोक गणराज्य चीन से भारत में, ऐसी बढ़ी हुई मात्रा में आयात किया जाना बना रहना चाहिए, जिससे घरेलू बाजार विघटित होता है या उसकी आशंका हो और रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण बना रहना चाहिए तो वह ऐसे अधिरोपण की अवधि को उस तारीख से, जिसको ऐसा रक्षोपाय शुल्क पहली बार अधिरोपित किया गया था, दस वर्ष की अवधि से अधिक के लिए बढ़ा सकेगी ।

(6) केंद्रीय सरकार, इस धारा के प्रयोजनों के लिए और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी, ऐसे नियमों में उस रीति के लिए, जिसमें रक्षोपाय शुल्क के लिए दायी वस्तुओं को पहचाना जा सकेगा और उस रीति के लिए, जिसमें ऐसी वस्तुओं के संबंध में बाजार के विघटन या उसकी आशंका को अवधारित किया जा सकेगा और ऐसे रक्षोपाय शुल्क के निर्धारण और संग्रहण के लिए उपबंध किया जा सकेगा ।

(7) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "घरेलू उद्योग" से अभिप्रेत है,—

(i) भारत में वैसी ही वस्तु के या सीधे प्रतियोगी वस्तु के संपूर्ण रूप में निर्माता ; या

(ii) ऐसे निर्माता, जिनके भारत में वैसी ही वस्तु या सीधी प्रतियोगी वस्तु का सामूहिक उत्पादन भारत को उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का बढ़ा अंश ;

(ख) "बाजार विघटन" तब होगा, जब कभी घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किसी वस्तु जैसी या सीधी प्रतियोगी वस्तु का आयात पूर्णतः या अपेक्षाकृत रूप में इस प्रकार तेजी से बढ़ता है जिससे कि घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण तात्त्विक क्षति होती है या तात्त्विक क्षति होने की आशंका होती है;

(ग) "बाजार विघटन की आशंका" से बाजार विघटन का स्पष्ट और आसन्न खतरा अभिप्रेत है ।

(8) इस धारा के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के शीघ्र पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।'।

कतिपय दशाओं में अतिरिक्त सीमाशुल्क का प्रतिदाय।

124. (1) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 में किसी बात के होते हुए भी, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के शीर्ष 98.01 के अंतर्गत आने वाली बजरे पर स्थापित विद्युत परियोजनाएं 8 दिसंबर, 2000 से आरंभ होने वाली और 28 फरवरी, 2002 को समाप्त होने वाली (दोनों तारीखों को सम्मिलित करते हुए) अवधि के भीतर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट प्राप्त समझी जाएंगी और तदनुसार, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, बजरे पर स्थापित विद्युत परियोजनाओं को उक्त अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट प्राप्त समझा जाएगा और सदैव इस प्रकार छूट प्राप्त समझा जाएगा मानो इस उपधारा के अधीन दी गई छूट सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में हो ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए उक्त उपधारा में निर्दिष्ट माल को छूट प्रदान करने की शक्ति भूतलक्षी रूप से केंद्रीय सरकार को होगी और सदैव इस प्रकार समझी जाएगी मानो सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन उक्त माल को छूट देने की शक्ति भूतलक्षी रूप से सभी तात्त्विक समयों पर केंद्रीय सरकार के पास हो ।

(3) ऐसे सभी अतिरिक्त सीमाशुल्कों का प्रतिदाय किया जाएगा, जो संगृहीत किया गया है किंतु इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट छूट सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में होती ।

(4) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 27 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) के अधीन अतिरिक्त सीमाशुल्क के प्रतिदाय का दावा उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास के भीतर किया जाएगा ।

पहली अनुसूची का संशोधन।

125. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित की जाएगी ।

उत्पाद-शुल्क

1944 का 1

126. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) धारा 2 के खंड (च) में,— धारा 2 का संशोधन।

(i) उपखंड (ii) में, "विनिर्माण" शब्द के स्थान पर, "विनिर्माण; या" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iii) जो केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी माल के संबंध में विनिर्माण की कोटि के रूप में विनिर्दिष्ट है;" ।

127. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के परंतुक में, स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:— धारा 3 का संशोधन।

'(i) "मुक्त व्यापार जोन" से ऐसा जोन अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;'।

128. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क में;— धारा 5क का संशोधन।

(i) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) केंद्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश की परिधि या उसके लागू होने को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए उपधारा (1) के अधीन ऐसी अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन आदेश जारी किए जाने के एक वर्ष के भीतर किसी भी समय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या आदेश में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित कर सकेगी और प्रत्येक ऐसे स्पष्टीकरण का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो वह सदैव, यथास्थिति, प्रथम उक्त अधिसूचना या आदेश का भाग रहा हो ।" ।

(ii) उपधारा (5) में, "उपधारा (1)" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, "या उपधारा (2क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

129. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कक की उपधारा (1) में, "अठारह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे । धारा 11कक का संशोधन।

130. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11कख की उपधारा (1) में, "अठारह प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे । धारा 11कख का संशोधन।

131. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 16 और धारा 17 का लोप किया जाएगा । धारा 16 और धारा 17 का लोप।

132. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 23घ की उपधारा (2) के पहले परंतुक में, "किसी निवासी आवेदक की दशा में के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा । धारा 23घ का संशोधन।

133. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अध्याय 4 का लोप किया जाएगा । अध्याय 4 का लोप।

134. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ग में,— धारा 35ग का संशोधन।

(i) उपधारा (2) में, "चार वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "छह मास" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) अपील अधिकरण, जहां ऐसा करना संभव हो, प्रत्येक अपील का विनिश्चय, उस तारीख से, जिसको ऐसी अपील फाइल की जाती है, तीन वर्ष की अवधि के भीतर कर सकेगा :

परंतु जहां धारा 35ख की उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई किसी अपील से संबंधित किन्हीं कार्यवाहियों में कोई रोक आदेश किया जाता है वहां वह ऐसे आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगा:

परंतु यह और कि यदि पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी अपील का निपटारा नहीं किया जाता है तो उस अवधि की समाप्ति पर रोक आदेश निष्प्रभाव हो जाएगा ।" ।

135. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ङ की उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 135ङ का संशोधन।

"(3) यथास्थिति, बोर्ड या सीमाशुल्क आयुक्त, जहां ऐसा करना संभव हो, उस न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर किंतु एक वर्ष से अनधिक अवधि में उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आदेश करेगा।"।

136. (1) केंद्रीय सरकार द्वारा, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि.509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999, भूतलक्षी रूप से, तारीख 8 जुलाई, 1999 से ही 28 फरवरी, 2002 तक, (दोनों तारीखें सम्मिलित करते हुए), सिवाय उन बातों के, जिन्हें उक्त अधिसूचना के अधीन किया गया है या जिनका लोप किया गया है, तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित हो जाएगी और संशोधित हुई समझी जाएगी और तदनुसार, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिसूचना के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्रवाई या किसी बात के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से या प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई है और सदैव की गई थी, मानो इस उपधारा द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में रही हो। केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी की गई अधिसूचना का संशोधन।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार को होगी और सदैव उसके पास रही समझी जाएगी, मानो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना को संशोधित करने की शक्ति भूतलक्षी रूप से सभी समयों पर केन्द्रीय सरकार को थी।

(3) 1 मार्च, 2002 को उपधारा (1) के अधीन संशोधन के समाप्त होने पर भी, उक्त अधिसूचना के अधीन किसी माल की बाबत की गई किसी कार्रवाई या बात या किए गए किसी लोप के लिए किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में या उसके समक्ष

कोई वाद नहीं लाया जाएगा या अन्य कार्यवाहियां नहीं की जाएंगी या उन्हें बनाए नहीं रखा जाएगा और की गई ऐसी किसी कार्रवाई या किसी बात या किए गए किसी लोप से संबंधित किसी डिक्री या आदेश को किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार प्रवृत्त नहीं किया जाएगा मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रहा हो।

(4) उपधारा (1) के संशोधन को 1 मार्च, 2002 से समाप्त किए जाने पर भी, ऐसे शुल्क या ब्याज या अन्य प्रभारों की रकम की, जो, यथास्थिति, संगृहीत नहीं किए गए हैं या जो प्रतिदत्त कर दिए गए हैं किन्तु, जिन्हें, यथास्थिति, इस प्रकार संगृहीत किया जाता या प्रतिदत्त नहीं किया जाता, मानो इस धारा के उपबंध सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तित थे, उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, तीस दिन की अवधि के भीतर वसूली की जाएगी और इस प्रकार वसूलनीय शुल्क या ब्याज या अन्य प्रभारों के संदाय न किए जाने की दशा में, तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात्‌वर्ती दिन से संदाय की तारीख तक पंद्रह प्रतिशत वार्षिक की दर से उस पर ब्याज संदेय होगा।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से किया गया कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो तब इस प्रकार दण्डनीय नहीं होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना का उस उपधारा द्वारा भूतलक्षी रूप से संशोधन न किया गया होता।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57कट के अधीन जारी की गई अधिसूचना का संशोधन।

137. (1) केंद्रीय सरकार द्वारा, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 57कट के अधीन जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 299(अ), तारीख 31 मार्च, 2000 उस अधिसूचना से संबंधित अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित तारीख से ही, चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित हो जाएगी और संशोधित हुई समझी जाएगी और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उक्त अधिसूचना के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्यवाही या किसी बात के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से या प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई है और सदैव की गई थी मानो इस उपधारा द्वारा संशोधित अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त रही हो।

(2) ऐसे सभी घोषित शुल्कों का मुजरा अनुज्ञात किया जाएगा, जिन्हें अननुज्ञात किया गया है किंतु जिन्हें इस प्रकार अननुज्ञात नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में होती ।

(3) ऐसे सभी घोषित शुल्कों का प्रतिदाय किया जाएगा, जिन्हें संगृहीत किया गया है किंतु इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में होती ।

(4) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ख में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) के अधीन घोषित शुल्क के जमा के प्रतिदाय के दावे के लिए आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त विधेयक, 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास के भीतर किया जाएगा । 1944 का 1

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

1986 के अधिनियम 5 का संशोधन।

138. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) में,-

(i) पहली अनुसूची का पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ;

(ii) दूसरी अनुसूची का छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

1957 के अधिनियम 58 का संशोधन।

139. अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) पहली अनुसूची का सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क।

140. (1) आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की दशा में, जो विनिर्मित माल है, संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार के रूप में, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों से अतिरिक्त शुल्क उद्‌गृहीत और संगृहीत किया जाएगा जिसे विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क कहा जाएगा।

(2) आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर प्रभार्य विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य किसी अन्य अतिरिक्त शुल्कों के अतिरिक्त होगा । 1944 का 1

(3) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जिसके अंतर्गत शुल्कों के प्रतिदाय और उससे छूट तथा शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की बाबत इस धारा के अधीन उद्‌ग्रहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के उद्‌ग्रहण और संग्रहण के संबंध में इस प्रकार लागू हो सकेंगे जैसे वे, यथास्थिति, उस अधिनियम या उन नियमों के अधीन ऐसे माल पर उत्पाद-शुल्कों के उद्‌ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं । 1944 का 1

अध्याय 5
सेवा-कर

1994 के अधिनियम 32 का उपांतरण।

141. (1) 16 जुलाई, 2001 से ही आरंभ होने वाली और ऐसी तारीख को, जो केन्द्रीय सरकार, धारा 142 के अधीन उस तारीख के रूप में नियत करे, समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उस धारा के प्रयोजन के लिए वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 के उपबंध निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी हुए समझे जाएंगे, अर्थात्: —

धारा 65 में,-

(i) खंड (13) में, निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए गए थे, अर्थात्:—

1990 का 25

'(13) "प्रसारण" का वही अर्थ है जो प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 2 के खंड (ग) में है और इसके अंतर्गत रेडियो या टेलीविजन चैनल पर कार्यक्रम का चयन, समयबद्ध करना या दृश्य श्रव्य विषय का प्रस्तुतीकरण है, जो जनता द्वारा, यथास्थिति, सुने या देखे जाने के लिए आशयित है; और ऐसे किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन की दशा में, जिसका मुख्यालय भारत से बाहर किसी स्थान पर अवस्थित है, उक्त अभिकरण या संगठन की ओर से भारत में इसके शाखा कार्यालय या समनुषंगी या प्रतिनिधि या भारत में नियुक्त किसी अभिकर्ता द्वारा या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो उसकी ओर से कार्य करता है, किसी रीति में समय काल का विक्रय करने या किसी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए प्रायोजक प्राप्त करने या प्रसारण प्रभारों के संग्रहण के क्रियाकलाप को प्रसारण समझा जाएगा;

(13क) "प्रसारण अभिकरण या संगठन" से ऐसा कोई संगठन या अभिकरण अभिप्रेत है जो किसी रीति में प्रसारण से संबंधित सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और ऐसे किसी प्रसारण अभिकरण की दशा में, जिसका मुख्यालय भारत से बाहर किसी स्थान में स्थित है, इसके अंतर्गत भारत में उसका कोई शाखा कार्यालय या समनुषंगी या प्रतिनिधि या किसी रीति में उसकी ओर से कार्य करने के लिए, भारत में नियुक्त कोई अभिकर्ता या ऐसा व्यक्ति भी है, जो उक्त अभिकरण या संगठन की ओर से किसी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समय-काल का विक्रय करने या ऐसे कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक प्राप्त करने या प्रसारण प्रभारों को संगृहीत करने के क्रियाकलाप में लगा हुआ है।';

(ii) खंड (72) के उपखंड (यट) में, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया गया था, अर्थात्:—

"(यट) किसी ग्राहक को, किसी रीति में प्रसारण के संबंध में किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन द्वारा और किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन की दशा में, जिसका मुख्यालय भारत के बाहर किसी स्थान पर अवस्थित है इसके अंतर्गत भारत में

इसके शाखा कार्यालय या समनुषंगी या प्रतिनिधि या भारत में नियुक्त कोई अभिकर्ता या ऐसा कोई व्यक्ति भी है, जो उसकी ओर से किसी रीति में, किसी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समय काल का विक्रय करने या कार्यक्रम के लिए प्रायोजक प्राप्त करने या उक्त अभिकरण या संगठन की ओर से प्रसारण प्रभारों के संग्रहण के क्रियाकलाप में लगा हुआ है।

स्पष्टीकरण - शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि जब तक रेडियो या टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रसारण भारत में प्राप्त किए जाते हैं जो जनता द्वारा यथास्थिति, सुने या देखे जाने के लिए आशयित हैं, ऐसी सेवा प्रसारण के संबंध में कराधेय सेवा होगी चाहे उपग्रह के माध्यम से सिगनलों का पारेषण या बीमींग भारत के बाहर किसी स्थान पर हुआ हो ।";

(2) 16 जुलाई, 2001 से ही आरंभ होने वाली और उस दिन को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान जिसको वित्त विधेयक, 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, किसी समय इस अध्याय के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात या लोप के बारे में यह समझा जाएगा कि वह सभी प्रयोजनों के लिए इस प्रकार विधिमान्य रूप से तथा प्रभावी रूप से की गई है और सदैव की गई है, मानो उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रही हो और तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी ऐसे सभी सेवा-कर की वसूली, वित्त विधेयक, 2002 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी जो संगृहीत नहीं किया गया किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत किया गया होता मानो उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त रही हो और इस प्रकार वसूलनीय ऐसे सेवा-कर के असंदाय की दशा में तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् की तारीख से संदाय की तारीख तक पंद्रह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज संदेय होगा ।

स्पष्टीकरण--शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो तब इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवृत्त नहीं होती ।

142. वित्त अधिनियम, 1994 में, उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे,— 1994 के अधिनियम 32 का संशोधन।

(क) धारा 65 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"65.(1) इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

1938 का 4 (1) "बीमांकक" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (1) में है;

(2) "विज्ञापन" के अंतर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर, दस्तावेज, होर्डिंग या प्रकाश, ध्वनि, धुएं या गैस के माध्यम से किया गया कोई अन्य श्रव्य या दृश्यरूपण है;

(3) "विज्ञापन अभिकरण" से विज्ञापन बनाने, तैयार करने, संप्रदर्शन या प्रदर्शन से संबंधित कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विज्ञापन परामर्शी भी है;

(4) "वायुमार्ग यात्रा अभिकर्ता" से वायुमार्ग द्वारा यात्रा के लिए यात्रा बुक करने के संबंध में कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

1962 का 52 (5) "अपील अधिकरण" से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 के अधीन गठित सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

1972 का 20 (6) "वास्तुविद्" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका नाम, तत्समय, वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 23 के अधीन रखे गए वास्तुविदों के रजिस्टर में दर्ज है और इसके अंतर्गत किसी भी रीति से स्थापत्य कला के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ कोई वाणिज्यिक समुत्थान भी है;

(7) "निर्धारिती" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सेवाकर का संदाय करने के लिए दायी है और इसके अंतर्गत उसका अभिकर्ता भी है;

(8) "प्राधिकृत सर्विस स्टेशन" से किसी मोटर यान विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किसी मोटरकार या दुपहिया मोटर यान की कोई सर्विस या मरम्मत करने के लिए उस मोटर यान विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत कोई सर्विस स्टेशन या केन्द्र अभिप्रेत है;

1949 का 10 (9) "बैंककारी" का वही अर्थ है जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ख) में है;

1934 का 2 (10) "बैंककारी कंपनी" का वही अर्थ है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45क के खंड (क) में है;

(11) "बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं" से किसी बैंककारी कंपनी या किसी वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी या कोई अन्य निगमित निकाय भी है, द्वारा प्रदान की गई निम्नलिखित सेवाएं हैं, अर्थात् :—

(i) वित्तीय पट्टा सेवाएं, जिसके अंतर्गत किसी निगमित निकाय द्वारा उपस्कर पट्टे पर देना और अवक्रय करना है;

(ii) क्रेडिट कार्ड सेवाएं ;

(iii) मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं ;

(iv) प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा (फौरेक्स) दलाली ;

(v) आस्ति प्रबंधन, जिसके अंतर्गत पोर्टफोलियो प्रबंधन, सभी प्रकार के निधि प्रबंधन, पेंशन निधि प्रबंधन, अभिरक्षा संबंधी, निक्षेपागार और न्यास सेवाएं भी हैं किन्तु इसके अंतर्गत रोकड़ प्रबंधन नहीं है;

(vi) सलाहकार और अन्य सहायक वित्तीय सेवाएं, जिसके अंतर्गत विनिधान और पोर्टफोलियो अनुसंधान और सलाह, समामेलन और अर्जन पर सलाह तथा निगमित पुनःसंरचना और युक्ति पर सलाह है; और

(vii) सूचना और डाटा प्रसंस्करण का उपबंध और अंतरण;

1963 का 54 (12) "बोर्ड" से केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड अभिप्रेत है;

1956 का 1 (13) "निगमित निकाय" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (7) में है;

1990 का 25 (14) "प्रसारण" का वही अर्थ है जो प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 2 के खंड (ग) में है और इसके अंतर्गत रेडियो या टेलीविजन चैनल पर कार्यक्रम का चयन, समयबद्ध करना या दृश्य श्रव्य विषय का प्रस्तुतीकरण है, जो जनता द्वारा, यथास्थिति, सुने या देखे जाने के लिए आशयित है; और ऐसे किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन की दशा में, जिसका मुख्यालय भारत से बाहर किसी स्थान पर अवस्थित है, उक्त अभिकरण या संगठन की ओर से भारत में इसके शाखा कार्यालय या समनुषंगी या प्रतिनिधि या भारत में नियुक्त किसी अभिकर्ता द्वारा या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो उसकी ओर से कार्य करता है, किसी रीति में समय काल का विक्रय करने या किसी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए प्रायोजक प्राप्त करने या प्रसारण प्रभारों के संग्रहण के क्रियाकलाप को प्रसारण समझा जाएगा;

(15) "प्रसारण अभिकरण या संगठन" से ऐसा कोई संगठन या अभिकरण अभिप्रेत है जो किसी रीति में प्रसारण से संबंधित सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और ऐसे किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन की दशा में, जिसका मुख्यालय भारत से बाहर किसी स्थान में स्थित है, इसके अंतर्गत भारत में उसका कोई शाखा कार्यालय या समनुषंगी या प्रतिनिधि या किसी रीति में उसकी ओर से कार्य करने के लिए, भारत में नियुक्त कोई अभिकर्ता या ऐसा व्यक्ति भी है, जो उक्त अभिकरण या संगठन की ओर से किसी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समय-काल का विक्रय करने या ऐसे कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक प्राप्त करने या प्रसारण प्रभारों को संगृहीत करने के क्रियाकलाप में लगा हुआ है;

(16) "सौन्दर्य उपचार" से मुख और सौन्दर्य उपचार, प्रसाधन उपचार, नख प्रसाधन, नख श्रृंगार और सौन्दर्य, चेहरे की देखभाल और बनाव-श्रृंगार के संबंध में सलाहकारी सेवाएं अभिप्रेत हैं ;

(17) "सौन्दर्य पार्लर" से ऐसा कोई स्थापन अभिप्रेत है जो सौन्दर्य उपचार सेवाएं प्रदान कर रहा है;

(18) "कैब" से मोटर कैब या मैक्सी कैब अभिप्रेत है;

(19) "केबल आपरेटर" का वही अर्थ है जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (क) में है; 1995 का 7

(20) "केबल सेवा" का वही अर्थ है जो केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (ख) में है; 1995 का 7

(21) "माल संभलाई सेवा" से जहाजी माल की लदाई, उतराई, पेकिंग या गैर पैकिंग अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विशेष कंटेनरों में या गैर कंटेनरकृत माल भाड़े पर प्रदान की गई जहाजी माल संभलाई सेवा, सभी प्रकार के परिवहन के लिए कंटेनर सेवाओं और अन्य माल भाड़ा टर्मिनल सुविधाएं और माल भाड़े से आनुषंगी जहाजी माल संभलाई सेवाएं हैं किन्तु इसके अंतर्गत निर्याती जहाजी माल या यात्री सामान की संभलाई या माल का मात्र परिवहन नहीं है;

(22) "खान-पान प्रबंधक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी प्रयोजन या अवसर के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी खाद्य, खाद्य निर्मितियों, एल्कोहाली या गैर-एल्कोहाली पेयों या क्राकरी और समरूप वस्तुओं या साज-सज्जाओं का प्रदाय करता है;

(23) "समाशोधन और अग्रेषण अभिकर्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को किसी रीति से समाशोधन और अग्रेषण संक्रियाओं से संबंधित कोई सेवा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराने में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत पारेषण अभिकर्ता है;

(24) "कंप्यूटर नेटवर्क" का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ञ) में है; 2000 का 21

(25) "परामर्शी इंजीनियर" से कोई ऐसा वृत्तिक रूप से अर्हित इंजीनियर या इंजीनियरी फर्म अभिप्रेत है, जो इंजीनियरी की एक या अधिक शाखाओं में किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता प्रदान करती है;

(26) "कन्वेंशन" से एक औपचारिक बैठक या सभा अभिप्रेत है, जो साधारण जनता के लिए खुली नहीं है, किन्तु जिसके अंतर्गत ऐसी बैठक या सभा नहीं है जिसका मुख्य उद्देश्य किसी प्रकार का आमोद-प्रमोद, मनोरंजन या मनबहलाव करना है;

(27) "कुरियर अभिकरण" से, ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, जो समयसुग्राही दस्तावेजों, माल या वस्तुओं को ले जाने के लिए या उनके साथ जाने के लिए, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग करते हुए ऐसी दस्तावेजों, माल या वस्तुओं के द्वार से द्वार परिवहन में लगा हुआ है;

(28) 'प्रत्ययमापी अभिकरण" से ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो किसी ऋण बाध्यता या वित्त की अपेक्षा करने वाले किसी परियोजना या कार्यक्रम की, चाहे ऋण के रूप में हो या अन्यथा, प्रत्ययमापी के कारबार में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत किसी वित्तीय बाध्यता, लिखत या प्रतिभूति की, जिसका प्रयोजन किसी संभावी विनिधानकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ब्याज या मूलधन के समय पर संदाय संबंधी सुरक्षा से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध कराना है, प्रत्ययमापी भी है;

(29) "सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 146 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन अस्थायी रूप से या अन्यथा अनुज्ञप्त है; 1962 का 52

(30) "डाटा" का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ण) में है; 2000 का 21

(31) "निर्जल धुलाई" के अंतर्गत परिधान, कपड़े या अन्य वस्त्र, फर या चमड़े की वस्तुओं की निर्जल धुलाई है;

(32) "निर्जल धुलाईकर्ता" से निर्जल धुलाई संबंधी सेवा प्रदान करने वाला कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है;

(33) "इलेक्ट्रानिक अभिलेख" का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (द) में है; 2000 का 21

(34) "वृत्तांत प्रबंधन" से किसी कला, मनोरंजन, कारबार, खेलकूद या किसी अन्य घटना की योजना बनाने, उसके संवर्धन, आयोजन या प्रस्तुतीकरण के संबंध में प्रदान की गई कोई सेवा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस संबंध में किया गया कोई परामर्श भी है;

(35) "वृत्तांत प्रबंधक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी रीति में वृत्तांत प्रबंध के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है;

(36) "अनुकृति (फैक्स)" से, दूर संचार का वह रूप अभिप्रेत है जिसके द्वारा स्थिर ग्राफिक आकृतियों जैसे मुद्रित पाठ और तस्वीरें स्कैन की जाती हैं और सूचना को दूर संचार प्रणाली पर पारेषण के लिए विद्युत संकेतों में संपरिवर्तित किया जाता है;

(37) "फैशन डिजाइनिंग" में मानवों द्वारा पहने जाने के लिए आशयित वेशभूषा, परिधान, कपड़ों, सहायक वस्त्र, आभूषण या कोई अन्य वस्तुओं के लिए डिजाइनिंग की परिकल्पना करने, रूपरेखा तैयार करने और सृजन करने तथा पैटर्न तैयार करने से संबंधित कोई क्रियाकलाप है और उससे अनुषंगी कोई अन्य सेवा भी है;

(38) "फैशन डिजाइनर " से फैशन डिजाइनिंग से संबंधित सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(39) "वित्तीय संस्था" का वही अर्थ है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खंड (ग) में है; 1934 का 2

(40) "साधारण बीमा कारबार " का वही अर्थ है जो साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 3 के खंड (छ) में है; 1972 का 57

(41) "माल" का वही अर्थ है जो माल विक्रय अधिनियम, 1930 की धारा 2 के खंड (7) में है; 1930 का 3

(42) "स्वास्थ्य और शारीरिक योग्यता सेवा" से सोना और भाप स्नान, तुर्की स्नान, सौर-चिकित्सा, गृह स्पास, वजन कम करने या छरहरा बनाने वाले सैलून, व्यायामशाला, योग, मनन, मालिश (चिकित्सीय मालिश को छोड़कर) जैसी शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने की सेवा या कोई अन्य उसी प्रकार की सेवा अभिप्रेत है;

(43) "हेल्थ क्लब और फिटनेस सेंटर " से ऐसा कोई स्थापन अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा होटल या आश्रयगृह भी है, जो स्वास्थ्य और शारीरिक योग्यता सेवा प्रदान कर रहा है;

2000 का 21 (44) "सूचना" का वही अर्थ है जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (v) में है;

1938 का 4 (45) "बीमा अभिकर्ता" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (10) में है;

(46) "बीमा सहायक सेवा" से ऐसी कोई सेवा अभिप्रेत है जो किसी बीमांकक, मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती या किसी बीमा अभिकर्ता द्वारा साधारण बीमा कारबार के संबंध में उपलब्ध कराई जाती है और इसके अंतर्गत जोखिम निर्धारण, दावा निपटारा, सर्वेक्षण और हानि निर्धारण है;

1999 का 41 (47) "मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती" का वही अर्थ है जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (1) के उपखंड (च) में है;

(48) "बीमाकर्ता" से भारत में साधारण बीमा कारबार करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(49) "आंतरिक साज-सज्जक" से, ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो सलाह, परामर्श, तकनीकी सहायता के रूप में या किसी अन्य रीति से, स्थानों की योजना, डिजाइन बनाने या उन्हें सजाने, चाहे मानव निर्मित हो या अन्यथा, से संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने के कारबार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ है और इसके अंतर्गत परिदृश्य डिजाइनर भी है;

(50) "पट्टाधृत परिपथ" से अभिदाता के अनन्य उपयोग के लिए नियत दो अवस्थानों के बीच उपलब्ध कराया गया कोई समर्पित योजक अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वाक् परिपथ, डाटा परिपथ या तार परिपथ भी है;

1938 का 4 (51) "जीवन बीमा कारबार" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (11) में है;

(52) "चुंबकीय भंडारण युक्ति" के अंतर्गत मोम के ब्लैंक, डिस्क या ब्लैंक, मूल ध्वन्यंकन के प्रयोजन के लिए पट्टियां या फिल्म हैं ;

(53) "प्रबंध परामर्शी" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी संगठन के प्रबंध के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी रीति से, कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है, जो किसी संगठन की किसी कार्य प्रणाली की संकल्पना, अभिकल्पना, विकास, उपांतरण, परिष्करण या उन्नयन से संबंधित कोई सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता प्रदान करता है;

1882 का 4 (54) "मंडप" से संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 में यथापरिभाषित कोई स्थावर संपत्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वहां का कोई ऐसा फर्नीचर, फिक्सचर, प्रकाश फिटिंग और उसमें की फर्श की बिछायतें हैं, जो किसी आधिकारिक, सामाजिक या कारबार संबंधी समारोह आयोजित करने के लिए प्रतिफल के लिए भाड़े पर दी जाती हैं ;

(55) "मंडप चलाने वाला" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी आधिकारिक, सामाजिक या कारबार संबंधी समारोह आयोजित करने के लिए प्रतिफल के लिए किसी मंडप के अस्थायी अधिभोग की अनुज्ञा देता है;

(56) "जनशक्ति भर्ती अभिकरण" से कोई ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो किसी कक्षीकार को जनशक्ति की भर्ती के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी रीति से कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ है;

(57) "बाजार अनुसंधान अभिकरण" से कोई ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, जो किसी उत्पाद, सेवा या उपयोगिता, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार की ग्राहक-अपेक्षित और व्यावसायिक रूप से संघटित अनुसंधान सेवाएं हैं, के संबंध में किसी भी रीति से बाजार अनुसंधान कराने में लगा हुआ है;

1988 का 59 (58) "मैक्सी कैब" का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (22) में है;

1988 का 59 (59) "मोटर कैब" का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (25) में है;

1934 का 2 (60) "गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" का वही अर्थ है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45झ के खंड (च) में है;

(61) "ऑन-लाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच या पुनःवापसी" से अभिप्रेत है, किसी ग्राहक को किसी कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रानिक अभिलेख में पुनःवापस किए जाने योग्य या अन्यथा डाटा या सूचना उपलब्ध कराना ;

(62) "पेजर" से ऐसा उपकरण, यंत्र या साधित्र अभिप्रेत है जो वाणी रहित सूचना-संकेत के साथ एक-तरफा व्यक्तिगत संबोधन पद्धति है और जिसमें संख्यात्मक या वर्ण-संख्यात्मक संदेश प्राप्त करने, संग्रह करने और संप्रदर्शित करने की सामर्थ्य है;

(63) "फोटोग्राफी" के अंतर्गत स्थिर फोटोग्राफी, चलचित्र फोटोग्राफी, लेजर फोटोग्राफी, हवाई फोटोग्राफी और प्रतिदीप्ति फोटोग्राफी है;

(64) "फोटोग्राफी स्टूडियो या अभिकरण" से कोई वृत्तिक फोटोग्राफर या ऐसा कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो फोटोग्राफी से संबंधित सेवा देने के कारबार में लगा है;

1938 का 4 (65) "पालिसी धारक" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 के खंड (2) में है;

1963 का 38 (66) "पत्तन" का वही अर्थ है जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 2 के खंड (थ) में है;

(67) "पत्तन सेवा" से ऐसी कोई सेवा अभिप्रेत है जो किसी जलयान या माल के संबंध में किसी रीति से किसी पत्तन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा दी जाती है;

(68) "व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेंट" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेंट संस्थान का सदस्य है
1949 का 38 और चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अधीन अनुदत्त व्यवसाय-प्रमाणपत्र धारण कर रहा है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा समुत्थान भी है, जो चार्टरित लेखा-कर्म के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है;

(69) "व्यवसायरत लागत लेखापाल" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय लागत और संकर्म लेखापाल संस्थान का
1959 का 23 सदस्य है और लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 के उपबंधों के अधीन अनुदत्त व्यवसाय-प्रमाणपत्र धारण कर रहा है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा समुत्थान भी है, जो लागत लेखाकर्म के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है;

(70) "व्यवसायरत कंपनी सचिव" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य है और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अधीन अनुदत्त व्यवसाय-प्रमाणपत्र धारण कर रहा है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा 1980 का 56 समुत्थान भी है, जो कंपनी सचिव के क्षेत्र में सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है;

(71) "विहित" से इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(72) "रेलयात्रा अभिकर्ता " से रेल द्वारा यात्रा के लिए मार्ग की बुकिंग करने से संबंधित कोई सेवा प्रदान करने में लगा हुआ कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(73) "स्थावर संपदा अभिकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्थावर संपदा के विक्रय, क्रय, पट्टे या किराए पर देने के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत स्थावर संपदा परामर्शी भी है;

(74) "स्थावर संपदा परामर्शी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्थावर संपदा के मूल्यांकन, संकल्पना, डिजाइन, विकास, सन्निर्माण, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, अनुरक्षण, विपणन, अर्जन या प्रबंध के संबंध में किसी रीति से सलाह, परामर्शी या तकनीकी सहायता, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान करता है;

(75) "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज" का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के 1956 का 42 खंड (च) में है;

(76) "कैब भाड़े पर देने की स्कीम आपरेटर" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कैबों को भाड़े पर देने के कारबार में लगा हुआ है;

(77) "वैज्ञानिक या तकनीकी परामर्शी" से किसी वैज्ञानिक या किसी तकनीक-तंत्री या किसी विज्ञान या प्रौद्योगिकी संस्था या संगठन द्वारा किसी कक्षीकार को विज्ञान या प्रौद्योगिकी की एक या अधिक शाखाओं में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी रीति से, दी गई कोई सलाह, परामर्शी या वैज्ञानिक या तकनीकी सहायता अभिप्रेत है;

(78) "प्रतिभूति" का वही अर्थ है जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में है; 1956 का 42

(79) "सुरक्षा अभिकरण" से ऐसा कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है जो किसी संपत्ति की चाहे जंगम या स्थावर हो या किसी व्यक्ति की किसी रीति से सुरक्षा से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के कारबार में लगा है और इसके अंतर्गत सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने की सेवाओं सहित किसी तथ्य या क्रियाकलाप के, चाहे वह वैयक्तिक प्रकृति का हो या अन्यथा, अन्वेषण, पता लगाने या सत्यापन की सेवाएं भी हैं;

(80) "सेवा-कर" से इस अध्याय के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय कर अभिप्रेत है;

(81) "पोत" से समुद्रगामी जलयान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत चलत जलयान भी है;

(82) "पोत परिवहन लाइन" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी पोत का स्वामी है या उसे चार्टर करता है और इसके अंतर्गत ऐसा उद्यम भी है, जो पोत-परिवहन के कारबार का प्रचालन करता है या उसका प्रबंध करता है;

(83) "ध्वन्यंकन" से चुंबकीय भंडारण युक्ति पर ध्वनि का अंकन अभिप्रेत है और उसमें किसी रीति से उसका संपादन सम्मिलित है;

(84) "ध्वन्यंकन स्टुडियो या अभिकरण" से कोई ऐसा वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, जो ध्वन्यंकन से संबंधित कोई सेवा देने के कारबार में लगा हुआ है;

(85) "स्टीमर अभिकर्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से,––

(क) पोत के प्रबंध या प्रस्थान के संबंध में किसी सेवा के निष्पादन, जिसके अंतर्गत उससे संबंधित प्रशासनिक कार्य प्रदान करना भी है; या

(ख) किसी पोत परिवहन लाइन के लिए या उसकी ओर से स्थोरा बुक करने, उसे विज्ञापित करने या उसका प्रचार करने ; या

(ग) पोत परिवहन लाइन के लिए या उसकी ओर से आधान सहायक पोषक सेवाएं उपलब्ध कराने,

का कार्य करता है;

(86) "शेयर दलाल" से कोई ऐसा शेयर दलाल अभिप्रेत है जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 1992 का 15 के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार शेयर दलाल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है या वह उस रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(87) "भंडारकरण और भांडागारण" के अंतर्गत ऐसे माल के लिए भंडारण और भांडागारण की सेवाएं हैं जिसमें द्रव्य और गैस सम्मिलित है किंतु इसके अंतर्गत कृषि उपज के भंडारण के लिए प्रदान की गई कोई सेवा या शीत भंडारण के लिए प्रदान की गई कोई सेवा नहीं है;

(88) "उप दलाल" से कोई ऐसा उप दलाल अभिप्रेत है जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 1992 का 15 के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार उप दलाल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है या वह उस रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(89) "अभिदाता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको तार प्राधिकारी द्वारा टेलीफोन कनेक्शन या अनुकृति या पट्टाधृत परिपथ या पेजर या तार या टेलेक्स की कोई सेवा उपलब्ध कराई गई है;

(90) "कराधेय सेवा" से कोई ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो निम्नलिखित को उपलब्ध कराई जाती है :––

(क) किसी विनिधानकर्ता को, मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों के विक्रय या क्रय के संबंध में, किसी शेयर दलाल द्वारा;

(ख) किसी अभिदाता को, किसी टेलीफोन कनेक्शन के संबंध में, तार प्राधिकारी द्वारा;

(ग) किसी अभिदाता को, किसी पेजर के संबंध में, तार प्राधिकारी द्वारा;

(घ) किसी पालिसीधारक को, साधारण बीमा कारबार के संबंध में, साधारण बीमा कारबार करने वाले किसी बीमाकर्ता द्वारा;

(ड) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, विज्ञापनों के संबंध में, किसी विज्ञापन अभिकरण द्वारा;

(च) किसी ग्राहक को, समय-सुग्राही दस्तावेजों, माल या वस्तुओं के द्वार से द्वार परिवहन के संबंध में किसी कुरियर अभिकरण द्वारा;

(छ) किसी कक्षीकार को, इंजीनियरी की एक या अधिक शाखाओं में किसी रीति से सलाह, परामर्शी या तकनीकी सहायता के संबंध में किसी परामर्शी इंजीनियर द्वारा;

(ज) किसी कक्षीकार को, वाहनों के प्रवेश या प्रस्थान अथवा माल के आयात या निर्यात के संबंध में किसी सीमाशुल्क सदन अभिकर्ता द्वारा;

(झ) किसी पोत परिवहन लाइन को, पोत के प्रबंध या प्रस्थान या उससे संबंधित किसी प्रशासनिक कार्य तथा आधान सहायक सेवा सहित स्थोरा बुक करने, उसे विज्ञापित या उसके लिए प्रचार करने के संबंध में किसी स्टीमर अभिकर्ता द्वारा;

(ञ) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, समाशोधन और अग्रेषण संक्रियाओं के संबंध में किसी समाशोधन और अग्रेषण अभिकर्ता द्वारा;

(ट) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, जनशक्ति की भर्ती के संबंध में किसी जनशक्ति भर्ती अभिकरण द्वारा;

(ठ) किसी ग्राहक को, वायु मार्ग द्वारा यात्रा के लिए यात्रा बुक करने के संबंध में, किसी वायु मार्ग यात्रा अभिकर्ता द्वारा;

(ड) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, किसी मंडप के उपयोग के संबंध में मंडप लगाने वाले द्वारा, जिसके अंतर्गत ऐसे उपयोग और खान-पान प्रबंधक के रूप में की गई सेवाओं, यदि कोई हों, के संबंध में किसी ग्राहक को उपलब्ध कराई गई सुविधाएं भी हैं ;

(ढ) किसी व्यक्ति को, किसी पर्यटन के संबंध में किसी पर्यटन आपरेटर द्वारा;

(ण) किसी व्यक्ति को, कैब को भाड़े पर देने के संबंध में किसी कैब को भाड़े पर देने की स्कीम के आपरेटर द्वारा;

(त) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से अपनी वृत्तिक हैसियत में किसी वास्तुविद् द्वारा;

(थ) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, स्थानों की योजना, डिजाइन बनाने या सजाने, चाहे मानवनिर्मित हों या अन्यथा, के संबंध में किसी आंतरिक साज-सज्जक द्वारा;

(द) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, किसी संगठन के प्रबंध के संबंध में किसी प्रबंध परामर्शी द्वारा;

(ध) किसी कक्षीकार को, अपनी वृत्तिक हैसियत में किसी रीति से, किसी व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा;

(न) किसी कक्षीकार को, अपनी वृत्तिक हैसियत में किसी रीति से, किसी व्यवसायरत लागत लेखापाल द्वारा;

(प) किसी कक्षीकार को, अपनी वृत्तिक हैसियत में किसी रीति से, किसी व्यवसायरत कंपनी सचिव द्वारा;

(फ) किसी कक्षीकार को, किसी स्थावर संपदा के संबंध में किसी स्थावर संपदा अभिकर्ता द्वारा;

(ब) किसी कक्षीकार को, किसी संपत्ति या व्यक्ति की सुरक्षा के संबंध में सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराके या अन्यथा किसी सुरक्षा अभिकरण द्वारा और इसके अंतर्गत किसी तथ्य या क्रियाकलाप के अन्वेषण, पता लगाने या सत्यापन की सेवाओं का उपलब्ध कराया जाना भी है;

(भ) किसी कक्षीकार को, किसी वित्तीय बाध्यता, लिखत या प्रतिभूति की प्रत्ययमापी के संबंध में किसी प्रत्ययमापी अभिकरण द्वारा;

(म) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, किसी उत्पाद, सेवा या उपयोगिता के लिए बाजार अनुसंधान के संबंध में किसी बाजार अनुसंधान अभिकरण द्वारा;

(य) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से हामीदारी के संबंध में किसी हामीदार द्वारा;

(यक) किसी कक्षीकार को, वैज्ञानिक या तकनीकी परामर्श के संबंध में किसी वैज्ञानिक या किसी तकनीक-तंत्री या किसी विज्ञान या प्रौद्योगिकी संस्था या संगठन द्वारा;

(यख) किसी ग्राहक को, फोटोग्राफी से संबंधित किसी रीति से, किसी फोटोग्राफी स्टूडियो या अभिकरण द्वारा;

(यग) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से कन्वेंशन आयोजित कराने के संबंध में किसी वाणिज्यिक समुत्थान द्वारा;

(यघ) किसी अभिदाता को, पट्टे पर दिए गए परिपथ के संबंध में तार प्राधिकरण द्वारा;

(यङ) किसी अभिदाता को, तार के माध्यम से संसूचना के संबंध में तार प्राधिकरण द्वारा;

(यच) किसी अभिदाता को, टैलेक्स के माध्यम से संसूचना के संबंध में तार प्राधिकरण द्वारा;

(यछ) किसी अभिदाता को, प्रतिरूप संसूचना के संबंध में तार प्राधिकरण द्वारा;

(यज) किसी ग्राहक को, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से इलैक्ट्रानिक अभिलेख में किसी रीति से ऑन लाइन सूचना और डाटा आधारित पहुंच या पुनःप्राप्ति, या दोनों के संबंध में किसी वाणिज्यिक समुत्थान द्वारा;

(यझ) किसी कक्षीकार को, किसी रीति से, वीडियो टेप निर्माण के संबंध में किसी वीडियो निर्माण अभिकरण द्वारा;

(यञ) किसी कक्षीकार को, किसी भी प्रकार के ध्वन्यंकन के संबंध में किसी ध्वन्यंकन स्टूडियो या कंपनी द्वारा;

(यट) किसी ग्राहक को, किसी रीति में प्रसारण के संबंध में किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन द्वारा और किसी प्रसारण अभिकरण या संगठन की दशा में, जिसका मुख्यालय भारत के बाहर किसी स्थान पर अवस्थित है इसके अंतर्गत भारत में इसके शाखा कार्यालय या समनुषंगी या प्रतिनिधि या भारत में नियुक्त कोई अभिकर्ता या ऐसा कोई व्यक्ति भी है, जो उसकी ओर से किसी रीति में, किसी कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समय काल का विक्रय करने या कार्यक्रम के लिए प्रायोजक प्राप्त करने या उक्त अभिकरण या संगठन की ओर से प्रसारण प्रभारों के संग्रहण के क्रियाकलाप में लगा हुआ है।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि जब तक रेडियो या टेलीविजन प्रसारण भारत में ग्रहण किए जाते हैं और साधारण जनता के द्वारा देखे जाने या सुने जाने के लिए आशयित हैं ऐसी सेवा प्रसारण के संबंध में कराधेय सेवा होगी चाहे सिगनलों का पारेषण या बीमींग उपग्रह के माध्यम से भारत के बाहर किसी स्थान पर हुआ हो;

(यठ) किसी पालिसी धारक या बीमाकर्ता को, साधारण बीमा कारबार से संबंधित बीमा सहायक सेवा के संबंध में किसी बीमांकक या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती या बीमा अभिकर्ता द्वारा;

(यड) किसी ग्राहक को, बैंककारी कंपनी या अन्य वित्तीय सेवाओं के संबंध में किसी बैंककारी कंपनी या वित्तीय संस्था द्वारा, जिसके अंतर्गत गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है;

(यढ) किसी व्यक्ति को किसी रीति से पत्तन सेवाओं के संबंध में किसी पत्तन या पत्तन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा;

(यण) किसी ग्राहक को, किसी मोटर कार या दुपहिया मोटर यानों की किसी सेवा या मरम्मत के संबंध में किसी रीति से, किसी प्राधिकृत सेवा स्टेशन द्वारा,

(यत) किसी ग्राहक को बैंककारी कंपनी और अन्य वित्तीय सेवाओं के संबंध में उपखंड (यद) में निर्दिष्ट निगमित निकाय से भिन्न किसी निगमित निकाय द्वारा;

(यथ) किसी ग्राहक को, सौन्दर्य उपचार के संबंध में किसी ब्यूटी पार्लर द्वारा;

(यद) किसी व्यक्ति को माल की संभलाई के संबंध में किसी जहाजी माल संभलाई अभिकरण द्वारा;

(यध) किसी अभिदाता को, केबल सेवाओं के संबंध में केबल आपरेटर द्वारा;

(यन) किसी ग्राहक को, निर्जल धुलाई के संबंध में निर्जल धुलाईकर्ताओं द्वारा;

(यप) किसी कक्षीकार को वृत्तांत प्रबंधन के सबंध में वृत्तांत प्रबंधक द्वारा;

(यफ) किसी व्यक्ति को फैशन डिजाइनिंग के संबंध में फैशन डिजाइनर द्वारा;

(यब) किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य और शारीरिक योग्यता सेवाओं के संबंध में हेल्थ क्लब और शारीरिक योग्यता केन्द्र द्वारा;

(यभ) किसी पालिसीधारक को जीवन बीमा कारबार के संबंध में जीवन बीमा कारबार करने वाले बीमाकर्ता द्वारा;

(यम) किसी पालिसीधारक या बीमाकर्ता को जीवन बीमा कारबार से संबंधित बीमा सहायक सेवाओं के संबंध में किसी बीमांकक या मध्यवर्ती या बीमा मध्यवर्ती या बीमा अभिकर्ता द्वारा;

(यय) किसी ग्राहक को, रेल द्वारा यात्रा के लिए मार्ग की बुकिंग करने के संबंध में रेल यात्रा अभिकर्ता द्वारा;

(ययक) किसी व्यक्ति को माल के भंडारकरण और भांडागारण के संबंध में भंडार या भांडागार रक्षक द्वारा,

और "सेवा प्रदाता" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(91) "तार" का वही अर्थ है जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 3 के खंड (1) में है; 1885 का 13

(92) "तार प्राधिकारी" का वही अर्थ है जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 3 के खंड (6) में है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति है जिसे उस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन अनुज्ञप्ति दी गई है; 1885 का 13

(93) "टैलेक्स" से टैलेक्स एक्सचेंजों के माध्यम से टेलीप्रींटर का उपयोग करके टाईप की गई संसूचना अभिप्रेत है;

(94) "पर्यटन" से एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा अभिप्रेत है चाहे ऐसे स्थानों के बीच की दूरी कुछ भी हो ;

(95) "पर्यटक यान" का वही अर्थ है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (43) में है; 1988 का 59

(96) "पर्यटक आपरेटर" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो मोटर यान अधिनियम, 1988 के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुदत्त अनुज्ञापत्र के अंतर्गत आने वाले किसी पर्यटक यान में पर्यटन कराने के कारबार में लगा हुआ है; 1988 का 59

(97) "हामीदार" का वही अर्थ है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) नियम, 1993 के नियम 2 के खंड (च) में है;

(98) "हामीदारी" का वही अर्थ है जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (हामीदार) नियम, 1993 के नियम 2 के खंड (छ) में है;

(99) "जलयान" का वही अर्थ है जो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 2 के खंड (य) में है; 1963 का 38

(100) "वीडियो निर्माण अभिकरण" से कोई वृत्तिक वीडियोग्राफर या कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है, जो वीडियोटेप निर्माण से संबंधित सेवा प्रदान करने के कारबार में लगा हुआ है;

(101) "वीडियो टेप निर्माण" से किसी चुंबकीय टेप पर किसी कार्यक्रम, घटना या समारोह के किसी अंकन की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(102) वे शब्द और पद, जो इस अध्याय में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, जहां तक हो सके, सेवा-कर के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे उत्पाद-शुल्क के संबंध में लागू होते हैं ;"; 1944 का 1

(ख) धारा 66 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

सेवा-कर का प्रभार। "66. (1) इस अध्याय के प्रारंभ की तारीख से ही, धारा 65 के खंड (90) के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (घ) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से कर (जिसे इसमें इसके पश्चात् सेवा-कर कहा गया है) उद्गृहीत और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा ।

(2) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 की धारा 85 के अधीन अधिसूचित तारीख से, धारा 65 के खंड (90) के उपखंड (ग), उपखंड (ङ) और उपखंड (च) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से सेवा-कर उद्गृहीत और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा । 1996 का 33

(3) वित्त अधिनियम, 1997 की धारा 88 के अधीन अधिसूचित तारीख से, धारा 65 के खंड (90) के उपखंड (छ),उपखंड (ज), उपखंड (झ), उपखंड (ञ), उपखंड (ट), उपखंड (ठ), उपखंड (ड), उपखंड (ढ) और उपखंड (ण) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से सेवा-कर उद्गृहीत और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा । 1997 का 26

(4) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 की धारा 116 के अधीन अधिसूचित तारीख से, धारा 65 के खंड (90) के उपखंड (त), उपखंड (थ), उपखंड (द), उपखंड (ध), उपखंड (न), उपखंड (प), उपखंड (फ), उपखंड (ब), उपखंड (भ), उपखंड (म) और उपखंड (य) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से सेवा-कर उद्गृहीत और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा । 1998 का 21

(5) वित्त अधिनियम, 2001 की धारा 130 के अधीन अधिसूचित तारीख से, धारा 65 के खंड (90) के उपखंड (यक), (यख), (यग), (यघ), (यङ), (यच), (यछ), (यज), (यझ), (यञ), (यट), (यठ), (यड), (यढ) और (यण) में निर्दिष्ट कराधेय सेवाओं के मूल्य के पांच प्रतिशत की दर पर सेवा-कर उद्गृहीत और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा।"। 2001 का 14

(6) वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 141 के अधीन अधिसूचित तारीख से धारा 65 के खंड (90) के उपखंड (यत), (यथ) (यद), (यध), (यण), (यप), (यफ), (यब), (यभ), (यम), (यय) और (ययक) में निर्दिष्ट कराधेय सेवा के मूल्य के पांच प्रतिशत की दर से सेवा-कर उद्‌गृहीत और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, संगृहीत किया जाएगा ।";

(ग) धारा 67 के स्पष्टीकरण में,—

(i) खंड (ङ) में "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (च) में, "ऐसे विनिर्माता से" शब्दों के स्थान पर "ऐसे विनिर्माता से; और" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(छ) रेल या ग्राहक से रेलयात्रा अभिकर्ता द्वारा प्राप्त कमीशन या कोई रकम ;";

(iv) "(ख) सेवा प्रदान करने से" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "लागत; और" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग में 'और' शब्द का लोप किया जाएगा;

(v) " (ग) सेवा प्रदान करने से" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "दुपहिए मोटर यानों" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा की बाबत वायुयान यात्रा अभिकर्ता द्वारा संगृहीत वायुयान भाड़ा; और

(ङ) उसके द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा की बाबत रेल यात्रा अभिकर्ता द्वारा संगृहीत रेल भाड़ा।"।

(घ) धारा 73 में,—

(क) धारा 73 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) में,-

(i) खंड (क) और खंड (ख) में, उनके अंत में आने वाले "कम निर्धारण किया गया है" शब्दों के स्थान पर " कम निर्धारण किया गया है या सेवा-कर संदत्त नहीं किया गया है या कम संदत्त किया गया है" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "वह, यदि" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "कराधेय सेवा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"वह, यदि खंड (क) के अंतर्गत आता है, उस सुसंगत तारीख से जिसको सेवा-कर से कराधेय व्यक्ति पर सूचना की तामील की जाती है जो निर्धारण से बच गया है या कम निर्धारण हुआ है या कर संदत्त नहीं किया है या कर कम संदत्त किया है या जिसको कोई राशि भूल से प्रतिदाय कर दी गई है, पांच वर्ष के भीतर किसी समय, और यदि खंड (ख) के अंतर्गत आता है, एक वर्ष के भीतर किसी समय, एक हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए कि उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय क्यों नहीं करना चाहिए । ";

(ख) इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

'(2) यथस्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त, अभ्यावेदन पर यदि कोई हो, जो उस व्यक्ति ने दिया हो जिस पर उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील की गई है विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से, शोध्य सेवा-कर की राशि, जो (सूचना में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है) अवधारण करेगा औ र तदुपरि इस प्रकार अवधारित रकम का संदाय करेगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सुसंगत तारीख से" निम्नलिखित अभिप्रेत है,-

(i) कराधेय सेवा जिसकी बाबत सेवा-कर का निर्धारण रह गया है या निर्धारण कम हुआ है या कर संदत्त नहीं किया गया है या कर कम संदत्त किया गया है—

(क) जहां इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, नियतकालिक विवरणी उस अवधि के दौरान संदत्त सेवा-कर की विशिष्टियां दर्शित करते हुए जिसको उक्त विवरणी इस प्रकार फाइल की गई है;

(ख) जहां यथाउपर्युक्त कोई नियतकालिक विवरणी फाइल की गई है वहां वह अंतिम तारीख जिसको इन नियमों के अधीन विवरणी फाइल की जाती है;

(ग) किसी अन्य दशा में वह तारीख जिसको इस अध्याय या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सेवा-कर संदत्त किया जाना है;

(ii) उस दशा में जहां सेवा-कर इस अध्याय या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अनन्तिम रूप से निर्धारित किया जाता है , उसके अंतिम निर्धारण के पश्चात् सेवा-कर के समायोजन की तारीख;

(iii) उस दशा में जहां सेवा-कर से संबंधित कोई राशि भूल से प्रतिदाय कर दी जाती है, ऐसे प्रतिदाय की तारीख।';

(ङ) धारा 75 में, "चौबीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पंद्रह प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे;

(च) धारा 78 के परंतुक में, "पच्चीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(छ) धारा 82 की उपधारा (1) में,—

(i) "कोई अन्य" शब्दों के स्थान पर, "कोई" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) "ऐसे दस्तावेजों या पुस्तकों या वस्तुओं की तलाशी करना या स्वयं तलाशी कर सकना" शब्दों के स्थान पर "ऐसे दस्तावेजों या पुस्तकों या वस्तुओं की तलाशी करना और अभिगृहीत करना या स्वयं तलाशी कर सकना या अभिगृहीत कर सकना" शब्द रखे जाएंगे ;

(ज) धारा 83 में, "11खख" अंकों और अक्षरों के पश्चात् "11घ" अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(झ) धारा 94 की उपधारा (2) में, खड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(ङङ) कोई कराधेय सेवा उपलब्ध कराने के लिए उपभोग की गई सेवा पर उस दशा में जहां सेवा उपभोग की जाती है और उपलब्ध कराई गई सेवा कराधेय सेवा की उसी कोटि में आती है, संदत्त सेवा-कर की जमा। ";

(ञ) खंड 95 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

नई सेवाओं के कार्यान्वयन में कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

"95. (1) यदि, वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा इस अध्याय में सम्मिलित किसी कराधेय सेवा के मूल्य के कार्यान्वयन या निर्धारण में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कठिनाई को दूर कर सकेगी जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हों:

परंतु यह कि ऐसा कोई आदेश उस तारीख से जिसको इस अध्याय में कराधेय ऐसी सेवाओं को सम्मिलित करने वाले वित्त अधिनियम, 2002 के उपबंधों की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् प्रवृत्त नहीं होगा ।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश बनाए जाने के तुरंत पश्चात् संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।"।

अध्याय 6

केंद्रीय विक्रय कर

धारा 2 का संशोधन।

1956 का 74

143. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम कहा गया है) धारा 2 में, खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(छ) "विक्रय" से, उसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित माल में की संपत्ति का एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नकदी के लिए या आस्थगित संदाय के लिए या किसी मूल्यवान प्रतिफल के लिए किया गया कोई अंतरण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(i) किसी माल में की संपत्ति का नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए अंतरण, जो किसी संविदा के अनुसरण में किए गए अंतरण से भिन्न है;

(ii) किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अंतर्ग्रस्त माल में की संपत्ति का अंतरण (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में);

(iii) भाड़ा क्रय या किस्तों द्वारा संदाय की किसी पद्धति पर माल का परिदान ;

(iv) नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी प्रयोजन के लिए किसी माल के उपयोग के अधिकार का अंतरण (चाहे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं) ;

(v) किसी अनिगमित निगम या व्यक्ति निकाय द्वारा उसके सदस्य को नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए माल का प्रदाय ;

(vi) ऐसे माल का, जो खाद्य या मानव उपभोग की कोई अन्य वस्तु या कोई पेय है (चाहे मादक है या नहीं), किसी सेवा के रूप में या उसके भागरूप में या किसी अन्य रीति में, चाहे जो भी हो, प्रदाय, जहां ऐसा प्रदाय या सेवा नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए है,

किंतु इसके अंतर्गत माल का बंधक या आड्मान या उसका पारित किया जाना या गिरवी रखा जाना नहीं है;'।

धारा 6क का संशोधन।

144. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 6क की उपधारा (1) में, "ऐसे माल के भेजने के साक्ष्य के साथ दे सकेगा" शब्दों के पश्चात्, "और यदि व्यौहारी ऐसी घोषणा प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो माल का संचलन इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए विक्रय के परिणामस्वरूप होने से हुआ समझा जाएगा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 8 का संशोधन।

145. केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 8 में,—

(i) उपधारा (1) में, "उसके आवर्त के चार प्रतिशत" शब्दों के पश्चात्, "या समुचित राज्य के भीतर उस राज्य की विक्रय कर विधि के अधीन ऐसे माल के विक्रय या क्रय को लागू दर पर होगा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) खंड (क) में, "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (ख) में, "इन दोनों में से जो भी अधिक हो" शब्दों के स्थान पर, "इन दोनों में से जो भी अधिक हो, और" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) "और ऐसे परिकलन के प्रयोजन के लिए" शब्दों से आरंभ होने वाले और " जिम्मेदार व्यौहारी है ।" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ग) ऐसे माल की दशा में जिसका, यथास्थिति, विक्रय या क्रय समुचित राज्य की विक्रय कर विधि के अधीन साधारणतया छूट प्राप्त है, शून्य होगा,

और खंड (क) या खंड (ख) के अधीन ऐसी किसी संगणना के प्रयोजन के लिए, ऐसे किसी व्यौहारी को, इस बात के होते हुए भी कि वह वास्तव में उस विधि के अधीन इस प्रकार दायी नहीं होगा, समुचित राज्य की विक्रय कर विधि के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी व्यौहारी समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी माल के विक्रय या क्रय को समुचित राज्य की विक्रय कर विधि के अधीन साधारणतः दर से छूट प्राप्त नहीं समझा जाएगा यदि उस विधि के अधीन ऐसे माल का विक्रय या क्रय केवल विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में या विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन या विनिर्दिष्ट व्यौहारियों के वर्ग के संबंध में छूट प्राप्त है या ऐसे माल के विक्रय या क्रय पर कर विनिर्दिष्ट प्रक्रमों में या माल के आवर्त के प्रति निर्देश से अन्यथा उद्गृहीत किया जाता है ।";

(iii) उपधारा (2क) का लोप किया जाएगा;

(iv) उपधारा (3) के खंड (ख) में, "विक्रय के लिए या" शब्दों के पश्चात्, "दूर संचार नेटवर्क में या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(v) उपधारा (5) में,—

(क) आरंभिक पैरा में, "राज्य सरकार" शब्दों के पश्चात् "व्यौहारी द्वारा उपधारा (4) में अधिकथित अपेक्षाओं के पूरा किए जाने पर" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) खंड (क) में, "अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में" शब्दों के पश्चात्, "किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी या सरकार को" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) खंड (ख) में "अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में ऐसे किसी व्यौहारी द्वारा, जिसका उस राज्य में कारबार का स्थान हो" शब्दों के पश्चात्, "किसी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी या सरकार को" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 15 का संशोधन।

146. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 15 के खंड (क) में, "और ऐसा कर, एक से अधिक प्रक्रमों पर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

1898 के अधिनियम 6 का संशोधन।

147. भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, रखी जाएगी, अर्थात्:—

"प्रथम अनुसूची

(धारा 7 देखिए)

अंतर्देशीय डाक महसूल की दरें

पत्र

बीस ग्राम से अनधिक वजन के लिए	5.00 रु०
बीस ग्राम से अधिक के हर बीस ग्राम, या उसके भिन्नांश के लिए	5.00 रु०

पत्र-कार्ड

पत्र-कार्ड के लिए	2.50 रु०

पोस्ट कार्ड

पोस्ट कार्ड (जो ऐसे पोस्ट कार्ड नहीं हैं जिनमें मुद्रित संसूचना, प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड या मेघदूत पोस्ट कार्ड है)

एकल	50 पैसे
जवाबी	1.00 रु०

मेघदूत पोस्ट कार्ड

पोस्ट कार्ड जिसमें पते की ओर मुद्रित विज्ञापन है (जो ऐसा पोस्ट कार्ड नहीं है जिसमें मुद्रित संसूचना या प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड है)

मेघदूत पोस्ट कार्ड के लिए	25 पैसे

मुद्रित पोस्ट कार्ड

पोस्ट कार्ड जिनमें मुद्रित संसूचना है (जो प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड या मेघदूत पोस्ट कार्ड नहीं है)

एक पोस्ट कार्ड के लिए	6.00 रु०

स्पष्टीकरण—यदि पोस्ट कार्ड में कोई बात (भेजने वाले के नाम और पते तथा उससे संबंधित अन्य विशिष्टियों तथा भेजने के स्थान और तारीख को छोड़कर) मुद्रण या चक्र-मुद्रण या किसी अन्य यांत्रिकी प्रक्रिया द्वारा, टंकण के सिवाय, पोस्ट कार्ड के पते वाले पृष्ठ के दाहिने हाथ के आधे भाग के सिवाय किसी अन्य भाग पर अभिलिखित की जाती है तो यह समझा जाएगा कि उस पोस्ट कार्ड में मुद्रित संसूचना है ।

प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड

एक पोस्ट कार्ड के लिए	10.00 रु०

स्पष्टीकरण—यदि पोस्ट कार्ड का प्रयोग टेलीविजन, रेडियो, समाचारपत्र, पत्रिका अथवा किसी अन्य संचार माध्यम से आयोजित किसी प्रतियोगिता के जवाब में किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि वह पोस्ट कार्ड, प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड है ।

पुस्तक, पैटर्न और सैम्पल पैकेट

प्रथम पचास ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए	4.00 रु०
पचास ग्राम से अधिक के हर अतिरिक्त पचास ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए	3.00 रु०

रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र

पचास ग्राम से अनधिक वजन के लिए	25 पैसे
पचास ग्राम से अधिक किन्तु एक सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए	50 पैसे
एक सौ ग्राम से अधिक के हर अतिरिक्त एक सौ ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए	20 पैसे

किसी रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र के उसी अंक की एक से अधिक प्रतियां एक ही पैकेट में ले जाने की दशा में,—

एक सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए	50 पैसे
एक सौ ग्राम से अधिक के हर अतिरिक्त एक सौ ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए	20 पैसे

परंतु यह तब जब कि ऐसा पैकेट किसी प्रेषिती के निवास स्थान पर परिदत्त नहीं किया जाएगा किन्तु किसी मान्यताप्राप्त अभिकर्ता को डाकघर में दिया जाएगा ।

पार्सल

पांच सौ ग्राम से अनधिक वजन के लिए	19.00 रु०
पांच सौ ग्राम से अधिक के हर पांच सौ ग्राम या उसके भिन्नांश के लिए	16.00 रु० ।"।

148. जीवन बीमा अधिनियम, 1956 की धारा 43क का 1 जून, 2002 से लोप किया जाएगा। 1956 के अधिनियम 31 की धारा 43क का लोप।

149. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 35क का 1 जून, 2002 से लोप किया जाएगा । 1972 के अधिनियम 57 की धारा 35क का लोप।

150. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् तेल उद्योग (विकास) अधिनियम कहा गया है) धारा 22क का, 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा । 1974 के अधिनियम 47 की धारा 22क का लोप।

151. तेल उद्योग (विकास) अधिनियम की अनुसूची में, कच्चे तेल से संबंधित क्रम सं. 1 के सामने स्तंभ 3 में की प्रविष्टि के स्थान पर, "दो हजार रुपए प्रति टन" प्रविष्टि रखी जाएगी। 1974 के अधिनियम 47 की अनुसूची का संशोधन।

152. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 की धारा 44 का, 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा । 1987 के अधिनियम 37 की धारा 44 का लोप।

153. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 22 का, 1 अप्रैल, 2003 से लोप किया जाएगा। 1990 के अधिनियम 25 की धारा 22 का लोप।

अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

1931 का 16 यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 125, खंड 138, खंड 139, खंड 140 और खंड 151 के उपबंधों का, अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तात्कालिक प्रभाव होगा।

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,-

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 50,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 50,000 रु0 से अधिक है किंतु 60,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत जिससे कुल आय 50,000 रु0 से अधिक हो जाती है;
(3) जहां कुल आय 60,000 रु0 से अधिक है किंतु 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 60,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है	19,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 या धारा 113 में संगणित आय-कर की रकम में से,-

(i) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की दशा में, जिसकी कुल आय साठ हजार रुपए से अधिक है, अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार घटा कर आए आय-कर में ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

(ii) मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय साठ हजार रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर, आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, उस आय की रकम, जो साठ हजार रुपए से अधिक हो जाती है, से अधिक साठ हजार रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,-

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 या धारा 113 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,-

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	35 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक फर्म की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 112 या धारा 113 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,-

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 112 या धारा 113 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,-

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में — कुल आय का 35 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,-

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,-

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व, अथवा

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से, तकनीकी सेवाएं देने के लिए, प्राप्त फीसें,

और जहां, दोनों में से किसी भी दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है — 50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो — 48 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 या धारा 113 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी:-

	आय-कर की दरें
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,-	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,-	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाभांश के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(iii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(v) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(vi) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर -	10 प्रतिशत ;
(अ) किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम द्वारा या उसकी ओर से पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या केंद्रीय या किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों से भिन्न धन के लिए अन्य प्रतिभूतियां;	
(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं	
(vii) किसी अन्य आय पर	20 प्रतिशत ;
(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,-	
(i) अनिवासी भारतीय की दशा में,-	
(अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) धारा 115ङ में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(इ) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर	20 प्रतिशत ;
(ई) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ए) अन्य संपूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,-	
(अ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(इ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(उ) अन्य संपूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ।
2. कंपनी की दशा में,-	
(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,-	

	आय-कर की दर
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(ii) लाभांश के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(iii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(v) किसी अन्य आय पर	20 प्रतिशत ;
(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,-	
(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(iv) 31 मार्च, 1976 के पश्चात् उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को, आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार की बाबत अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को, आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर की बाबत सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है––	
(अ) जहां करार 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किया गया है	20 प्रतिशत ;
(v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो उपमद (ख) (iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है]-	
(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किन्तु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किया गया है	20 प्रतिशत ;
(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,-	
(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किन्तु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किया गया है	20 प्रतिशत ;
(vii) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(viii) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण - इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजन के लिए, "विनिधान से आय" और "अनिवासी भारतीय" के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में हैं ।

आय-कर पर अधिभार

इस भाग के उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों से कर से प्रभार्य किसी आय की बाबत "अग्रिम कर" नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खख या धारा115खखक या धारा 115खखख या धारा 115ङ या धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय की बाबत ऐसे "अग्रिम कर" पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :-

पैरा क

प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,-

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 50,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 50,000 रु0 से अधिक है किंतु 60,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत जिससे कुल आय 50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 60,000 रु0 से अधिक है किंतु 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 60,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है	19,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में से, --

(i) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की दशा में, जिसकी कुल आय साठ हजार रुपए से अधिक है, अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार घटा कर आए आय-कर में, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

(ii) प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, उनसे भिन्न जो मद (i) में उल्लिखित है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय साठ हजार रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, उस आय की रकम, जो साठ हजार रुपए से अधिक हो जाती है, से अधिक साठ हजार रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,-

आय-कर की दर

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,-

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	35 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक फर्म की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,-

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,-

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में	कुल आय का 35 प्रतिशत ;
II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,-	
(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,-	
(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए करार के अनुसरण में सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या	
(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए किसी करार के अनुसरण में सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस,	
और जहां, दोनों में से प्रत्येक दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है	50 प्रतिशत ;
(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा की मद I के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 4

[धारा 2(10)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 तक के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे:

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतर के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रतिनिर्देश नहीं हैं ।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3) और उपधारा (4) को छोड़कर] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 तक के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में,—

(क) जिसमें निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जिसमें निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत अपकेन्द्रित लेटेक्स या सिनेक्स या लेटेक्स आधारित क्रेप (जैसे पीला लेटेक्स क्रेप) या भूरा क्रेप (भू भूरा क्रेप, पुनः मशीन से तैयार क्रेप, धूम आवरित क्रेप, सपाट छाल क्रेप) या तकनीकी रूप से ब्लाक रबड़ के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जिसमें निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उगाई गई और विनिर्मित काफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ।

नियम 5—जहां निर्धारिती (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय (हिंदू अविभक्त कुटुंब या कंपनी या फर्म से भिन्न) किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत की बाबत पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परंतु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्‌गृहीत किसी कर मद्धे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 1994 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1995 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 1994 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1995 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 1995 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(2) जहां निर्धारिती की, 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय की बाबत प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 1995 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (9) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 1995 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 1996 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 1997 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन या 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 1998 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 1999 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी ने इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 1995 (1995 का 22) की पहली अनुसूची के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 (1996 का 33) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 1997 (1997 का 26) की पहली अनुसूची के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 1999 (1999 का 27) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2000 (2000 का 10) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

नियम 10—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध हैं) आवश्यक उपांतरों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 125 देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 1 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 2 में, सभी उपशीर्षों के (उपशीर्ष 0207.13 और 0207.14 के सिवाय) सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 3 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 4 में, सभी उपशीर्षों के (उपशीर्ष 0402.10, 0402.21, 0405.10 और 0406.90 के सिवाय) सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(5) अध्याय 5 में,—

(i) सभी उपशीर्षों के (उपशीर्ष 0507.10 के सिवाय) सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 0507.10 में स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "30%" और "20%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(6) अध्याय 6 में, उपशीर्ष 0603.10, 0603.90, 0604.10, 0604.91 और 0604.99 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(7) अध्याय 7 में,—

(i) सभी उपशीर्षों (उपशीर्षों 0713.10, 0713.20, 0713.31, 0713.32, 0713.33, 0713.39, 0713.40, 0713.50 और 0713.90 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "30%" और "20%" प्रविष्टियां रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 0713.10 में स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर "40%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 0713.20, 0713.31, 0713.32, 0713.33, 0713.39, 0713.40, 0713.50 और 0713.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "30%" और "20%" प्रविष्टियां रखी जाएगी ;

(8) अध्याय 8 में,—

(i) सभी उपशीर्षों (उपशीर्षों 0801.11, 0801.19, 0801.31, 0802.11, 0802.12, 0802.90, 0805.10, 0805.40, 0805.50, 0806.10, 0806.20, 0808.10, 0808.20, 0809.40 और 0813.20 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "30%" और "20%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(ii) उपशीर्ष 0801.31 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 0802.11 में, स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30 रुपए प्रति किलोग्राम" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष 0802.90 में, स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर "90%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष 0805.40 में, स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष 0806.10 में, स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष 0806.20 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "105%" और "95%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(viii) उपशीर्ष 0808.10 में, स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर "40%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष 0808.20 में, स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर "25%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष 0813.20 में, स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(9) अध्याय (9) में,—

(i) उपशीर्ष 0901.11, 0901.12, 0901.21, 0901.22 और 0901.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "100%" और "100% **ऋण** 13 पैसे प्रति किलोग्राम" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(ii) उपशीर्ष 0902.10, 0902.20, 0902.30 और 0902.40 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "100%" और "100% **ऋण** 26 पैसे प्रति किलोग्राम" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(iii) उपशीर्ष 0903.00 में, स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "30%" और "30% **ऋण** 26 पैसे प्रति किलोग्राम" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(iv) उपशीर्ष 0904.11 और 0904.12 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "70%" और "62.5%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(v) उपशीर्ष 0904.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "70%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष 0905.00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष 0906.10 और 0906.20 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "30%" और "22.5%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(viii) उपशीर्ष 0907.00 में, स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "70%" और "62.5%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(ix) उपशीर्ष 0908.10 में, स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "30%" और "22.5%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(x) उपशीर्ष 0908.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष 0908.30 में, स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "70%" और "62.5%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(xii) उपशीर्ष 0909.10, 0909.20, 0909.30, 0909.40, 0909.50, 0910.10, 0910.20, 0910.30, 0910.40, 0910.50, 0910.91 और 0910.99 में उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(10) अध्याय 11 में, सभी उपशीर्षों (उपशीर्ष 1107.10 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(11) अध्याय 12 में,—

(i) सभी उपशीर्षों (उपशीर्षों 1201.00, 1202.10, 1202.20, 1203.00, 1204.00, 1205.10, 1205.90, 1206.00, 1207.10, 1207.20, 1207.30, 1207.40, 1207.50, 1207.60, 1207.91, 1207.99, 1209.91 और 1209.99 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 1201.10, 1202.10, 1202.20, 1204.00, 1205.10, 1205.90, 1206.00, 1207.10, 1207.20, 1207.30, 1207.40, 1207.50 और 1207.60 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "30%" और "20%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(iii) उपशीर्ष 1207.91 में, स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "70%" और "60%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(iv) उपशीर्ष 1207.99 में, स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "30%" और "20%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(12) अध्याय 13 में,—

(i) सभी उपशीर्षों (1301.20 उपशीर्ष के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 1301.20 में, स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "30%" और "20%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(13) अध्याय 14 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(14) अध्याय 15 में,—

(i) उपशीर्ष 1501.00, 1503.00, 1504.10, 1504.20, 1504.30, 1505.00 और 1506.00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 1507.10 और 1507.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 1508.10 और 1508.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर "90%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष 1509.10 में, स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष 1509.90 में, स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष 1510.00 में, स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष 1511.10, 1511.90, 1512.11, 1512.19, 1512.21, 1512.29, 1513.11, 1513.19, 1513.21 और 1513.29 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर "90%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष 1514.11, 1514.19, 1514.91 और 1514.99 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर "65%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष 1515.11, 1515.19, 1515.21, 1515.29, 1515.30, 1515.40, 1515.50 और 1515.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर "90%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष 1516.10, 1516.20, 1517.10, 1517.90, 1518.00, 1520.00, 1521.10, 1521.90 और 1522.00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(15) अध्याय 16 में, सभी उपशीर्षों (उपशीर्ष 1601.10 और 1602.32 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(16) अध्याय 17 में, सभी उपशीर्षों (उपशीर्षों 1701.11, 1701.12, 1701.91, 1701.99 और 1704.10 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(17) अध्याय 18 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(18) अध्याय 19 में, सभी उपशीर्षों (1901.10, 1905.31 और 1905.32 उपशीर्षों के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(19) अध्याय 20 में, सभी उपशीर्षों (उपशीर्षों 2004.10, 2009.11, 2009.12 और 2009.19 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(20) अध्याय 21 में,—

(i) सभी उपशीर्षों (उपशीर्ष 2106.90 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 2106.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "160%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(21) अध्याय 22 में,—

(i) उपशीर्ष 2201.10, 2201.90, 2202.10 और 2202.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 2207.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "182%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 2207.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष 2208.20, 2208.30, 2208.40, 2208.50, 2208.60, 2208.70 और 2208.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "182%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष 2209.00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(22) अध्याय 23 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(23) अध्याय 24 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(24) अध्याय 25 में,—

(i) उपशीर्ष 2504.10 और 2504.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "30%" और "20%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(ii) उपशीर्ष 2515.11, 2515.12, 2515.20, 2516.11, 2516.12, 2516.21, 2516.22, 2516.90, 2519.10, 2519.90, 2523.10, 2523.21, 2523.29, 2523.30 और 2523.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(25) अध्याय 26 में, उपशीर्ष 2620.11, 2620.19 और 2620.30 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(26) अध्याय 27 में, —

(i) उपशीर्ष 2705.00, 2706.00, 2707.10, 2707.20, 2707.30, 2707.50, 2707.91, 2707.99, 2708.10 और 2708.20 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 2709.00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 2710.11, 2710.19, 2710.91, 2710.99, 2712.10, 2712.20, 2712.90, 2713.11, 2713.12, 2713.20, 2713.90 और 2715.00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(27) अध्याय 28 में, सभी उपशीर्षों (उपशीर्षों 2801.20, 2814.10, 2814.20 और 2845.10 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(28) अध्याय 29 में, —

(i) सभी उपशीर्षों (उपशीर्षों 2901.10, 2901.21, 2901.22, 2901.23, 2901.24, 2901.29, 2902.11, 2902.19, 2902.20, 2902.30, 2902.41, 2902.42, 2902.43, 2902.44, 2902.50, 2902.60, 2902.70, 2902.90, 2903.15, 2903.21, 2905.11, 2905.31, 2907.11, 2910.30, 2915.21, 2917.12, 2917.36, 2917.37, 2918.12, 2926.10, 2933.21, 2933.71, 2936.10, 2936.21, 2936.22, 2936.23, 2936.24, 2936.25, 2936.26, 2936.27, 2936.28, 2936.29, 2936.90, 2937.11, 2937.12, 2937.19, 2937.21, 2937.22, 2937.23, 2937.29, 2937.31, 2937.39, 2937.40, 2937.50, 2937.90, 2939.41, 2939.42, 2939.43, 2939.49, 2939.51, 2939.59, 2941.10, 2941.20, 2941.30, 2941.40, 2941.50 और 2941.90 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 2902.43 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 2936.10, 2936.21, 2936.22, 2936.23, 2936.24, 2936.25, 2936.26, 2936.27, 2936.28, 2936.29 और 2936.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "30%" और "24%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(iv) उपशीर्ष 2937.11, 2937.12, 2937.19, 2937.21, 2937.22, 2937.23, 2937.29, 2937.31, 2937.39, 2937.40, 2937.50, 2937.90, 2939.41, 2939.42, 2939.43, 2939.49, 2939.51 और 2939.59 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "30%" और "20%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(v) उपशीर्ष 2941.10, 2941.20, 2941.30, 2941.40, 2941.50 और 2941.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "30%" और "24%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(29) अध्याय 30 में,—

(i) सभी उपशीर्षों (उपशीर्षों 3005.10, 3005.90, 3006.10, 3006.20, 3006.30, 3006.40, 3006.50, 3006.60, 3006.70 और 3006.80 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "30%" और "20%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(ii) उपशीर्ष 3005.10, 3005.90, 3006.10, 3006.20, 3006.30, 3006.40, 3006.50, 3006.70 और 3006.80 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(30) अध्याय 31 में, सभी उपशीर्षों (3102.21, 3102.50, 3104.30, 3105.20, 3105.30, 3105.40, 3105.51, 3105.59, 3105.60 और 3105.90 उपशीर्षों के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(31) अध्याय 32 में, सभी उपशीर्षों (उपशीर्षों 3201.10, 3201.20 और 3201.90 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(32) अध्याय 33 में,—

(i) सभी उपशीर्षों (उपशीर्ष 3302.10 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 3302.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "160%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(33) अध्याय 34 में,—

(i) सभी उपशीर्षों (उपशीर्षों 3402.11, 3402.12, 3402.13 और 3402.19 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 3402.11, 3402.12, 3402.13 और 3402.19 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "30%" और "20%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(34) अध्याय 35 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(35) अध्याय 36 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(36) अध्याय 37 में, उपशीर्ष 3702.32, 3702.39, 3702.42, 3702.43, 3702.44, 3707.10 और 3707.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(37) अध्याय 38 में,—

(i) सभी उपशीर्षों (उपशीर्षों 3801.10, 3802.10, 3812.10, 3815.11, 3815.12, 3815.19, 3815.90, 3818.00 और 3823.70 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 3801.10, 3802.10 और 3812.10 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में की प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "30%" और "20%" प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(38) अध्याय 39 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(39) अध्याय 40 में,—

(i) सभी उपशीर्षों (उपशीर्षों 4001.10, 4001.21, 4001.22, 4001.29, 4001.30 और 4011.30 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 4001.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "70%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(40) अध्याय 42 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(41) अध्याय 43 में, उपशीर्ष 4303.10, 4303.90 और 4304.00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(42) अध्याय 44 में, सभी उपशीर्षों (4401.10, 4401.21, 4401.22, 4401.30, 4402.00, 4403.10, 4403.20, 4403.41, 4403.49, 4403.91, 4403.92, 4403.99, 4404.10, 4404.20, 4405.00, 4406.10, 4406.90, 4407.10, 4407.24, 4407.25, 4407.26, 4407.29, 4407.91, 4407.92 और 4407.99 उपशीर्षों के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(43) अध्याय 45 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(44) अध्याय 46 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(45) अध्याय 48 में, सभी उपशीर्षों (उपशीर्ष 4801.00 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(46) अध्याय 50 में, सभी उपशीर्षों (उपशीर्षों 5003.10 और 5003.90 के सिवाय) के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(47) अध्याय 51 में, —

(i) उपशीर्ष 5101.21, 5101.30, 5109.10, 5109.90 और 5110.00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 5113.00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 60 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(48) अध्याय 52 में, —

(i) उपशीर्ष 5203.00, 5207.90, 5208.11, 5208.12, 5208.13, 5208.19, 5208.21, 5208.22, 5208.23, 5208.29, 5208.31, 5208.32 और 5208.33 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 5208.39 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 150 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 5208.43 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% " प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष 5208.49 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 200 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष 5209.11, 5209.12, 5209.19, 5209.21, 5209.22 और 5209.29 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% " प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष 5209.31, 5209.32 और 5209.39 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 150 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो " प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष 5209.41 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 32 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष 5209.43 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 30 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष 5209.49 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 150 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष 5210.11, 5210.12, 5210.19, 5210.21, 5210.22, 5210.29, 5210.31 और 5210.32 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष 5210.39 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 150 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष 5210.42 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 25 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष 5210.49 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 185 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष 5211.11, 5211.12, 5211.19, 5211.21, 5211.22 और 5211.29 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) उपशीर्ष 5211.31, 5211.32 और 5211.39 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 150 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) उपशीर्ष 5211.41 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 44 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) उपशीर्ष 5211.43 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 40 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) उपशीर्ष 5211.49 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 150 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) उपशीर्ष 5212.11, 5212.12, 5212.13 और 5212.14 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर "30% " प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) उपशीर्ष 5212.15 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 165 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) उपशीर्ष 5212.21, 5212.22, और 5212.23 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% " प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) उपशीर्ष 5212.25 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 165 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(49) अध्याय 53 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% " प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(50) अध्याय 54 में, उपशीर्ष 5408.10 और 5408.21 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% " प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(51) अध्याय 55 में,—

(i) उपशीर्ष 5505.10, 5505.20, 5512.11, 5512.21, 5512.91, 5513.11, 5513.12, 5513.13 और 5513.19 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% " प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष 5513.21 और 5513.22 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 150 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष 5513.23 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 125 रुपए प्रति किलोग्राम या 25 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी अधिकतम हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष 5513.29 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 185 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष 5513.32 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 170 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष 5513.33 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 22 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष 5513.39 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 125 रुपए प्रति किलोग्राम या 30 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी अधिकतम हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष 5513.42 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 12 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष 5513.43 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 20 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष 5513.49 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 185 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष 5514.11, 5514.12, 5514.13, और 5514.19 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष 5514.21 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 100 रुपए प्रति किलोग्राम या 30 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी अधिकतम हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष 5514.22 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 140 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष 5514.23 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 160 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) उपशीर्ष 5514.29 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 170 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) उपशीर्ष 5514.31 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 64 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) उपशीर्ष 5514.33 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 180 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) उपशीर्ष 5514.42 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 140 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) उपशीर्ष 5514.43 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "30% या 31 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) उपशीर्ष सं0 5514.49 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 160 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) उपशीर्ष सं0 5515.12 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 95 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) उपशीर्ष सं0 5515.13 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 75 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) उपशीर्ष सं0 5515.21 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 79 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) उपशीर्ष सं0 5515.22 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 140 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) उपशीर्ष सं0 5515.91 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 57 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) उपशीर्ष सं0 5515.92 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) उपशीर्ष सं0 5516.11 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) उपशीर्ष सं0 5516.12 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) उपशीर्ष सं0 5516.13 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) उपशीर्ष सं0 5516.21 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) उपशीर्ष सं0 5516.22 और 5516.23 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) उपशीर्ष सं0 5516.31, 5516.32, 5516.33, 5516.34, 5516.41, 5516.42, 5516.91 और 5516.92 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiii) उपशीर्ष सं0 5516.94 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(52) अध्याय 56 में, उपशीर्ष सं0 5601.10, 5608.11, 5608.19, 5608.90 और 5609.00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(53) अध्याय 57 में,—

(i) उपशीर्ष सं0 5701.10, 5701.90, 5702.10, 5702.20 और 5702.31 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं0 5702.32 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 105 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष सं0 5702.39 और 5702.41 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष सं0 5702.42 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष सं0 5702.49 और 5702.51 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष सं0 5702.52 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 105 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष सं0 5702.59 और 5702.91 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष सं0 5702.92 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 110 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष सं0 5702.99 और 5703.10 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष सं0 5703.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष सं0 5703.30 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 55 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष सं0 5703.90 और 5704.10 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष सं0 5704.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष सं0 5705.00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(54) अध्याय 58 में,—

(i) उपशीर्ष सं0 5801.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 210 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं0 5801.21 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष सं0 5801.22 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 75 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष सं0 5801.23 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष सं0 5801.24 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 135 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष सं0 5801.25 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 120 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष सं0 5801.26 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 180 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष सं0 5801.31 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 75 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष सं0 5801.32 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 180 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष सं0 5801.33 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष सं0 5801.34 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 140 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष सं0 5801.36 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 130 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष सं0 5801.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष सं0 5802.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) उपशीर्ष सं0 5802.30 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) उपशीर्ष सं0 5803.10 और 5803.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) उपशीर्ष सं0 5804.10, 5804.21, 5804.29 और 5804.30 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30% या 200 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) उपशीर्ष सं0 5805.00, 5806.10, 5806.20, 5806.31, 5806.39, 5806.40 और 5808.10 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) उपशीर्ष सं0 5810.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 200 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) उपशीर्ष सं0 5810.91, 5810.92, 5810.99 और 5811.00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(55) अध्याय 59 में, उपशीर्ष सं0 5904.10, 5904.90, 5905.00, 5906.10, 5906.91, 5906.99, 5907.00, 5908.00, 5909.00, 5911.20, 5911.31, 5911.32, 5911.40 और 5911.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(56) अध्याय 60 में, सभी उपशीर्षों (उपशीर्ष सं0 6001.92, 6005.21, 6005.22, 6005.23, 6005.24, 6005.31, 6005.32, 6005.33, 6005.34, 6005.41, 6005.42, 6005.43 और 6005.44 के सिवाय) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(57) अध्याय 61 में,—

(i) उपशीर्ष सं0 6101.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 700 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं0 6101.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 540 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष सं0 6101.30 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 530 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष सं0 6101.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष सं0 6102.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 595 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष सं0 6102.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 425 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष सं0 6102.30 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 475 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष सं0 6102.90, 6103.11, 6103.12, 6103.19, 6103.21, 6103.22, 6103.23, 6103.29, 6103.31, 6103.32, 6103.33, 6103.39, 6103.41, 6103.42, 6103.43, 6103.49. 6104.11, 6104.12 और 6104.13 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष सं0 6104.19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 460 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष सं0 6104.21, 6104.22, 6104.23, 6104.29, 6104.31, 6104.32, 6104.33 और 6104.39 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष सं0 6104.41 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 255 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष सं0 6104.42 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष सं0 6104.43 और 6104.44 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 255 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष सं0 6104.49 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 220 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) उपशीर्ष सं0 6104.51, 6104.52, 6104.53 और 6104.59 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30% या 110 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) उपशीर्ष सं0 6104.61 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) उपशीर्ष सं0 6104.62 और 6104.63 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30% या 98 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) उपशीर्ष सं0 6104.69 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) उपशीर्ष सं0 6105.10 और 6105.20 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30% या 83 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) उपशीर्ष सं0 6105.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 90 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) उपशीर्ष सं0 6106.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 90 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) उपशीर्ष सं0 6106.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 25 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) उपशीर्ष सं0 6106.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 135 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) उपशीर्ष सं0 6107.11 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 24 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) उपशीर्ष सं0 6107.12 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 30 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) उपशीर्ष सं0 6107.19, 6107.21, 6107.22, 6107.29, 6107.91, 6107.92, 6107.99, 6108.11 और 6108.19 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) उपशीर्ष सं0 6108.21 और 6108.22 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30% या 25 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टियों रखी जाएगी ;

(xxviii) उपशीर्ष सं0 6108.29, 6108.31, 6108.32 और 6108.39 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) उपशीर्ष सं0 6108.91 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 65 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) उपशीर्ष सं0 6108.92 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 60 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) उपशीर्ष सं0 6108.99 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) उपशीर्ष सं0 6109.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 45 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टियों रखी जाएगी ;

(xxxiii) उपशीर्ष सं0 6109.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 50 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiv) उपशीर्ष सं0 6110.11, 6110.12 और 6110.19 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 275 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxv) उपशीर्ष सं0 6110.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 85 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvi) उपशीर्ष सं0 6110.30 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 110 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvii) उपशीर्ष सं0 6110.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 105 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxviii) उपशीर्ष सं0 6111.10, 6111.20, 6111.30, 6111.90, 6112.11, 6112.12, 6112.19, 6112,20, 6112.31, 6112.39, 6112.41, 6112.49, 6113.00, 6114.10, 6114.20, 6114.30, 6114.90, 6115.11, 6115.12, 1615.19, 6115.20, 6115.91, 6115.92, 6115.93, 6115.99, 6116.10, 6116.91, 6116.92, 6116.93, 6116.99, 6117.10, 6117.20, 6117.80 और 6117.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(58) अध्याय 62 में,—

(i) उपशीर्ष सं0 6201.11 और 6201.12 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “30% या 385 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं0 6201.13 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 320 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष सं0 6201.19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष सं0 6201.91 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 220 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष सं0 6201.92 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 210 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष सं0 6201.93 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 180 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष सं0 6201.99 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष सं0 6202.11 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 385 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष सं0 6202.12 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 210 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष सं0 6202.13 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 385 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष सं0 6202.19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) उपशीर्ष सं0 6202.91 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 220 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiii) उपशीर्ष सं0 6202.92 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 160 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) उपशीर्ष सं0 6202.93 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 220 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) उपशीर्ष सं0 6202.99 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) उपशीर्ष सं0 6203.11 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 1,100 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) उपशीर्ष सं0 6203.12 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 720 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) उपशीर्ष सं0 6203.19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 1,110 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) उपशीर्ष सं0 6203.21, 6203.22, 6203.23 और 6203.29 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “30% या 145 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xx) उपशीर्ष सं0 6203.31 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 815 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxi) उपशीर्ष सं0 6203.32 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 440 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxii) उपशीर्ष सं0 6203.33 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 320 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiii) उपशीर्ष सं0 6203.39 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 755 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) उपशीर्ष सं0 6203.41 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 285 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxv) उपशीर्ष सं0 6203.42 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 135 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvi) उपशीर्ष सं0 6203.43 और 6203.49 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “30% या 110 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxvii) उपशीर्ष सं0 6204.11 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 550 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxviii) उपशीर्ष सं0 6204.12 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxix) उपशीर्ष सं0 6204.13 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 550 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxx) उपशीर्ष सं0 6204.19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 500 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxi) उपशीर्ष सं0 6204.21, 6204.22, 6204.23 और 6204.29 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxii) उपशीर्ष सं0 6204.31 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 370 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiiii) उपशीर्ष सं0 6204.32 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 650 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxiv) उपशीर्ष सं0 6204.33 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 390 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxv) उपशीर्ष सं0 6204.39 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 350 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvi) उपशीर्ष सं0 6204.41 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 145 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxvii) उपशीर्ष सं0 6204.42 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 116 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxviii) उपशीर्ष सं0 6204.43, 6204.44 और 6204.49 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 145 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxxix) उपशीर्ष सं0 6204.51 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 485 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xl) उपशीर्ष सं0 6204.52, 6204.53 और 6204.59 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xli) उपशीर्ष सं0 6204.61 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 285 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlii) उपशीर्ष सं0 6204.62 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 135 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xliii) उपशीर्ष सं0 6204.63 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xliv) उपशीर्ष सं0 6204.69 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 135 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlv) उपशीर्ष सं0 6205.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 200 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlvi) उपशीर्ष सं0 6205.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 85 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlvii) उपशीर्ष सं0 6205.30 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 120 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlviii) उपशीर्ष सं0 6205.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 95 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xlix) उपशीर्ष सं0 6206.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(l) उपशीर्ष सं0 6206.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 135 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(li) उपशीर्ष सं0 6206.30 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 95 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lii) उपशीर्ष सं0 6206.40 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 120 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(liii) उपशीर्ष सं0 6206.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(liv) उपशीर्ष सं0 6207.11 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 28 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lv) उपशीर्ष सं0 6207.19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 30 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lvi) उपशीर्ष सं0 6207.21, 6207.22, 6207.29, 6207.91 और 6207.92 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lvii) उपशीर्ष सं0 6207.99 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 70 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lviii) उपशीर्ष सं0 6208.11 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 80 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lix) उपशीर्ष सं0 6208.19 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 60 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lx) उपशीर्ष सं0 6208.21, 6208.22 और 6208.29 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxi) उपशीर्ष सं0 6208.91 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 95 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxii) उपशीर्ष सं0 6208.92 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 65 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxiii) उपशीर्ष सं0 6208.99, 6209.10, 6209.20, 6209.30, 6209.90 और 6210.10 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxiv) उपशीर्ष सं0 6210.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 365 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxv) उपशीर्ष सं0 6210.30 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30% या 305 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxvi) उपशीर्ष सं0 6210.40 और 6210.50 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30% या 65 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxvii) उपशीर्ष सं0 6211.11, 6211.12, 6211.20 और 6211.31 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxviii) उपशीर्ष सं0 6211.32 और 6211.33 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30% या 135 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxix) उपशीर्ष सं0 6211.39 और 6211.41 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxx) उपशीर्ष सं0 6211.42 और 6211.43 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30% या 135 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो," प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxi) उपशीर्ष सं0 6211.49 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxii) उपशीर्ष सं0 6212.10, 6212.20, 6212.30 और 6212.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “30% या 30 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxiii) उपशीर्ष सं0 6213.10, 6213.20 और 6213.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxiv) उपशीर्ष सं0 6214.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 390 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxv) उपशीर्ष सं0 6214.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 180 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxvi) उपशीर्ष सं0 6214.30 और 6214.40 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxvii) उपशीर्ष सं0 6214.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 75 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxviii) उपशीर्ष सं0 6215.10, 6215.20 और 6215.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “30% या 55 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(lxxix) उपशीर्ष सं0 6216.00, 6217.10 और 6217.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(59) अध्याय 63 में,—

(i) सभी उपशीर्षों (उपशीर्ष सं0 6301.20, 6302.21, 6302.31, 6310.10 और 6310.90 के सिवाय) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं0 6301.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 275 रुपए प्रति नग, जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष सं0 6302.21 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 108 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष सं0 6302.31 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30% या 96 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(60) अध्याय 64 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(61) अध्याय 65 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(62) अध्याय 66 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(63) अध्याय 67 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(64) अध्याय 68 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(65) अध्याय 69 में, सभी उपशीर्षों (उपशीर्ष सं0 6902.10, 6902.20, 6902.90, 6903.10, 6903.20 और 6903.90 के सिवाय) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(66) अध्याय 70 में, सभी उपशीर्षों (उपशीर्ष सं0 7019.19 और 7019.51 के सिवाय) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(67) अध्याय 71 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(68) अध्याय 72 में, सभी उपशीर्षों (उपशीर्ष सं0 7201.10, 7201.20, 7201.50, 7202.11, 7202.19, 7202.21, 7202.29, 7202.30, 7202.41, 7202.49, 7202.50, 7202.60, 7202.70, 7202.80, 7202.91, 7202.92, 7202.93 और 7202.99 के सिवाय) में, के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(69) अध्याय 73 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(70) अध्याय 74 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “25%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(71) अध्याय 75 में, उपशीर्ष सं0 7508.10 और 7508.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(72) अध्याय 76 में,—

(i) सभी उपशीर्षों (उपशीर्ष सं0 7615.11, 7615.19 और 7615.20 के सिवाय) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “20%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं0 7615.11, 7615.19 और 7615.20 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(73) अध्याय 78 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “25%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(74) अध्याय 79 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “25%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(75) अध्याय 80 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “15%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(76) अध्याय 81 में, सभी उपशीर्षों (उपशीर्ष सं0 8104.11 और 8104.19 के सिवाय) में, उनके सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, “30%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(77) अध्याय 82 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(78) अध्याय 83 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(79) अध्याय 84 में,—

(i) उपशीर्ष सं0 8407.31, 8407.32, 8407.33, 8407.34, 8408.20, 8409.91, 8409.99, 8414.30, 8414.51, 8414.59, 8414.80, 8414.90, 8415.10, 8415.20, 8415.81, 8415.82, 8415.83, 8415.90, 8418.21, 8418.22, 8418.29, 8418.91, 8418.99, 8422.11, 8422.19, 8422.90, 8423.10, 8448.19, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8450.90, 8451.10, 8451.90, 8452.10, 8452.90, 8469.12, 8469.20, 8469.30, 8472.10, 8472.20, 8472.30, 8472.90, 8473.10 और 8473.40 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं0 8473.50 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष सं0 8479.50, 8479.60, 8479.89, 8482.10, 8482.20, 8482.30, 8482.40, 8482.50, 8482.80, 8482.91, 8482.99, 8483.20, 8485.10 और 8485.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(80) अध्याय 85 में,—

(i) उपशीर्ष सं0 8504.10, 8506.10, 8506.30, 8506.40, 8506.50, 8506.60, 8506.80, 8506.90, 8507.10, 8507.20, 8507.30, 8507.40, 8507.80, 8507.90, 8509.10, 8509.20, 8509.30, 8509.40, 8509.80, 8509.90, 8510.10, 8510.20, 8510.30, 8510.90, 8511.10, 8511.20, 8511.30, 8511.40, 8511.50, 8511.80, 8511.90, 8512.10, 8512.20, 8512.30, 8512.40, 8512.90, 8513.10, 8513.90, 8516.10, 8516.21, 8516.29, 8516.31, 8516.32, 8516.33, 8516.40, 8516.50, 8516.60, 8516.71, 8516.72, 8516.79, 8516.80, 8518.10, 8518.21, 8518.22, 8518.29, 8518.30, 8518.40, 8518.50, 8519.10, 8519.21, 8519.29, 8519.31, 8519.39, 8519.40, 8519.92, 8519.93, 8519.99, 8520.10, 8520.32, 8520.33, 8520.39, 8520.90, 8521.10, 8521.90, 8522.10 और 8522.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं0 8523.11,8523.12, 8523.13 और 8523.20 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) उपशीर्ष सं0 8523.30 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) उपशीर्ष सं0 8523.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) उपशीर्ष सं0 8524.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) उपशीर्ष सं0 8524.31 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) उपशीर्ष सं0 8524.32 और 8524.39 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) उपशीर्ष सं0 8524.40 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) उपशीर्ष सं0 8524.51, 8524.52, 8524.53 और 8524.60 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) उपशीर्ष सं0 8524.91 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) उपशीर्ष सं0 8524.99, 8525.30, 8525.40, 8526.10, 8526.91, 8526.92, 8527.12, 8527.13, 8527.19, 8527.21, 8527.29, 8527.31, 8527.32, 8527.39, 8527.90, 8528.12, 8528.13, 8528.21, 8528.22, 8528.30, 8531.10, 8531.80, 8531.90, 8536.10, 8536.20, 8536.30, 8536.41, 8536.49, 8536.50, 8536.61, 8536.69, 8536.90, 8537.10, 8538.10, 8538.90, 8539.10, 8539.21, 8539.22, 8539.29, 8539.31, 8539.32, 8539.39, 8539.41, 8539.49, 8539.90, 8540.11, 8540.91, 8543.40, 8543.89, 8544.11, 8544.19, 8544.20, 8544.30, 8544.41, 8544.49, 8544.51, 8544.59, 8544.60, 8548.10 और 8548.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(81) अध्याय 86 में, सभी उपशीर्षों (उपशीर्ष सं0 8607.11, 8607.12, 8607.19, 8607.21, 8607.29, 8607.30, 8607.91, 8607.99 और 8608.00 के सिवाय) में, उनके सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(82) अध्याय 87 में, सभी उपशीर्षों (उपशीर्ष सं0 8703.10, 8703.21, 8703.22, 8703.23, 8703.24, 8703.31, 8703.32, 8703.33, 8703.90 8710.00, 8711.10, 8711.20, 8711.30, 8711.40, 8711.50 और 8711.90 के सिवाय) में, उनके सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(83) अध्याय 88 में,—

(i) उपशीर्ष सं0 8801.90, 8802.60, 8803.90, 8804.00, 8805.10, 8805.21 और 8805.29 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(84) अध्याय 89 में,—

(i) सभी उपशीर्षों (उपशीर्ष सं0 8902.00, 8904.00, 8905.10, 8905.90, 8906.10, 8906.90 और 8908.00 के सिवाय) में, उनके सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं0 8908.00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(85) अध्याय 90 में,—

(i) उपशीर्ष सं० 9001.10, 9001.20, 9001.30, 9001.40, 9001.50, 9001.90, 9002.11, 9002.19, 9002.20, 9002.90, 9003.11, 9003.19, 9003.90, 9004.10, 9004.90, 9005.10, 9005.80, 9005.90, 9006.10, 9006.20, 9006.30, 9006.40, 9006.51, 9006.52, 9006.53, 9006.59, 9006.61, 9006.62, 9006.69, 9008.10, 9008.20, 9008.30, 9008.40, 9009.12, 9009.22, 9009.30, 9010.60, 9022.19, 9022.29, 9022.30 और 9022.90 में, उनके सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) उपशीर्ष सं० 9026.90 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(86) अध्याय 91 में, उपशीर्ष सं० 9101.11, 9101.12, 9101.19, 9101.21, 9101.29, 9101.91, 9101.99, 9102.11, 9102.12, 9102.19, 9102.21, 9102.29, 9102.91, 9102.99, 9103.10, 9103.90, 9104.00, 9105.11, 9105.19, 9105.21, 9105.29, 9105.91, 9105.99, 9106.10, 9106.20, 9106.90, 9107.00, 9111.10, 9111.20, 9111.80, 9111.90, 9112.20, 9112.90, 9113.10, 9113.20 और 9113.90 में, उनके सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(87) अध्याय 92 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(88) अध्याय 93 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(89) अध्याय 94 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(90) अध्याय 95 में, सभी उपशीर्षों (उपशीर्ष सं० 9506.11, 9506.12, 9506.19, 9506.21, 9506.29, 9506.31, 9506.32, 9506.39, 9506.40, 9506.51, 9506.59, 9506.61, 9506.62, 9506.69, 9506.70, 9506.91, 9506.99, 9507.10, 9507.20, 9507.30 और 9507.90 के सिवाय) में, उनके सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(91) अध्याय 96 में, सभी उपशीर्षों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(92) अध्याय 97 में, सभी उपशीर्षों (उपशीर्ष सं० 9704.00 के सिवाय) में, उनके सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(93) अध्याय 98 में, उपशीर्ष सं० 9802.00, 9804.10, 9804.90, 9805.10 और 9805.90 में, उनके सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "30%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

तीसरी अनुसूची

[धारा 136(1) **देखिए]**

धारा 136 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में "16 खनिज आधारित" प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

'16. खनिज आधारित।

स्पष्टीकरण-– शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "खनिज" के अंतर्गत कच्चा पेट्रोलियम तेल नहीं है और "खनिज आधारित" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ।'।

चौथी अनुसूची

[धारा 137(1) देखिए]

अधिसूचना सं0 और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की तारीख
(1)	(2)	(3)
सा.का.नि. 299(अ), तारीख 31 मार्च, 2000 [28/2000-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, (एन.टी.), तारीख 31 मार्च 2000]	उक्त अधिसूचना के स्पष्टीकरण 2 के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :— ‘ **स्पष्टीकरण 2**–– इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, “सम्मिश्र मिल” से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है, जो उसी कारखाने के भीतर धागे की कताई के साथ विद्युत की सहायता से कपड़ों के प्रसंस्करण ओर कपड़ों की बुनाई या क्रोशियाकारी में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत कोई बहु अवस्थान वाली सम्मिश्र मिल, अर्थात् कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी है जो तन्तु से धागे की कताई के साथ विद्युत की सहायता से कपड़ों के प्रसंस्करण और उसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के स्वामित्वाधीन एक या अधिक कारखानों में कपड़ों की बुनाई या क्रोशियाकारी में लगी हुई है । ’ ।	1 अप्रैल, 2000

पांचवीं अनुसूची

[धारा 138(i) देखिए]

भाग 1

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,--

(1) अध्याय 9 के उपशीर्ष सं0 0902.00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "1 रुपया प्रति किलोग्राम" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 17 में, टिप्पण 3 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"4. शीर्ष सं0 17.02 के उत्पादों के संबंध में उत्पाद को उपभोक्ता के लिए विपणनीय बनाने के लिए उत्पाद पर उसके आधानों पर लेबल लगाना या पुनःलेबल लगाना और प्रपुंज पैकों से खुदरा पैकों में पुनःपैकिंग करना या कोई अन्य अभिक्रिया अपनाना "विनिर्माण" की कोटि में आएगा ";

(3) अध्याय 24 के उपशीर्ष सं0 2402.00, 2403.31 और 2403.32 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 30 के उपशीर्ष सं0 3004.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(5) अध्याय 40 में,--

(i) उपशीर्ष सं0 4005.10 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"-प्लेटें, चादरें, पट्टियां, चाहे वे किसी वस्त्र सामग्री से संयोजित हों या नहीं, जिसके विनिर्माण के संबंध में उपयोग निवेश पर संदत्त शुल्क का केंद्रीय मूल्यवर्धित कर मुजरा का उपयोग नहीं किया गया है";

(ii) उपशीर्ष सं0 4011.10 और 4013.10 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(6) अध्याय 44 के उपशीर्ष सं0 4010.19 और 4010.90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(7) अध्याय 48 में,--

(i) उपशीर्ष टिप्पण 3 में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (उत्पाद शुल्क्य माल के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर माल का हटाया जाना) नियम, 2001 के अधीन प्रक्रिया का पालन करना ; और";

(ii) उपशीर्ष सं0 4820.00, 4821.00 और 4823.20 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(8) अध्याय 59 के उपशीर्ष सं0 5906.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(9) अध्याय 61 में,--

(i) उपशीर्ष टिप्पण 2 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'3. इस अध्याय के किसी उत्पाद के संबंध में, "ब्राण्ड नाम" से ऐसा कोई ब्राण्ड नाम, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात् कोई नाम या चिन्ह जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या कोई लेख अभिप्रेत है, जो किसी उत्पाद के संबंध में व्यापार के अनुक्रम में उत्पाद और ऐसे किसी व्यक्ति के, जो उस व्यक्ति की पहचान के किसी संकेत से या उसके बिना उस नाम या चिन्ह का प्रयोग कर रहा है, संबंध को उपदर्शित करने के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है जिससे ऐसा उपदर्शित होता है ।

4. इस अध्याय के किसी उत्पाद के संबंध में, उत्पाद को उपभोक्ता के लिए विपणनीय बनाने के लिए उत्पाद पर कोई ब्राण्ड नाम लगाना, उसके आधानों पर लेबल लगाना या पुनःलेबल लगाना और प्रपुंज पैकों से खुदरा पैकों में पुनःपैकिंग करना या कोई अन्य अभिक्रिया अपनाना विनिर्माण की कोटि में आएगा ।' ;

(ii) उपशीर्ष सं0 6101.00 और 6102.00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(10) अध्याय 66 के उपशीर्ष सं0 6601.00 और 6602.00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(11) अध्याय 68 के उपशीर्ष सं0 6807.20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(12) अध्याय 70 के उपशीर्ष सं0 7011.10 और 7012.10 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(13) अध्याय 73 में,--

(i) टिप्पण 3 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'4. इस अध्याय के उत्पादों के संबंध में, गाल्वनीकरण की प्रक्रिया "विनिर्माण" की कोटि में आएगी।" ;

(ii) उपशीर्ष 7326.21 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(14) अध्याय 74 के उपशीर्ष सं0 7418.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(15) अध्याय 82 के उपशीर्ष सं0 8215.00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(16) अध्याय 84 के उपशीर्ष सं0 8413.11, 8413.12, 8413.13, 8413.14, 8413.20, 8413.91, 8414.10, 8414.20, 8414.91, 8481.20, 8481.92 और 8483.10 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(17) अध्याय 85 के उपशीर्ष सं0 8524.32 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(18) अध्याय 87 के उपशीर्ष सं0 8712.00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(19) अध्याय 90 के उपशीर्ष सं0 9018.00, 9019.00 और 9022.10 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(20) अध्याय 94 के उपशीर्ष सं0 9405.10 और 9406.00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(21) अध्याय 95 के उपशीर्ष सं0 9501.00, 9502.00 और 9503.00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

भाग 2

शीर्ष सं0	**उपशीर्ष सं0**	**माल का वर्णन**	**शुल्क की दर**
(1)	(2)	(3)	(4)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में, अध्याय 36 के उपशीर्ष सं0 36.05 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"36.05		**दियासलाई, शीर्ष सं0 36.04 के अग्निक्रीड़ा की वस्तुओं से भिन्न**	
	3605.10	- बंगाल लाईट्स	16 %
	3605.90	- अन्य	1.30 रुपए प्रति एक हजार दियासलाइयों या उनके प्रभाग के लिए "।

छठी अनुसूची

[धारा 138(ii) देखिए]

शीर्ष सं0	उपशीर्ष सं0	माल का वर्णन	विशेष उत्पाद शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की दूसरी अनुसूची में,--

(1) शीर्ष सं0 25.02, उपशीर्ष सं0 2502.21, 2502.30, 2502.40, 2502.50 और 2502.90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(2) शीर्ष सं0 33.04, उपशीर्ष सं0 3304.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(3) शीर्ष सं0 33.05, उपशीर्ष सं0 3305.99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(4) शीर्ष सं0 33.07, उपशीर्ष सं0 3307.10, 3307.20, 3307.39 और 3307.90 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(5) शीर्ष सं0 43.01, उपशीर्ष सं0 4301.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(6) शीर्ष सं0 89.03, उपशीर्ष सं0 8903.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(7) शीर्ष सं0 89.07, उपशीर्ष सं0 8907.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(8) शीर्ष सं0 93.02, उपशीर्ष सं0 9302.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(9) शीर्ष सं0 93.03, उपशीर्ष सं0 9303.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(10) शीर्ष सं0 93.04, उपशीर्ष सं0 9304.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(11) शीर्ष सं0 93.05, उपशीर्ष सं0 9305.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(12) शीर्ष सं0 93.06, उपशीर्ष सं0 9306.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(13) शीर्ष सं0 93.07, उपशीर्ष सं0 9307.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(14) शीर्ष सं0 96.05, उपशीर्ष सं0 9605.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

सातवीं अनुसूची

(धारा 139 देखिए)

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम की पहली अनुसूची में, उपशीर्ष सं0 5207.20, 5208.20, 5209.10, 5406.10, 5407.10, 5511.10, 5512.10, 5513.10, 5514.10, 5801.21, 5801.31, 5802.21, 5802.31, 6002.10 और 6002.20, में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर "8%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

आठवीं अनुसूची

(धारा 140 देखिए)

मद सं0	माल का वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	मोटर स्प्रिट, जिसे सामान्य रूप से पैट्रोल के नाम से जाना जाता है	सात रुपए प्रति लीटर
2.	उच्चगति डीजल तेल	एक रुपया प्रति लीटर

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है। विधेयक के विभिन्न उपबंधों को खंडों पर टिप्पण में स्पष्ट किया गया है।

नई दिल्ली,
28 फरवरी, 2002 **यशवन्त सिन्हा**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के
अधीन
राष्ट्रपति की सिफारिश

[वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा के, लोक सभा के महासचिव को भेजे गए, तारीख 28 फरवरी, 2002 के पत्र सं० फा० 2(11)-बी०(डी०)/2002 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) के अधीन, वित्त विधेयक, 2002 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने की सिफारिश करते हैं और साथ ही लोक सभा से विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

2. यह विधेयक लोक सभा में 28 फरवरी, 2002 को बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद पुरःस्थापित किया जाएगा।